वार्षिक रिपोर्ट

ANNUAL REPORT

2022-23

बी एण्ड आर
B AND R

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लि.

(भारत सरकार का एक उद्यम)

BRIDGE AND ROOF CO. (INDIA) LTD.

(A Government of India Enterprise)

विजन

लागत प्रभावी सेवाएं प्रदान करके और ग्राहकों की संतुष्टि सुनिश्चित करके इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना प्रबंधन समाधान के क्षेत्र में वैश्विक नेता बनना।

मिशन

गुणवत्ता में उत्कृष्टता, सुरक्षा के साथ समय पर पूरा करने और परियोजनाओं के लिए मूल्य वर्धित सेवाओं के माध्यम से निर्माण उद्योग में उच्चतम स्तर की सेवा प्रदान करना, जिससे ग्राहक की सबसे पसंदीदा पसंद बन जाती है।

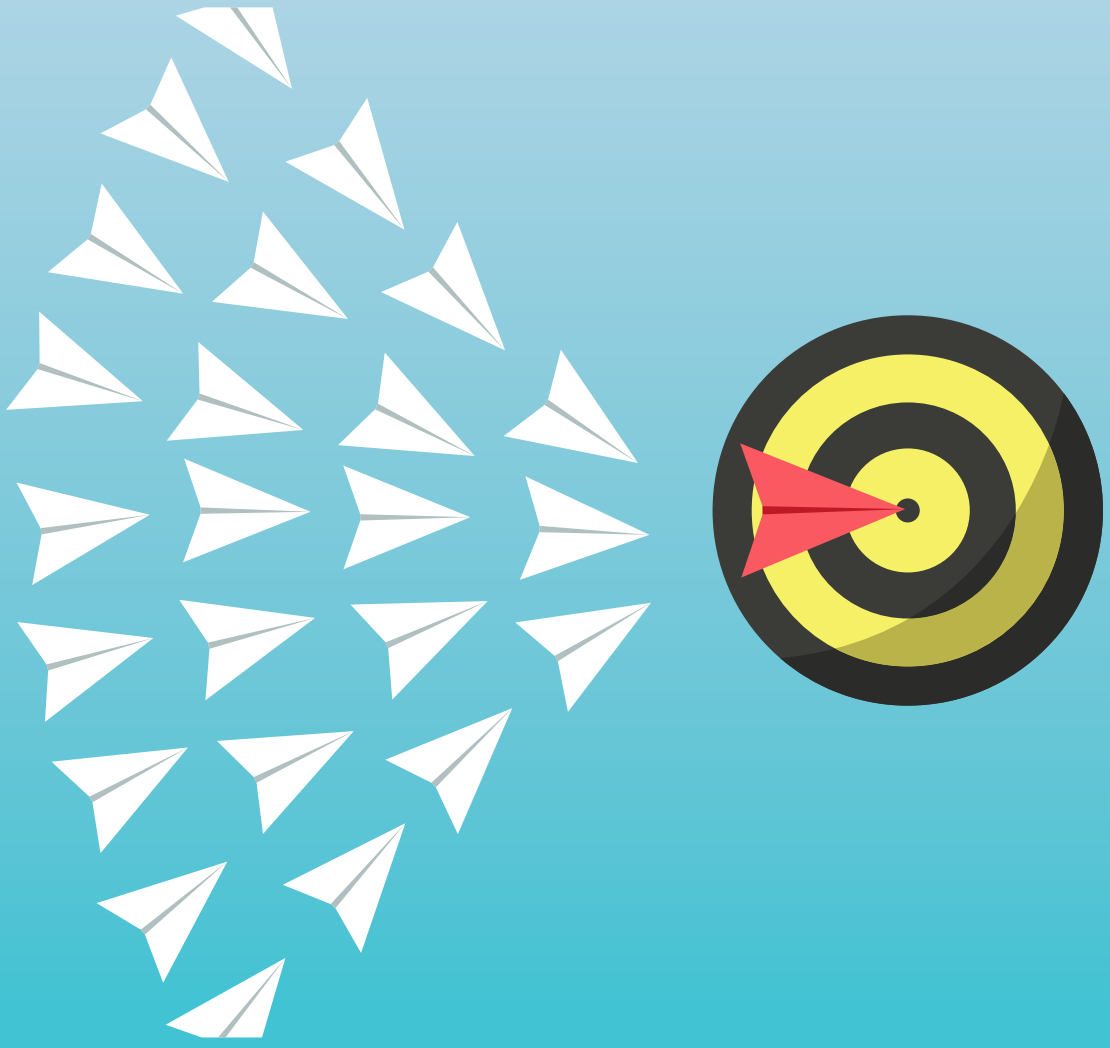

डॉ. महेंद्र नाथ पाण्डेय

माननीय मंत्रीजी
भारी उद्योग मंत्रालय

श्री कृष्ण पाल गुर्जर

माननीय राज्य मंत्रीजी
भारी उद्योग मंत्रालय

श्री कामरान रिज़वी

सचिव
भारी उद्योग मंत्रालय

श्रीमती मुक्ता शेखर

संयुक्त सचिव
भारी उद्योग मंत्रालय

निदेशक मंडल

श्री राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

पूर्णकालिक निदेशक

श्री रवि कुमार
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)

श्री नव रतन गुप्ता
निदेशक (वित्त)

सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्रीमती मुक्ता शेखर, आईआरएएस

श्री आदित्य कुमार घोष

स्वतंत्र निदेशक

श्री एस. कृष्ण कुमार

श्री आशीष चतुर्वेदी

मुख्य सतर्कता अधिकारी

सुश्री चंद्रानी गुप्ता

वरिष्ठ प्रबंधन

श्री सुप्रकाश चट्टोपाध्याय
कार्यकारी निदेशक (परियोजनाएं)

श्री राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

श्री प्रशांत कुमार
कार्यकारी निदेशक (विद्युत)

श्री तापस साहा
समूह महाप्रबंधक (इंजी.)

श्री गुरमुख सिंह
समूह महाप्रबंधक (समन्वय-पावर)

श्री देबासिस दास
समूह महाप्रबंधक/प्रमुख
(एसबीयू-I)

श्री चंचल क्र. मुखर्जी
समूह महाप्रबंधक/प्रमुख
(एसबीयू-II)

श्रीमती राखी कर
कम्पनी सचिव

विषय-सूची

सीएमडी का संदेश	01
कम्पनी प्रोफाइल	03
निदेशकों की रिपोर्ट	07
कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट	55
सी एण्ड एजी की टिप्पणी	60
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	61
तुलन पत्र	73
लाभ और हानि का विवरण	75
नकदी प्रवाह विवरण	78
वित्तीय विवरण के लिए नोट्स	80
दस वर्षीय सारसंग्रह	105

विश्व स्तरीय उत्पाद
के साथ पुनर्परिभाषित

जीवन की गुणवत्ता में
सुधार करना

वहनीयता
के साथ विकास

अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक का संदेश (वित्तीय वर्ष : 202 2-23)

प्रिय शेयरधारकों

नमस्कार

यह बहुत खुशी और बहुत गर्व के साथ है कि मैं आज आपको ब्रिज एण्ड रूफ (इण्डिया) लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में संबोधित कर रहा हूँ। कई मील के पत्थर हासिल करने और विभिन्न चुनौतियों पर काबू पाने के साथ, हमारी कंपनी पिछले 103 वर्षों में लगातार बढ़ी है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में हमने जो उल्लेखनीय प्रगति और उपलब्धियां हासिल की हैं, उन्हें आपके साथ साझा करने का अवसर पाकर मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं और मैं 136 वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ।

सबसे पहले, मैं आपके अटूट समर्थन और हमारे कंपनी के दृष्टिकोण में विश्वास के लिए अपनी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहता हूँ। आपका मार्गदर्शन और विश्वास हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और यह मूल्य वर्धित सेवाओं को वितरित करने की हमारी प्रतिबद्धता है जो हमें हर दिन प्रेरित करती है।

निर्माण उद्योग गतिशील और हमेशा विकसित हो रहा है, लेकिन हमने चुनौतियों का सामना किया है और इसके बजाय उन्हें विकास और तकनीकी नवाचार के अवसरों के रूप में देखा है। रणनीतिक योजना और हमारे कर्मचारियों के अटूट समर्पण के माध्यम से, हमने इन बाधाओं को दूर किया है और पहले से कहीं अधिक मजबूत बनकर उभरे हैं।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ब्रिज एंड रूफ के असाधारण प्रदर्शन को आपके साथ साझा करते हुए मुझे खुशी हो रही है:

- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए परिचालन से राजस्व 3315.38 करोड़ रुपये था, जबकि पिछले वर्ष के दौरान यह 3195.17 करोड़ रुपये था।
- इस वित्तीय वर्ष के दौरान सकल मार्जिन (ईबीआईटीडीए) पिछले वर्ष के 94.74 करोड़ रुपये से 38% बढ़कर 130.28 करोड़ रुपये हो गया।
- समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) 56.65 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 30.29 करोड़ रुपये के आंकड़े से लगभग दोगुना है।
- व्यापार विकास और विविधीकरण पहलों के परिणामस्वरूप 8836.91 करोड़ रुपये की अब तक की सर्वाधिक ऑर्डर बुकिंग हुई है, जिससे विविध ऑर्डरों की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। औद्योगिक परियोजना निर्माण में अग्रणी होने और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) अनुबंधों के साथ संतुलन बनाए रखने के दौरान, कंपनी ने ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के प्रयास में ताप विद्युत संयंत्र से निकास होने वाले गैसों से सल्फर-डाइऑक्साइड को हटाने के लिए ईपीसी आधार पर फ्लू-गैस-डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली में भी विविधता लाई है।
- मुझे यह बताते हुए भी खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी ने 2.24 रुपये प्रति इक्विटी शेयर का अंतिम और कुल लाभांश प्रस्तावित किया है, जो 12.32 करोड़ रुपये है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कर पश्चात लाभ का लगभग 30% है।

पर्यावरण, सामाजिक और सरकार (ईएसजी) के प्रति प्रतिबद्धता के साथ-साथ हमारे ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण ने विश्वसनीयता, पारदर्शिता, जवाबदेही, अनुपालन, संधारणीयता, सुरक्षा और गुणवत्ता जैसे हमारे महत्वपूर्ण मूल मूल्यों के साथ निम्नलिखित को जन्म दिया है:

- कंपनी अधिनियम, 2013, अन्य लागू विनियामक आवश्यकताओं के प्रावधानों के अनुपालन के साथ कॉर्पोरेट प्रशासन और आचार संहिता को अपनाना।

- बड़े पैमाने पर समुदाय और समाज के साथ सार्थक रूप से जुड़ने के प्रयास में स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचे की सुविधाओं, व्यावसायिक प्रशिक्षण और महिला सशक्तिकरण से संबंधित कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी गतिविधियां की गई।
- कंपनी व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएच और एसएमएस) आईएसओ 45001: 2018 के साथ मान्यता प्राप्त है, जिसे लागू अधिनियमों और नियमों के अनुपालन के साथ सभी परियोजना स्थलों और कार्य प्रभाग में लागू किया जा रहा है।
- मैं आपको गर्व से सूचित करता हूँ कि हमारी कंपनी को आईएसओ 9001: 2015 के लिए अपडेट किया गया है: बुनियादी ढांचे, औद्योगिक और अन्य निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, निर्माण और प्रबंधन में बहु-विषयक सेवाएं।
- ऊर्जा संरक्षण और दक्षता के लिए तरीके और प्रोटोकॉल मौजूद हैं, नियमित आधार पर लगातार समीक्षा और मूल्यांकन किया जा रहा है।

नवीनतम डिजिटल प्लेटफार्मों और वैश्विक प्रौद्योगिकी में रुझानों को बनाए रखने के लिए, निर्माण प्रौद्योगिकी का उन्नयन, संयंत्र और उपकरणों का उन्नयन, डेटा का डिजिटलीकरण, और नवीनतम सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करके वास्तविक समय की प्रक्रिया अद्यतन, जिसमें ई-ऑफिस और केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली का उन्नयन शामिल है, जिससे प्रक्रियात्मक दक्षता बढ़ सकती है। कंपनी 'एसेट मैनेजमेंट सिस्टम', एचआरएमएस और कर्मचारी सूचना प्रणाली के लिए अपना ऑनलाइन पोर्टल भी चला रही है।

हमारी कंपनी की सबसे बड़ी संपत्ति हमेशा समर्पित और जोशीले श्रमिकों की टीम रही है, जिनकी कंपनी के साथ पहचान इसके स्थिर विकास के लिए महत्वपूर्ण रही है और भारत के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल के दिनों में कठिन समय का सामना करते हुए, हमारे संगठन ने इस प्रतिकूल परिस्थिति को अपने कार्यों को मजबूत करने और सुधारने के अवसर के रूप में उपयोग किया है। हमने कौशल उन्नयन, ज्ञान संवर्धन और उत्पादकता बढ़ाने में पर्याप्त निवेश किया है।

कंपनी विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन, सुरक्षा मानकों और गुणवत्ता नियंत्रण को बनाए रखने के साथ-साथ प्रक्रियात्मक, परिचालन और निष्पादन क्षमता में सुधार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। परिणामस्वरूप, हम आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करने के लिए अच्छी तरह से तैयार हैं।

वर्तमान में, आपकी कंपनी की अंतर्निहित सहनशक्ति और क्षमता का वास्तविक माप केंद्र और राज्य सरकार के विभागों के साथ-साथ निजी और संयुक्त क्षेत्रों द्वारा इसमें रखे गए विश्वास के माध्यम से स्पष्ट है। जैसा कि हम "आजादी का अमृत काल: विजन@2047" की प्रतीक्षा कर रहे हैं और औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए देश की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, आपकी कंपनी की पर्याप्त वृद्धि व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित है। आपकी कंपनी, सीपीएसई के रूप में, घरेलू बाजार में मानक स्थापित करने में बनी रहेगी और निकट भविष्य में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने व्यवसाय का विस्तार करेगी।

इसके साथ ही मैं ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड की पूर्व और वर्तमान टीम के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने कंपनी के सतत विकास में उत्कृष्ट योगदान दिया है। मैं अपने साथी निदेशक मण्डलीय सदस्यों को उनके सक्रिय जुड़ाव और सहयोग के लिए अभिस्वीकृति प्रदान करता हूँ और ईमानदारी से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं अपने मूल्यवान ग्राहकों और सहयोगियों द्वारा प्रदान किए जा रहे समर्थन और वफादारी के लिए अपना हार्दिक धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त, मैं सीएजी, हमारे लेखापरीक्षकों और बैंकर्स की सराहना करना चाहूंगा। इन सबसे ऊपर, मैं अपने सभी शेयरधारकों का तहे दिल से आभारी हूं, जिसमें हमारे प्राथमिक शेयरधारक, भारी उद्योग मंत्रालय, और भारत के अन्य सभी मंत्रालयों और सरकारी विभागों का विशेष उल्लेख है, जिन्होंने हमारे निदेशक मण्डल और प्रबंधकीय टीम में अटूट प्रतीति और विश्वास व्यक्त किया है।

शुभकामनाओं के साथ,

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड

25 सितंबर, 2023

कम्पनी प्रोफाइल

एक स्रोत बहु-अनुशासन इंजीनियरिंग, निर्माण और परियोजना प्रबंधन उद्यम

संचालन के क्षेत्र

तेल और गैस

परमाणु ऊर्जा सहित
बिजली

इस्पात

रासायन
और
उर्वरक

अल्युमीनियम

रेलवे

अवसंस्चनाओं
ढांचे का विकास

बंदरगाह और जेटी

निर्माण सेवाएं

- **औद्योगिक संरचनाएं**
  - तेल टर्मिनल और डिपो
  - भंडारण टैंक
  - विद्युत संयंत्र
  - क्रॉस कंट्री पाइपिंग
  - भारी उपकरण निर्माण
  - समग्र संरचनाएं
- **अवसंरचना विकास**
  - रेलवे परियोजना
  - नदी निकर्षण
  - सड़कें और राजमार्ग
  - स्वास्थ्य अवसंरचना
  - शैक्षिक / संस्थागत परियोजनाएं
  - आवास परियोजनाएं
  - पेयजल आपूर्ति प्रणाली
  - जल / बहिःस्राव / शोधन संयंत्र
  - पत्तन, बंदरगाह और जेटी
  - सिंचाई परियोजनाएं
  - बैराज और बांध
  - नदी तट विकास कार्य
  - रेलवे और सड़क पुल
- **इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन**
- **आइटी इंफ्रास्ट्रक्चर**

विनिर्माण सुविधाएं

कोलकाता पश्चिम बंगाल के पास हावड़ा वर्कशॉप में

- बेली प्रकार के यूनिट ब्रिज
- बेली सस्पेंशन ब्रिज
- दोहरी दीवारों वाला भूमिगत भंडारण टैंक
- रेलवे ब्रिज गर्डर्स
- रेलवे वैगन
- पोर्टा केबिन
- सौर ऊर्जा संचालित एलईडी स्ट्रीट लेम्प
- संरचनात्मक स्टील अवयव
- पॉट शैल

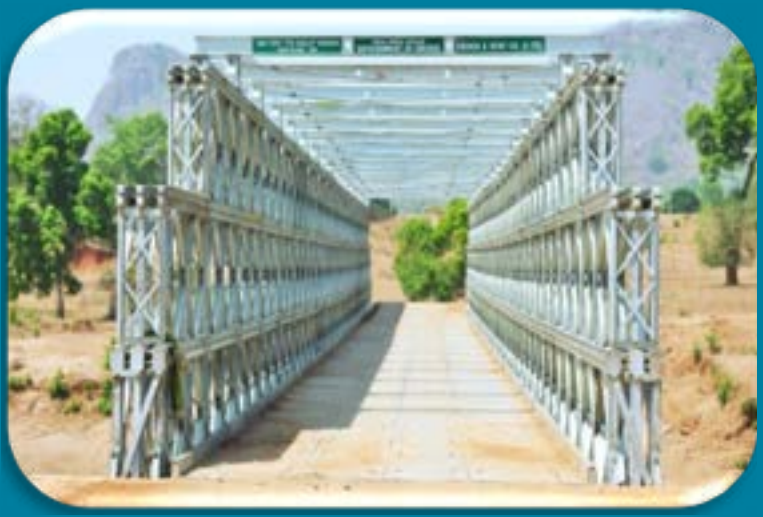

निदेशकों की रिपोर्ट

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए

सेवा में,

शेयरधारकगण,

निदेशक मंडल की ओर से, 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के साथ कम्पनी के कामकाज पर वार्षिक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हमें खुशी हो रही है। वित्त वर्ष 2022-23 आर्थिक विकास का वर्ष था जिसके परिणामस्वरूप इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) क्षेत्र में कड़ी प्रतिस्पर्धा हुई। कम्पनी ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया। रणनीति के रूप में, हम अपनी परियोजनाओं के लिए दृश्यता बढ़ाने के लिए ऑर्डर बुकिंग और निष्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अपने परिचालन को तेजी से बढ़ा रहे हैं।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड अपने व्यावसायिक दृष्टिकोण में संधारणीयता के साथ सामना करने में सक्षम है। आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल की ओर से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक सम्मान और सौभाग्य की बात है और मुझे वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड के व्यवसाय एवं संचालन की उपलब्धियों और मुख्य आकर्षणों तथा 31 मार्च 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ इसके लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणी और भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखाओं पर टिप्पणियों को साझा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 विकास और संधारणीयता के मामले में चुनौतीपूर्ण वर्षों में से एक था।

1.0 वित्तीय निष्पादन:

क) परिचालनगत परिणाम:

गत वर्ष की तुलना में रिपोर्ट के तहत वर्ष के लिए कम्पनी के वित्तीय निष्पादन की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:

(रू. करोड़ में)

	वित्तीय वर्ष : 2022-23	वित्तीय वर्ष: 2021-2022
आय	3328.35	3214.65
कुल मार्जिन	130.27	94.74
वित्त व्यय	61.33	47.21
अवमूल्यन	12.30	17.24
कर पूर्व लाभ	56.65	30.29
कर खर्च	15.75	9.02
कर पश्चात लाभ	40.90	21.28
लाभांश	12.32	6.43

ख) लाभांश:

निदेशकों ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए रू. 10 प्रति शेयर के प्रति इक्विटी शेयर पर रु. 2.24 (गत वर्ष रू. 1.17 प्रति इक्विटी शेयर) के लाभांश की सिफारिश की है, जिसे यदि आगामी वार्षिक आम बैठक में अनुमोदित किया जाता है, तो उन सभी इक्विटी शेयरधारकों को भुगतान किया जाएगा, जिनका नाम 19 सितंबर 2023 को सदस्यों के रजिस्टर में दिखाई देता है।

ग) आरक्षित निधियों में अंतरण :

आपकी कम्पनी के निदेशक मंडल ने समीक्षाधीन वर्ष के लिए आरक्षित निधि में कोई भी राशि अंतरित नहीं करने का निर्णय लिया है।

घ) पूंजी :

कम्पनी की अधिकृत पूंजी रू. 60 करोड़ है, जिसमें रू. 10 के 6 करोड़ इक्विटी शेयर शामिल हैं। 31 मार्च, 2023 तक कम्पनी की चुकता पूंजी रू. 54.99 करोड़ है, जिसमें रू. 10 के 5,49,87,155 इक्विटी शेयर शामिल हैं, जिनमें से 5,46,27,155 इक्विटी शेयर जो कुल चुकता पूंजी का 99.35% है, भारत के राष्ट्रपति के पास हैं।

2.0 वर्ष के दौरान घटित प्रमुख घटनाएं

क) कम्पनी मामलातों की स्थिति :

कम्पनी महामारी के प्रभाव से उबर चुकी है। इस अवधि के दौरान निर्माण क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई। निर्माण गतिविधियों में तेजी आई।

हमारी शताब्दी पुरानी कम्पनी के लचीलेपन के साथ, हमने परियोजनाओं को सावधानीपूर्वक योजना, सख्त बजट और नियंत्रण, इष्टतम संसाधन का उपयोग करके और अत्यधिक वित्तीय विवेक प्रदर्शित करते हुए निष्पादित किया। ठोस प्रयासों और समर्पित टीम वर्क के परिणामस्वरूप कम्पनी ने वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रू. 3330.09 करोड़ की अपनी आय प्राप्त की।

बी) व्यवसाय की प्रकृति में परिवर्तन:

समीक्षाधीन वर्ष के लिए कम्पनी के कारोबार की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ग) वर्ष के अंत से रिपोर्ट की तारीख तक कम्पनी की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले तात्त्विक परिवर्तन और प्रतिबद्धताएं, यदि कोई हों:

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कोई तात्त्विक परिवर्तन नहीं देखा गया है।

3.0 प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण:

क)निष्पादन :

कम्पनी ने पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान रू. 3214.65 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान रू. 3328.35 करोड़ की राशि का अपना अब तक का उच्चतम कारोबार हासिल किया। कर पूर्व लाभ (पीबीटी) पूर्व वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरा रू. 30.29 करोड़ की तुलना में रू. 56.65 करोड़ रहा।

परियोजना प्रभाग :

वर्ष के दौरान परियोजना गतिविधियों में किए गए कार्यों का मूल्य पिछले वर्ष के रू. 3179.25 करोड़ की तुलना में रू. 3308.11 करोड़ है। वर्ष के दौरान सफलतापूर्वक पूरी होने वाली महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं:

परियोजनाओं की संख्या

विवरण	स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रू. में)
• हल्दिया रिफाइनरी में ऐश्वर्या परियोजना के लिए समग्र कार्य • हल्दिया रिफाइनरी में ऐश्वर्या परियोजना के लिए सिविल कार्य • हल्दिया रिफाइनरी में ऐश्वर्या परियोजना के लिए डीसीयू, सीजीओटी, एलपीजीटी, सी/आर और एस/एस के लिए पाइलिंग कार्य • बीएस-VI परियोजना रिफाइनरी के लिए हल्दिया रिफाइनरी में ऑफसाइट और रिवैम्प इकाइयों के लिए पाइलिंग और सिविल कार्य	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि.	204.33 75.77 73.05 63.00

विवरण	स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रू. में)
4.9 किलोमीटर एलपीजी आयात टर्मिनल सुविधा परियोजना के लिए स्थापना कार्य और डीडब्ल्यूएमपीआईपी के लिए काम - हल्दिया में एलपीजी आयात टर्मिनल सुविधा परियोजना के लिए 2.4 किलोमीटर और क्रॉस कंट्री पाइपिंग	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	135.14
एचपीएल कॉम्प्लेक्स में ब्यूटेन-1 पीवाईजीएएस डीसल्फराइजेशन परियोजना और ऑफसाइट्स के लिए सिविल कार्य	हल्दिया, पश्चिम बंगाल	हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	58.26
अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल में 800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी मल्टी टर्मिनल इंटरकनेक्टर के लिए सिविल कार्य।	अलीपुरद्वार, पश्चिम बंगाल	एबीबी एबी	179.76
• एकीकृत रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए सुविधाओं, गोदाम (पीईबी) और निराकरण कार्यों को सक्षम करने के लिए सिविल और संरचनात्मक कार्य • पाइलिंग, आरसीसी संरचना, ब्यूटाइल एक्रिलेट यूनिट के लिए भूमिगत पाइपिंग और प्रोपलीन डेरिवेटिव पेट्रोकेमिकल प्रोजेक्ट (पीडीपीपी) के लिए ऑफसाइट	कोच्चि, केरल	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	148.36 127.50
माहुल रिफाइनरी में एमआर II परियोजना के लिए समग्र कार्य	माहुल, महाराष्ट्र	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	139.81
डबल डेक फ्लोटिंग रूफ टाइप क्रूड स्टोरेज टैंक के लिए डिजाइन, इंजीनियरिंग, आपूर्ति, निर्माण, स्थापना, परीक्षण, नींव का काम, रिम सील अग्निरक्षण प्रणाली, अन्य सिविल कार्य आदि	पारादीप, ओडिशा	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	102.49
आगामी पेट्रोलियम भंडारण टर्मिनल के लिए हल्के स्टील ऊर्ध्वाधर भंडारण टैंक, पेट्रोलियम उत्पाद और फायर हाइड्रेंट पाइपिंग, संयंत्र भवनों का निर्माण और संबद्ध कार्यों का फेब्रिकेशन , निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग	असनूर, तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड	99.13
हटुआरा में 500 बिस्तरों (जी + 9) के तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल का निर्माण	पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल मेडिकल सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पश्चिम बंगाल सरकार	96.80
आईआईटी खड़गपुर के परिसर/कैंपस के भीतर भवनों/छात्रावासों, आवासीय क्वार्टरों और अन्य अवसंरचनाओं का निर्माण।	खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान	81.45
बीएस-VI परियोजना के लिए टैंकेज कार्य	मैंगलोर, कर्नाटक	मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	75.04
अवशेष उन्नयन परियोजना के लिए यांत्रिक पाइपिंग कार्य - कोकर ब्लॉक	चेन्नई, तमिल नाडु	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	72.38

हावड़ा कर्मशाला

वर्ष 2022-2023 के दौरान, उत्पादन का मूल्य रू. 23.33 करोड़ था। हावड़ा में कर्मशाला का प्रदर्शन नीचे विस्तृत है। इस वित्तीय वर्ष के दौरान निष्पादित विनिर्माण कार्य में विभिन्न ग्राहकों से प्राप्त निम्नलिखित प्रमुख आदेशों को पूरा करना शामिल है:

विवरण	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रू. में)
भारत एवं विदेशों में विभिन्न अवस्थानों पर बेली प्रकार – विविध स्पैन और चौड़ाई के यूनिट ब्रिज / बेली सस्पेंशन ब्रिज का विनिर्माण, संविरचना, आपूर्ति, निरीक्षण एवं परिवहन	डीजीबीआर- नई दिल्ली, पीडब्ल्यूडी - हिमाचल प्रदेश, ओडिशा निर्माण निगम लिमिटेड - सरकारी ओडिशा के भारतीय इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड - असम, त्रिपुरा सरकार, ड्रुक ग्येलयोंग कंस्ट्रक्शन (भूटान)	13.94
डबल दीवार वाली भूमिगत भंडारण टैंक	रिलायंस बीपी मोबिलिटी लिमिटेड	6.84
स्ट्रक्चरल ब्रिज गर्डर	पश्चिम मध्य रेलवे, पूर्वी रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे, ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड	8.30
दक्षिण पूर्व रेलवे के लिए संतरागाछी स्टेशन का स्टेशन विकास कार्य	इरकॉन	2.54

बी एण्ड आर ने हावड़ा वर्क्स में 16 जनवरी 2023 को अपना 104 वां स्थापना दिवस मनाया।

ख) ऑर्डर बुकिंग की स्थिति :

सबसे प्रतिस्पर्धी बाजार परिदृश्य के बावजूद, कम्पनी ने पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 6606.23 करोड़ रू. को तुलना मैं वित्त वर्ष 2012-23 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के ग्राहकों से 8836.91 करोड़ रूपये का अबतक को सबसे अधिक ऑर्डर बुकिंग दर्ज की है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों से रू. 8836.91 करोड़ की अपनी उच्चतम ऑर्डर बुकिंग दर्ज की है।

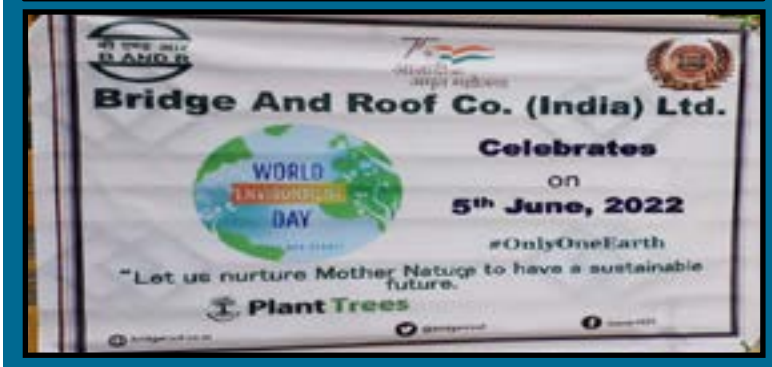

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड ने हावड़ा कार्यशाला में पौधारोपण कर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान प्राप्त प्रमुख ऑर्डर

परियोजनाएं :

विवरण	स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रू. में)
इंजीनियरिंग, खरीद, फेब्रिकेशन, निर्माण, इंस्टालेशन, असेंबली, परीक्षण, प्री-कमीशनिंग और कमीशनिंग, कच्चे तेल आयात टर्मिनल के एकमुश्त टर्नकी (एलएसटीके) आधार पर प्रदर्शन गारंटी टेस्ट रन (पीजीटीआर) का प्रदर्शन करना।	पारादीप, ओडिशा	इंडियन ऑयल अदानी वेंचर्स	1150.00
सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए डिजाइनिंग, भवनों का निर्माण, फर्नीचर, आईटी (नेटवर्किंग) जिसमें रखरखाव (दोष दायित्व अवधि के दौरान) शामिल है।	कोरबा, महासमुंद और कांकेर, छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवा निगम। लिमिटेड, सरकार। छत्तीसगढ़ के	708.54
पानीपत रिफाइनरी विस्तार परियोजना (पी25) के लिए पाइलिंग, यूजी और सिविल, संरचनात्मक कार्य यू और ओ-पी25 क्षेत्र (भाग-बी)।	पानीपत, हरियाणा	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	532.39

विवरण	स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रू. में)
• LUPECH (J-18) परियोजना के इंटरकनेक्टिंग पाइप रैक और संबद्ध क्षेत्रों के लिए पाइपिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रुमेंटेशन कार्यों से युक्त समग्र कार्य। • ईपीसीएम इकाइयों (जीडीएस, एचसीयू, इंटरकनेक्टिंग पाइप रैक और संबद्ध क्षेत्रों) के लिए पाइलिंग, सिविल, स्ट्रक्चरल और अंडरग्राउंड पाइपिंग और वेयरहाउस की डिजाइन आपूर्ति और निर्माण से जुड़े सिविल कार्य और आईओसीएल गुजरात रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल और ल्यूब इंटीग्रेशन परियोजना LUPECne J-18) से जुड़े कार्य। • LUPECH (J-18) परियोजना, IOCL गुजरात रिफाइनरी की GDS रिवैम्प, HCU रिवैम्प, ARU और SWS इकाइयों के लिए पाइपिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रुमेंटेशन कार्यों से युक्त समग्र कार्य।	वडोदरा, गुजरात	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	834.36
प्रस्तावित ग्रासरूट पेट्रोलियम स्टोरेज टर्मिनल पर टैंक फाउंडेशन और संबद्ध कार्य सहित ऊर्ध्वाधर/भूमिगत ग्राउंड माइल्ड स्टील स्टोरेज टैंक का फेब्रिकेशन, निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग।	वल्लूर, तमिलनाडु	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	123.41
डिजाइन, इंजीनियरिंग, विनिर्माण, असेंबली, परीक्षण, सिविल, संरचनात्मक और वास्तुकला कार्य, गीले चूना पत्थर फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) सिस्टम पैकेज का निर्माण, परीक्षण और कमीशनिंग, ईपीसी आधार पर 2 x 250 मेगावाट क्षमता वाली पारस थर्मल पावरकी पारस यूनिट 3 और 4 के एफजीडी प्रणाली जिसमें स्थापित फ़्लू गैस डिसल्फराइजेशन के 3 वर्षों के लिए संचालन और रखरखाव (ओ एंड एम) शामिल है।	पारस, महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड	384.42
• गेल उसर पीडीएच-पीपी परियोजना के लिए ऑफसाइट के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल और यूजी पाइपिंग कार्य। • गेल उसार पीडीएच-पीपी परियोजना के लिए पीडीएच यूनिट (पाई-ए) के लिए सिविल, स्ट्रक्चरल और यूजी पाइपिंग कार्य।	ऊसर, महाराष्ट्र	गैस अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड	567.64
एर्नाकुलम जंक्शन रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास।	एर्नाकुलम, केरल	दक्षिणी रेलवे, भारतीय रेलवे	267.81
• ओडिशा राज्य में विभिन्न स्थानों पर चरण- II में 17 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का निर्माण। • झारखंड राज्य में विभिन्न स्थानों पर 15 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) और पश्चिम बंगाल राज्य के पुरुलिया में 1 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (ईएमआरएस) का निर्माण।	ओडिशा झारखंड और पश्चिम बंगाल	जनजातीय छात्रों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा सोसायटी	222.07 209.50
पश्चिम रेलवे में मुंबई मंडल के उधना में उधना स्टेशन का पुनर्विकास।	उधना, गुजरात	पश्चिम रेलवे, भारतीय रेलवे	177.70
• दामनजोड़ी, ओडिशा में 5वीं स्ट्रीम एल्यूमिना रिफाइनरी के लिए मैकेनिकल, पाइपिंग, पेंटिंग और इन्सुलेशन कार्य और विशाखापत्तनम बंदरगाह पर संबंधित सुविधाएं। • ओडिशा के दामनजोड़ी में 5वीं स्ट्रीम एल्युमिना रिफाइनरी के लिए एल्युमीनियम स्टोरेज साइलो और संबंधित सुविधाओं के लिए सिविल और स्टील स्ट्रक्चरल कार्य और वाइजेग पोर्ट पर संबंधित सुविधाएं।	दामनजोड़ी, ओडिशा	नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लिमिटेड	310.18

विवरण	स्थान	ग्राहक	मूल्य (करोड़ रू. में)
बिहार राज्य में 'मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना' के तहत चिन्हित मौजूदा विद्युत पोल पर सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम के रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम (आरएमएस) सहित व्यापक रखरखाव अनुबंध (5 वर्षों के लिए सीएमसी) के साथ डिजाइन, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशनिंग। ईपीसी आधार पर।	बिहार के जिले	पंचायत राज विभाग, सरकार। बिहार का	160.13
पीएमसी आधार पर पुलिस कर्मियों के स्टाफ क्वार्टरों की पूरी योजना, डिजाइनिंग, निर्माण।	आइजोल, मिज़ोरम	पुलिस मुख्यालय, मिजोरम सरकार	150.85
नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी विस्तार परियोजना के लिए पीएफसीसी इकाई के लिए सिविल और भूमिगत पाइपिंग कार्य।	नुमालीगढ़, असम	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	147.96

हावड़ा कर्मशाला :

विवरण	स्थान	मूल्य (करोड़ रू. में)
भारत में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न स्पैन और चौड़ाई के बेली टाइप यूनिट ब्रिज / बेली सस्पेंशन ब्रिज का फेब्रिकेशन , निर्माण, आपूर्ति, निरीक्षण और परिवहन	बीआरओ, पीडब्ल्यूडी - हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा सरकार, भूटान सरकार	3.80

ग) बाह्य वातावरण :

अगले पांच वर्षों के लिए दृष्टिकोण:

उद्योग के कुछ क्षेत्रों में चल रहे विकास को काबू में करने के उद्देश्य से, हम आने वाले वर्षों में उद्योग की मूलभूत विशेषताओं में होने वाले बड़े पैमाने पर बदलावों को देख सकते हैं।

अवसंरचना ढांचा क्षेत्र भारत सरकार के लिए सबसे बड़ा फोकस क्षेत्र बन गया है और बहुत तेजी से बढ़ने के लिए तैयार है। हम पारस्परिक लाभ के लिए समृद्ध अर्थव्यवस्था में बाजार के अवसरों का लाभ उठा रहे हैं।

सरकार के राष्ट्रीय अवसंरचना ढांचा परियोजना (एनआईपी) बजट आवंटन में शहरी बुनियादी ढांचे, सड़क परिवहन, ऊर्जा और रेलवे के लिए 70% शामिल है। एनआईपी में 42% परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं और 19% विकास चरण में हैं, 31% वैचारिक चरण में हैं। वित्तीय वर्ष 2020 से 2025 के लिए पूंजीगत व्यय की योजना इस प्रकार है: ऊर्जा क्षेत्र - 24%, सड़क - 19%, शहरी - 16% और रेलवे - 13%। भारत में बुनियादी ढांचे के 2022-2027 की पूर्वानुमान अवधि के दौरान लगभग 7% की सीएजीआर (चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर) से बढ़ने का अनुमान है।

विदेशी निवेश विकास को बढ़ावा देने के लिए बंदरगाहों, हवाई अड्डों और राजमार्गों जैसे बुनियादी ढांचे के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और यह आशंका है कि सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) अवसंरचना क्षेत्र में होगा।

बाजार खंडित है और बढ़ने की उम्मीद है; सरकार ने बुनियादी ढांचे के लिए रू. 100 लाख करोड़ आवंटित किए हैं।

आगामी परियोजनाओं पर भविष्य का व्यावसायिक दृष्टिकोण:

चूंकि उद्योग में प्रतिस्पर्धा तेज हो गई है, इसलिए हमारा ध्यान उस दिशा में बदलने की जरूरत है जो कंपनी को अवसंरचना ढांचे और अन्य संभावित क्षेत्रों में अकार्बनिक विकास प्रदान करेगी। कुछ बाधाएं हैं जिन्हें कम्पनी अब उच्च मूल्य वाले ईपीसी अनुबंध परियोजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करके बेहतर परिणामों के लिए दूर करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है, जिसमें प्रौद्योगिकी साझाकरणा आदि के लिए इंजीनियरिंग भागीदार के संयुक्त उद्यम/ कंसोर्टियम संगठन के माध्यम से अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी भागीदारी शामिल हैं ।

घ) विविधता :

हमारी कम्पनी निम्नलिखित क्षेत्रों की खोज कर रही है जहां विकास बाजार पर कब्जा करने विकास के लिए निहित है। रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए ईपीसी परियोजनाएं। विभिन्न क्षमता के बांध और विद्युत गृह का निर्माण। ईपीसी मोड में सूक्ष्म सिंचाई और लिफ्ट सिंचाई। वितरण प्रणाली सहित कैनल का पुनर्वास और नवीकरण। हवाई अड्डों के लिए नए या अतिरिक्त टर्मिनल भवन। पेयजल आपूर्ति परियोजनाएं प्रदान करना। फेयरवे का विकास और रखरखाव। बिजली संयंत्र में पर्यावरण प्रबंधन।

हमारी कम्पनी ने पारस, महाराष्ट्र में महाजेनको के पारस तापीय विद्युत में इस क्षेत्र में अपनी पहली प्रवृष्टि के माध्यम से फ्ल गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) परियोजनाओं के बढ़ते क्षेत्र में पहले ही विविधीकरण कर लिया है, जो निष्पादन के अग्रिम चरण में है।

इसके अलावा हम छत्तीसगढ़ में कोरबा और मारवा में छत्तीसगढ़ पावर के उच्च मूल्य वाले एफजीडी पैकेजों के लिए सबसे कम बोली लगाने वाले बन गए हैं।

कम्पनी ने ईपीसी मोड में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दाबित बुलेट टैंक के लिए इंजीनियरिंग एसोसिएट के साथ समझौता किया है।

हमारी कम्पनी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ हाइड्रोकार्बन उद्योग में डबल शेल स्टोरेज टैंक में कदम रखा है।

कम्पनी ने संयुक्त उद्यमों/कंसोर्टियम के माध्यम से ईपीसी मोड में उच्च मूल्य वाली सड़कों और राजमार्ग परियोजनाओं में भी भागीदारी की है।

हमने ब्रह्मपुत्र नदी में एक उच्च मूल्य वाले दीर्घकालिक ड्रेजिंग अनुबंध को हासिल करके विविधीकरण के नए क्षेत्र खोले हैं, जो अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और चुनौतियों का संयोजन है।

ङ) आगे का रास्ता:

निर्माण उद्योग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक अग्रणी बनने के अपने व्यावसायिक लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में, कम्पनी ने विभिन्न पहलों के माध्यम से विविध टिकाऊ प्रयासों की कल्पना की है:

I. व्यवसाय रणनीति

संवर्धित और उन्नत डिजाइन व इंजीनियरिंग सुविधाओं के साथ एकीकृत परियोजना प्रबंधन प्रणाली के निर्माण की दिशा में हमारे प्रयास पर ध्यान केंद्रित करते हुए, हमने नए व्यावसायिक वर्टिकल बनाकर पीएमसी जॉब, ईपीसी मोड और हमारे पारंपरिक इकाई दर अनुबंधों के बीच अपने व्यापार मिश्रण को फिर से संगठित और पुनर्निर्मित किया है। हमारी कम्पनी का ध्यान अतिरिक्त व्यावसायिक अवसरों का पता लगाने के लिए इन व्यावसायिक कार्यक्षेत्र के माध्यम से अपने सबसे लाभदायक क्षेत्रों में व्यवसाय बनाए रखना है। हम पीएमसी कार्य, ईपीसी अनुबंधों और अन्य प्रकार के सार्वजनिक / निजी क्षेत्र के कार्यों के बीच व्यावसायिक मिश्रण को अनुकूलित करने की योजना बना रहे हैं।

हम उच्च लागत वाली अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं (विशेष रूप से भारत सरकार, विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित) से व्यापार की मात्रा का विस्तार करने की उम्मीद कर रहे हैं।

कम्पनी व्यय को युक्तिसंगत बनाने के साथ लागत नियंत्रण उपायों को कार्यान्वित कर रही है। रणनीति के एक भाग के रूप में, हम व्यय को युक्तिसंगत बनाने और हानि की लागत को कम करने के लिए व्यवसाय के पिछड़े और अग्रगामी एकीकरण के लिए तत्पर रहने का प्रयास करते हैं।

हमारा प्रयास परिचालन उत्कृष्टता और बाजार क्षेत्र के विस्तार के माध्यम से मौजूदा ग्राहक आधार को मजबूत करना है।

II. व्यापार विकास

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप, हमारी कम्पनी निम्नलिखित क्षेत्रों में सतत विकास परियोजनाएं शुरू कर रही है।

- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (एमओपीएनजी) के तहत जैव-रिफाइनरी परियोजनाएं, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, एलएनजी टर्मिनल और प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क।
- जलशक्ति मंत्रालय के अंतर्गत नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाएं और पेयजल वितरण नेटवर्क।
- बंदरगाहों जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत नदी ड्रेजिंग परियोजनाओं सहित राष्ट्रीय जलमार्गों का विकास।
- विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रणाली।
- संबंधित मंत्रालयों के तहत स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, रेलवे, एक्सप्रेसवे और राजमार्ग, पुल, हवाई अड्डे और अन्य क्षेत्रों सहित अपसंरचना परियोजनाएं।
- परिवहन क्षेत्र में ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग।
- उच्च मूल्य की ईपीसी परियोजनाओं को शुरू करने के लिए कंसोर्टियम/सहयोग का गठन।
- लगातार विकास को बनाए रखने के लिए कंपनी के 25% टर्नओएर को एकीकृत करते हुए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के क्षेत्र में विक्र स्तर पर विस्तार करना।
- ईपीसी मोड में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में दबावयुक्त बुलेट टैंक।
- अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ हाइड्रोकार्बन उद्योग में डबल शेल स्टोरेज टैंक।
- संयुक् त उद्यमों/कंसोर्टियम के माध् यम से ईपीसी मोड में उच्च मूल्य की सड़के और राजमार्ग परियोजनाएं।

III. प्रक्रियात्मक दक्षता उपाय

दक्षता बढ़ाने के लिए कंपनी ने अभिलेखों के डिजिटलीकरण और पहुंच की सुविधा के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली, खरीद चक्र के समय को कम करने के लिए खरीद प्रणाली को सुव्यवस्थित करने के लिए कंपनी के भीतर फाइलों/दस्तावेजों/मांगपत्रों की आंतरिक आवाजाही के लिए ई-ऑफिस प्रणाली की पहल की है।

कम्पनी प्रक्रियात्मक अनुपालन और तेजी से निर्णय लेने के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन की लगातार समीक्षा और संशोधन कर रही है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने और आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए जीईएम पोर्टल के माध्यम से खरीद लागू की गई है।

IV. वित्तीय नियंत्रण और योजना

वित्तीय नियंत्रण और योजना के एक भाग के रूप में कम्पनी द्वारा निम्नलिखित व्यवस्थित परिवर्तन किए गए हैं:

- केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली
- सूचना प्रोद्योगिकी सक्षम लेखा प्रणाली
- लागत लाभ विश्लेषण पर ध्यान
- वित्त लागत पर अंकुश लगाने के लिए विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन
- मूल्य वर्धित सेवाएं प्रदान करके निवल मूल्य में वृद्धि

V. आधुनिकीकरण, डिजिटलीकरण और स्वचालन

दक्षता, गुणवत्ता में सुधार और सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाने के लिए निर्माण उपकरणों का उन्नयन किया जा रहा है। कुछ विवरण इस प्रकार हैं:

- परियोजना स्थल
- कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए निर्माण पद्धति का आधुनिकीकरण।
- विशेष क्षेत्रों में निर्माण प्रौद्योगिकी के अवशोषण के लिए अन्य कंपनियों के साथ टाई-अप
- हावड़ा, पश्चिम बंगाल में कर्मशाला
  i. कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल (सीएनसी) मशीनों की खरीद के साथ हावड़ा कर्मशाला में और अधिक स्वचालन।
  ii. गुणवत्ता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए बंक हाउस के वजन को कम करने जैसे मौजूदा उत्पादों के डिजाइन में सुधार।
  iii. स्ट्रक्चरल स्टील फैब्रिकेशन कार्य, ग्रेटिंग और रिम सील अग्निशमन उपकरण का निर्माण, हावड़ा कार्यशाला में रूफ शीट प्रोफाइलिंग कार्य जो परियोजना स्थलों के लिए फीडर इकाई के रूप में कार्य करेगा।
- गुणवतापूर्ण सेवाएं और उत्पाद प्रदान करने के लिए एनएबीएल प्रमाणित प्रयोगशाला परीक्षण सुविधाएं।

च) प्रतिभा प्रबंधन

हमारी कम्पनी कर्मचारियों के कौशल के विकास और उन्नयन के लिए प्रशिक्षण के निरंतर प्रयास में है। आंतरिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन हेतु विशेष कार्मिकों की भर्ती की जा रही है। हम सशक्तिकरण की दिशा में एक जीवंत कार्य संस्कृति को बढ़ावा देते हैं और कर्मचारियों के बीच प्रेरणा बढ़ाते हैं। मानव संसाधन प्रबंधन के माध्यम से अपने कर्मचारियों के बीच जुड़ाव के स्तर में सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है।

छ) जोखिम प्रबंधन

आपकी कम्पनी ने व्यवसाय योजना के प्रति एक संतुलित दृष्टिकोण रखने और बेहतर प्रबंधन प्रथाओं के माध्यम से संबंधित जोखिमों को कम करने के उद्देश्य से जोखिम प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न हितधारकों के बीच अधिक आत्मविश्वास पैदा होता है और अच्छे कॉर्पोरेट शासन प्रथाओं का पालन होता है। संचालन, पर्यावरण, वित्त, मानव संसाधन, कानूनी, सूचना सुरक्षा आदि से जुड़े जोखिम और वित्तीय रूप से प्रभाव का स्तर, संपत्तियों, सुविधाओं और तीसरे पक्षों पर इसके संभावित प्रभाव का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जाता है। कथित जोखिमों से होने वाली हानियों को कम करने के लिए, जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के साथ-साथ आपात स्थिति के दौरान अपनाई जाने वाली प्रथाएं जिसमें संचार प्रणाली और सूचना के प्रसार का तरीका शामिल है, की आवधिक समीक्षा की जाती है और कम्पनी पर प्रभाव को कम करने के लिए अद्यतन किया जाता है। आपकी कम्पनी और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार जोखिम न्यूनीकरण और रणनीति योजना को वित्तीय वर्ष 2012-2013 से लागू किया गया है।

ज) SWOT विश्लेषण

ताकत

- **बह- अनुशासनात्मक इंजीनियरिंग संगठन -** कम्पनी एक बहुमुखी संगठन है, जो भारत और विश्व स्तर पर डिजाइन, इंजीनियरिंग, निर्माण, ईपीसी समाधान और परियोजना प्रबंधन परामर्श (पीएमसी) सेवाओं की विविध श्रृंखला प्रदान करती है।
- **विशेषज्ञता -** बी एण्ड आर के पास विभिन्न औद्योगिक/प्रक्रिया संयंत्रों में ईपीसी अनुबंध को मद दर संविदा और ओपन बुक प्राक्कलन (ओबीई)

आधार पर निष्पादित करने की विशिष्ट साख है। कम्पनी पहले से ही कार्यान्वयन कर रही है और विभिन्न केंद्रीय / राज्य सरकार की परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन सलाहकार के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएं है।

- **क्षेत्रीय उपस्थिति -** कम्पनी विभिन्न क्षेत्रों जैसे तेल और गैस, बिजली, इस्पात, एल्यूमीनियम, रसायन और उर्वरक, रेलवे, रोडवेज, बंदरगाहों और जेटी में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए अनुबंध निष्पादित करती है।

- **पैन इण्डिया उपस्थिति -** कम्पनी का कॉर्पोरेट कार्यालय कोलकाता में है और कर्मशाला हावड़ा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। कम्पनी की दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, भुवनेश्वर, कोलकाता और गुवाहाटी में आंचलिक कार्यालयों के अलावा रांची, प्रयागराज, वडोदरा और विशाखापत्तनम में अन्य क्षेत्रीय / परियोजना कार्यालयों के साथ देश भर में स्थित लगभग 120 परियोजना स्थलों की निगरानी और नियंत्रण में आसानी के लिए एक अखिल भारतीय उपस्थिति है।

- **लगातार लाभ और संधारणीय निवल मूल्य** – बी एण्ड आर का लगातार लाभ कमाने वाली कम्पनी होने का एक उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड है।

- **सुनिश्चित गुणवत्ता और सुरक्षा** – बी एण्ड आर के पास आईएसओ 9001:2015 के अनुसार सुनिश्चित गुणवत्ता के साथ सेवाएं देने का एक सिद्ध रिकॉर्ड है और यह व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएच और एसएमएस) आईएसओ 45001:2018 के साथ भी मान्यता प्राप्त है।

- **तकनीकी जनशक्ति विशेषज्ञता -** कम्पनी के पास सीपीएसयू निर्माण कंपनियों के बीच स्थायी कैडर में अनुभवी और योग्य तकनीकी जनशक्ति का एक बड़ा संसाधन है। भर्ती देश के विभिन्न हिस्सों से की जाती है और कई करियर विकल्प हैं जो देश भर में अच्छे मानव संसाधनों को आकर्षित करते हैं।

- **मजबूत मानव संसाधन प्रबंधन -** संसाधन अनुकूलन और प्लेसमेंट, क्षमताओं को तैयार करना और बढ़ाना कर्मचारियों को उनकी व्यक्तिगत क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निर्माण, परियोजना, अनुबंध और वित्तीय प्रबंधन, कौशल विकास, आदि से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करना जा सके।

- **इन-हाउस डिजाइन एवं इंजीनियरिंग -** बी एण्ड आर के पास इन-हाउस डिजाइन एवं इंजीनियरिंग विशेषज्ञता है।

- **कर्मशाला -** बी एण्ड आर की हावड़ा, पश्चिम बंगाल में एक कर्मशाला है जो विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती है, साथ ही परियोजना निर्माण गतिविधियों के मुख्य व्यवसाय के लिए फीडर इकाई की भूमिका निभाती है।

कमजोरियों

- **निवेश के लिए सीमित संसाधन-** अपने व्यापार की मात्रा का विस्तार करने के लिए, उन्नत और कुशल तकनीक को अपनाने की आवश्यकता होती है जिसके लिए आधुनिक उपकरणों की आवश्यकता होती है।

अवसर

- **व्यापार विस्तार:**

  ➤ भारतीय अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में तेजी और भारत सरकार के निवेश से तेल और गैस, अवसंरचना और रसायन एवं उर्वरक क्षेत्रों में व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिए व्यापक अवसर प्राप्त हुए हैं।

  ➤ निजी क्षेत्र में तेल और गैस, इस्पात, बिजली, बंदरगाह और जेटी, हवाई अड्डे आदि जैसे क्षेत्रों में भी प्रमुख गुंजाइश है।

- **विविधीकरण -** फ्लू गैस डिसल्फराइजेशन यूनिट, बायो-रिफाइनरियों, नदियों को आपस में जोड़ने की परियोजनाओं, पेयजल आपूर्ति प्रणाली, नदी ड्रेजिंग, एलएनजी टर्मिनलों आदि में विस्तार।

- **अंतरराष्ट्रीय परियोजनाएं -** अवसंरचना परियोजनाओं के क्षेत्र में विश्व स्तर पर विस्तार करना, लगातार विकास बनाए रखने और उच्च लाभ मार्जिन के साथ कम्पनी के कारोबार को बढ़ाना।

खतरे

- **प्रतिस्पर्धा -** बी एण्ड आर को कम परिचालन लागत वाली निजी संस्थाओं से कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है।
- **असामान्य मूल्य वृद्धि -** इस्पात, सीमेंट, रेत, आदि जैसे कच्चे माल की कीमत और ईंधन लागत में असामान्य मूल्य वृद्धि हुई है, जिसके कारण परियोजना लागत में जबरदस्त वृद्धि हुई है, जिससे लाभप्रदता मार्जिन कम हो गया है।
- **परियोजना का ओवररन -** ग्राहक द्वारा कार्य के मोर्चे और अन्य संसाधनों जैसे ड्राइंग, फ्री इश्यू मटेरियल्स आदि को जारी करने में देरी के परिणामस्वरूप परियोजना की समय सीमा बढ़ गई है जिससे परियोजना लागत में वृद्धि हुई है।

झ) ऊर्जा संरक्षण :

कम्पनी ऊर्जा कुशल उपायों को अपनाकर ऊर्जा की बचत और संरक्षण के लिए निरंतर पहल कर रही है। कर्मचारियों के बीच जागरूकता पैदा करना, उपकरणों का आवधिक रखरखाव, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना और उपयोग में नहीं होने पर ऊर्जा खपत करने वाले उपकरणों को बंद करना बुनियादी दृष्टिकोण है।

ऊर्जा संरक्षण न केवल सीमित संसाधनों का यथा संभव जब समय तक उपयोग करना है, बल्कि अतिरिक्त उपयोग का समर्थन करने के लिए वैकल्पिक स्रोतों की तलाश भी है।

ऊर्जा खपत तकनीकों की सिफारिश के लिए बाहरी विशेषज्ञों द्वारा प्रतिवर्ष विस्तृत ऊर्जा लेखा परीक्षा की जाती है और कम्पनी तदनुसार सिफारिशों को कार्यान्वित करती है।

हावड़ा वर्कशॉप बे में एग्जॉस्ट ब्लोअर पंखे के स्थान पर पवन चालित टर्बो वेंटिलेटर की स्थापना ऊर्जा के संरक्षण की दिशा में उठाए गए कदमों में से एक है। और 40 टर्बो वेंटिलेटर स्थापित किए गए हैं जिससे सालाना 3,744 यूनिट बिजली की बचत हो रही है। नेट मीटर के माध्यम से सौर उत्पादन संयंत्र उत्पादन को 26 किलोवाट (कुल 30 किलोवाट) तक बढ़ाता है जो एक वर्ष में 50,000 यूनिट (लगभग) का उत्पादन करेगा और इसे 45 किलोवाट तक बढ़ाने की योजना है। प्रकाश सर्किट में टाइमर की शुरूआत भी हमारे हावड़ा वर्क्स में एक सफल उद्यम रहा है, जिससे रात में जब कोई उत्पादन गतिविधि नहीं होती है तो लैंप बंद करके प्रति माह कम से कम 10,000 यूनिट (लगभग) विद्युत ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है ।

ऊर्जा लेखापरीक्षकों की सिफारिश के अनुसार, कम्पनी कार्यशाला के अंदर दिन के समय रोशनी के उपयोग को कम करने के लिए कार्यशाला में डे लाइट पाइप पेश करेगी। इससे सालाना 4,000 यूनिट बिजली बचाने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, पावर फैक्टर की लगातार निगरानी की जा रही है और पावर फैक्टर को 0.95 पर बढ़ाने और बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पुराने कंप्रेसर के स्थान पर पोर्टेबल कंप्रेसर स्थापित करने की योजना है जो सालाना कम से कम 34,199 यूनिट बिजली बचाएगा; कार्यालय में अधिभोग सेंसर की शुरूआत जो 3,001 इकाइयों की बचत करेगी; पुरानी एयर कंडीशनर इकाइयों को नई बीईई रेटेड एयर कंडीशनिंग इकाइयों के साथ बदलना।

ऊर्जा उपयोग संबंधी एक रिपोर्ट अनुलग्नक-I के अनुसार संलग्न है।

ञ) अनुसंधान व विकास और तकनीकी उपलब्धियां:

कम्पनी अनुसंधान एवं विकास प्रयासों के साथ-साथ प्रौद्योगिकी को अद्यतन करने और गुणवत्ता मानकों को उन्नत करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। कम्पनी का लक्ष्य सहयोग के साथ मिलकर इन-हाउस विकास के विवेकपूर्ण मिश्रण से इसे प्राप्त करना है। व्यवसाय रणनीति और कॉर्पोरेट पोर्टफोलियो को संरेखित करके, कम्पनी बदलते व्यावसायिक वातावरण और सरकारी नीतियों के बीच एक विजयी प्रस्ताव बनाने का प्रयास करती है। कम्पनी के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को पिछले एक साल में नए सिरे से नया रूप दिया गया है, जिसमें छोटी अवधि में बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार नए उत्पादों और सेवाओं को पेश करने के साथ-साथ भारत सरकार की नीति के अनुरूप उभरते और भविष्य के क्षेत्रों में काम करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित किया गया है।

कम्पनी ने पारस थर्मल पावर स्टेशन परियोजना में अपनी परियोजना के लिए वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) घटकों के डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 की अपेक्षाओं के अनुपालन में अनुसंधान और विकास, प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुकूलन के विवरण इस रिपोर्ट के भाग के रूप में अनुबंध-II अनुसूची में संलग्न हैं।

4.0 मानव संसाधन विकास :

कम्पनी का मानना है कि उसके कर्मचारियों की क्षमता सभी क्षेत्रों में सफलता की कुंजी है। कम्पनी हमेशा अपने कर्मचारियों की क्षमता को महत्व देती है और सभी कर्मचारियों के लिए एक सुरक्षित, अनुकूल कार्य वातावरण सुनिश्चित करती है। कम्पनी का प्रबंधन अपने ज्ञान और कौशल को लगातार उन्नत करके एक सक्षम और अत्यधिक उत्तरदायी मानव संसाधन को बढ़ावा देता है जो उन्हें समकालीन तकनीकी प्रगति के अनुकूल बनाने में सक्षम बनाता है। कम्पनी रोजगार के विभिन्न पहलुओं को नियंत्रित करने के लिए एक तर्कसंगत दृष्टिकोण अपनाती है। इस वर्ष, कम्पनी ने कर्मचारियों द्वारा उनकी सेवा के नियमों और शर्तों के अनुसार पालन की जाने वाली सभी शक्तियों की अनुसूची (एसओपी) की समीक्षा शुरू की है।

कर्मचारी पोर्टल का उन्नयन:

कम्पनी ने हाल ही में कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध कर्मचारी पोर्टल का उन्नयन किया है जिससे कर्मचारियों को सभी प्रासंगिक सेवा संबंधी जानकारी जैसे छुट्टी, वेतन, पर्यटन और यात्रा, प्रतिपूर्ति आदि मिल सकती है। यह पोर्टल, एक डाइनेमिक पोर्टल होने के नाते, कर्मचारियों के लिए एक उपयोगी मंच बन गया है, जहां वे सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और जब भी आवश्यक हो, संबंधित प्राधिकारी के साथ बातचीत कर सकते हैं।

10 अगस्त, 2022 को निदेशकों की अध्यक्षता में कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में "भारत के औद्योगिक और आर्थिक विकास की दिशा में ब्रिज एण्ड रूफ का योगदान" पर वेबिनार का आयोजन किया गया था।

वेबिनार और वेब-लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षण:

कर्मचारियों के प्रशिक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। कम्पनी कर्मचारियों की पेशेवर और प्रबंधकीय दक्षताओं को बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करती है। इस वर्ष, देश के विभिन्न स्थानों पर तैनात लगभग 275 (दो सौ पचहत्तर) कर्मचारियों को वेबिनार और वेब लर्निंग मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें ई-अधिप्राप्ति, जीईएम दिशानिर्देश, नए श्रम संहिता, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, संविदात्मक विवादों को संभालना, मध्यस्थता और परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण। आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत आवेदन, सार्वजनिक खरीद में सुरक्षा उपाय और सामान्य वित्तीय नियम (जीएफआर) आदि शामिल है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों की उच्च गुणवत्ता और प्रभावकारिता बनाए रखने के लिए, कम्पनी ने पश्चिम बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, भारतीय प्रबंधन संसथान, कोलकाता, राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज ऑफ इण्डिया, परिवर्तन राजभाषा अकादमी, स्कोप-आईपीएमए, नई दिल्ली आदि जैसे संस्थानों से संपर्क किया है।

उपर्युक्त के अलावा, कम्पनी भारत सरकार के निर्देशानुसार नियमित रूप से रक्तदान अमृत महोत्सव, आजादी की अमृत महोत्सव (एकेएएम) और देश की आजादी की 75वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर हर घर तिरंगा, हिंदी या राजभाषा पखवाड़ा, स्वच्छता पखवाड़ा आदि जहां विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों को भाग

लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016 से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना भी शुरू कर दिया है, जिससे इच्छुक कर्मचारी शारीरिक फिटनेस के लिए योग प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेते हैं।

हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, श्री राजेश कुमार सिंह ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित समझौता ज्ञापन डैशबोर्ड और दिशानिर्देशों पर आउट-रीच कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान दीप प्रज्ज्वलन में भाग लिया।

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न:

कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण पर एक विस्तृत नीति बनाई है। यौन उत्पीड़न के संबंध में प्राप्त शिकायतों के निवारण के लिए आंतरिक समिति (आईसी) का गठन किया गया है। यह अपने नियमित, आउटसोर्स कर्मचारियों और आगंतुकों सहित सभी महिलाओं को एक सुरक्षित आश्रय प्रदान करता है।

वित्त वर्ष 2022-23 के संबंध में कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के संबंध में प्रकटीकरण निम्नानुसार है:

क) वित्तीय वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

ख) वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या: शून्य

ग) वित्तीय वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या: शून्य

घ) वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की संख्या: शून्य

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) और निदेशक (वित्त) के नेतृत्व में कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ योग के अभ्यास और सामान्य योग प्रोटोकॉल के अवलोकन के बारे में जागरूकता कार्यक्रम।

हावड़ा कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह 8 मार्च 2023 को मनाया गया।

योग दिवस के अवसर पर कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में योगाभ्यास किया।

ब्रिज एण्ड रूफ के सीएमडी श्री राजेश कुमार सिंह ने 16 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित गवर्नेंस नाउ 9 वें पीएसयू अवार्ड्स में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा से प्रतिष्ठित "सीएमडी लीडरशिप अवार्ड" प्राप्त किया।

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, 2022 को ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर माननीय भारी उद्योग मंत्री के नेतृत्व में मनाया गया। ब्रिज एण्ड रूफ के वरिष्ठ अधिकारियों ने सामूहिक योग प्रदर्शन में भाग लिया।

16 अगस्त, 2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय, हावड़ा कार्यशाला, आंचलिक कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और सभी परियोजना स्थलों पर अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, निदेशक (वित्त), निदेशक (परियोजना प्रबंधन) और बी एण्ड आर के अन्य कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता शपथ ली गई

बी एंड आर को एसोचैम द्वारा आयोजित एमएसएमई कॉन्क्लेव में डॉ. शशि पांजा, माननीय मंत्री, उद्योग, वाणिज्य और उद्यम विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार से "श्रेणी की गुणवत्ता, लागत प्रबंधन, परिचालन उत्कृष्टता और उत्पादकता में सुधार में सर्वश्रेष्ठ" का पुरस्कार मिला है। 02 दिसम्बर, 2022।

अनुसूचित जनजाति और विकलांगों का प्रतिनिधित्व :

डीपीई के दिनांक 14 नवम्बर, 2008 के ओएम सं 36035/17/2008-एस्ट(आरईएस) के अनुपालन में अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विकलांग व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की स्थिति प्रदान करने के लिए दो निर्धारित प्रारूपों में सूचना अनुलग्नक के रूप में प्रस्तुत की गई है।

ये कम्पनी के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसा कि अनुलग्नक III और IV में संलग्न है, जो इस वार्षिक रिपोर्ट का हिस्सा है।

कैट के निर्णयों/आदेशों का कार्यान्वयन :

कम्पनी को अपने निर्णयों/आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण के क्षेत्राधिकार में शामिल किए जाने के लिए अभी अधिसूचित किया जाना है।

हिन्दी का प्रगामी प्रयोग :

बी एण्ड आर की राजभाषा कार्यान्वयन समिति (ओएलआईसी) - बी एण्ड

राजभाषा पखवाड़ा, 2022 का समापन समारोह 29 सितंबर, 2022 को कॉर्पोरेट कार्यालय, कोलकाता में आयोजित किया गया था। राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्यों की उपस्थिति में श्री सुप्रकाश चट्टोपाध्याय, कार्यकारी निदेशक (कॉर्पोरेट सेवाएं) द्वारा कर्मचारियों को प्रशंसा और भागीदारी प्रमाण पत्र वितरित किए गए।

आर 'हिंदी के प्रगामी उपयोग' के संबंध में विभिन्न वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने और कम्पनी के दिन-प्रतिदिन के कामकाज में इसके उपयोग के बारे में कर्मचारियों की जागरूकता बढ़ाने के लिए लगातार अपने प्रयासों को आगे बढ़ा रही है, इस संबंध में प्राप्त प्रगति की समीक्षा और निगरानी करने के लिए, वर्ष के दौरान ओएलआईसी बैठकें आयोजित की गईं। इस वर्ष मई माह के दौरान आयोजित मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में कम्पनी की ओर से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक ने एक प्रस्तुति दी। निदेशक (वित्त) ने भी बैठक में भाग लिया। 14 से 28 सितंबर, 2022 तक 'राजभाषा पखवाड़ा' मनाया गया और 'पखवाड़ा' के दौरान विभिन्न हिंदी कार्यक्रम/प्रतियोगिताएं आदि आयोजित की गईं और विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार वितरित किए गए। कर्मचारियों में रुचि पैदा करने और उनकी शब्दावली बढ़ाने के लिए एक हिंदी शब्द/ वाक्यांश इसके अंग्रेजी समकक्ष के साथ सफ़ेद पट्ट पर लिखा जाता है और कार्यालय परिसर में प्रमुख स्थानों पर प्रदर्शित किया जाता है। कम्पनी गृह मंत्रालय (भारत सरकार) के तहत नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (पीएसयू)-कोलकाता (कालटॉलिक) की एक सक्रिय समिति सदस्य है और इसके सभी कार्यक्रमों / गतिविधियों में सक्रिय भाग लेती है। "राजभाषा कार्यान्वयन समिति" की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार, कोलकाता में कर्मचारियों के लिए पाठ्यक्रम की "प्रज्ञा" कक्षाओं का वर्तमान सत्र शुरू किया गया था।

5.0 स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्यावरण प्रबंधन और प्रदूषण नियंत्रण:

बी एण्ड आर लगातार अपने व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएचएसएमएस) को बनाए रख रही है और अपने आईएसओ 45001:2018 प्रमाणन के अनुरूप है, जो विभिन्न प्रतिष्ठित संगठनों से आदेश प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बी एण्ड आर के पास मजबूत और प्रभावी स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण (एचएसई) नीतियां हैं। ये नीतियां ओएचएसएमएस (आईएसओ 45001: 2018) का एक अभिन्न अंग हैं और पूरी प्रतिबद्धता के साथ लागू अधिनियमों और नियमों के अनुपालन सहित पूरे परियोजना स्थलों और कार्य प्रभाग में लागू की जा रही हैं। आंतरिक लेखा परीक्षा और प्रबंधन समीक्षा नियमित अंतराल पर की जाती है ताकि आगे के सुधारों की गुंजाइश की पहचान की जा सके और प्रभावशीलता को मापा जा सके। एचएसई लक्ष्य हैं (1) कार्यस्थल पर शून्य दुर्घटना (2) सुदृढ़ एचएसई प्रणाली को बनाए रखने के प्रति कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और उत्तरदायी दृष्टिकोण को आत्मसात करना और बनाए रखना। (3) कर्मचारियों के सभी स्तरों से शत प्रतिशत घटना की रिपोर्टिंग।

i) कोविड दिशा-निर्देशों का अनुपालन

कम्पनी ने केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्रासंगिक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया है और कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन किया है जिसमें सभी कार्यालय परिसरों का नियमित स्वच्छता, कर्मचारियों को मास्क और सैनिटाइज़र प्रदान करना, कम्पनी की लागत पर आरटीपीसीआर परीक्षण शामिल है।

ii) कोरोना कवच नीति

कम्पनी ने सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी से कर्मचारियों के लिए 'कोरोना कवच पॉलिसी' खरीदी, जिससे कर्मचारी को कोविड-19 के इलाज के लिए लाभ मिला। एकबारगी अनुग्रह राशि का भुगतान भी लागू किया गया है जो उन कर्मचारियों के परिवारों को सौंपा जाना है जिनकी कोविड-19 के कारण संक्रमण के कारण दुर्भाग्यवश मृत्यु हो सकती है। कर्मचारियों को कोविड-19 टीकाकरण की लागत की प्रतिपूर्ति भी की जा रही थी। कर्मचारियों को स्थिति के आधार पर 'घर से काम' करने या रोस्टर के अनुसार काम करने की सुविधा भी दी जा रही है।

iii) गंभीर बीमारी से पीड़ित कर्मचारियों के लिए अस्पताल में भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति

गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, हृदय या गुर्दे की बीमारी, स्ट्रोक के परिणामस्वरूप स्थायी लक्षण, अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण सहित प्रमुख अंग, अंगों का स्थायी पक्षाघात, स्थायी लक्षणों के साथ मोटर न्यूरॉन रोग, सार्स कोविड 19 आदि से पीड़ित कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए कम्पनी ने कुछ शर्तों के अधीन संबंधित कर्मचारियों को अस्पताल में भर्ती शुल्क की प्रतिपूर्ति करने के लिए एक चिकित्सा नीति शुरू की है।

iv) कम्पनी व्यवसाय स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (ओएच और एसएमएस) आईएसओ 45001:2018 के साथ भी मान्यता प्राप्त है।

v) कम्पनी ने संबंधित ग्राहक के एचएसई प्रबंधन प्रणाली ढांचे के अनुरूप विभिन्न परियोजनाओं में एचएसई प्रबंधन प्रणाली लागू की है। इस एचएसई प्रबंधन प्रणाली का उद्देश्य यह परिभाषित करना और समझाना है कि परियोजना के लिए निष्पादन अवधि के दौरान स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण के क्षेत्रों पर एचएसई प्रबंधन प्रणाली को कैसे लागू किया जाएगा और उसका पालन किया जाएगा। एचएसई प्रबंधन प्रणाली में मोटे तौर पर एचएसई जागरूकता कार्यक्रम, जोखिम प्रबंधन, स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रबंधन, पर्यावरण प्रबंधन योजना आदि शामिल हैं। एचएसई प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन परियोजना में विभिन्न एचएसई प्रथाओं अर्थात् कौशल और प्रशिक्षण, साइट पर प्रेरण, प्रबंधन के साथ एचएसई बैठक, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई), एचएसई साइन बोर्ड, उपकरण अनुवर्ती आदि के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। एचएसई प्रबंधन प्रणाली की निगरानी और समीक्षा एचएसई वॉकथ्रू, एचएसई प्रबंधन दौरे, साइट ऑडिट कार्यक्रम, एचएसई मासिक रिपोर्टिंग, एचएसई अनियोजित घटनाओं की रिपोर्टिंग, घटना जांच प्रक्रिया, सुधारात्मक और निवारक कार्रवाई अनुवर्ती, फ्लैश दुर्घटना संचार आदि के माध्यम से आयोजित की जाती है।

vi) प्रशिक्षण कार्यक्रम

प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों/संस्थानों को आमंत्रित करते हुए 2022-23 के दौरान कम्पनी के कर्मचारियों के लिए विभिन्न एचएसई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड ने 16 जनवरी 2023 को कम्पनी की हावड़ा कार्यशाला में एकेएएम समारोह मनाने के लिए स्वास्थ्य जागरूकता और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया।

विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून 2022 पर, ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड ने अपनी हावड़ा कार्यशाला में रक्तदान शिविर का आयोजन किया।

विश्व रक्तदाता दिवस, 14 जून, 2022 पर ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के निदेशकों और अन्य अधिकारियों द्वारा शपथ ली गई।

6.0 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व गतिविधियाँ :

यह सुनिश्चित किया जाता है कि कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) गतिविधियां कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 और कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 से संबंधित अनुसूची-VII और उनमें संशोधनों के अनुसार की जाती हैं, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा विस्तृत किया गया है और सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर गतिविधियां:

वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर विषयगत परियोजना 'स्वास्थ्य और पोषण' थी। इस संबंध में की गई परियोजनाएं इस प्रकार हैं:

- उत्तर प्रदेश के चंदौली और सोनभद्र, उत्तर प्रदेश (कम्पनी के परियोजना स्थल के पास स्थानीय क्षेत्र) के आकांक्षी जिलों में दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित मालवीय डेंटल इम्प्लांट की सेवाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता।
- "स्रोतोश्विनी ट्रस्ट के लिए लसुंद्रा, वडोदरा में वंचित बच्चों के लिए बनाए गए पाठशाला छात्रावास के संचालन के खर्च" (कम्पनी की परियोजना स्थल के पास स्थानीय क्षेत्र) के लिए वित्तीय सहायता।

अन्य सीएसआर परियोजनाएं:

- कम्पनी ने सिलाई मशीनों और कढ़ाई पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कौशल विकास निगम, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत परिधान मेड-अप और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल (एएमएचएसएससी) के साथ भी करार किया है।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के प्रावधानों और उसमें इसके संशोधनों के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एक विस्तृत सीएसआर रिपोर्ट अनुबंध-5 के माध्यम से संलग्न की जा रही है।

19 दिसंबर, 2022 को लखनऊ में परिधान मेड-अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल के माध्यम से वित्त वर्ष 2021-22 के लिए ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड की सीएसआर पहल के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले सफल उम्मीदवारों के लिए प्रमाण पत्र वितरण समारोह।

7.0 कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था:

कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट संलग्न है और यह इस रिपोर्ट का हिस्सा है।

8.0 लेखा परीक्षा समिति :

वित्तीय वर्ष 2022-23 में लेखा परीक्षा समिति का पुनर्गठन नहीं किया गया था।

दिनांक 17.10.2019 के आदेश संख्या 3(8)/2007-पीई.IV के अनुसरण में, निदेशक (वित्त) श्री पी. पी. बोस का कार्यकाल 31.12.2022 को उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो गया।

दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश संख्या 3(27)/2010 पीई.IV के अनुसरण में श्रीमती लक्ष्मी सुरेश का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को तीन वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो गया।

इसलिए, समिति में 31.03.2023 तक निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, श्री ए के घोष, सदस्य; श्री बी बिश्वास, सदस्य; श्री ए चतुर्वेदी, सदस्य और श्री एस कृष्ण कुमार, सदस्य।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान 30.05.2022, 08.08.2022, 17.09.2022 और 23.12.2022 को लेखापरीक्षा समिति की चार बैठकें आयोजित की गईं।

9.0 कॉपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति:

वित्त वर्ष 2022-23 में सीएसआर समिति का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया था।

दिनांक 17.10.2019 के आदेश संख्या 3(8)/2007-पीई.IV के अनुसरण में, निदेशक (वित्त) श्री पी. पी. बोस का कार्यकाल 31.12.2022 को उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो गया।

दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश संख्या 3(27)/2010 पीई.IV के अनुसरण में श्रीमती लक्ष्मी सुरेश का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को तीन वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो गया।

इसलिए, समिति में 31.03.2023 तक निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, श्री ए के घोष, सदस्य; श्री बी बिश्वास, सदस्य; श्री ए चतुर्वेदी, सदस्य और श्री एस कृष्ण कुमार, सदस्य।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान सीएसआर समिति की तीन बैठकें 30.05.2022, 17.09.2022 और 17.02.2023 को आयोजित की गईं।

10.0 नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का कोई पुनर्गठन नहीं किया गया था।

दिनांक 17.10.2019 के आदेश संख्या 3(8)/2007-पीई.IV के अनुसरण में, निदेशक (वित्त) श्री पी.पी.बोस का कार्यकाल 31.12.2022 को उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो गया।

दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश संख्या 3(27)/2010 पीई.IV के अनुसरण में श्रीमती लक्ष्मी सुरेश का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को तीन वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो गया।

इसलिए, समिति में 31.03.2023 तक निम्नलिखित सदस्य शामिल थे, श्री एके घोष, सदस्य; श्री बी बिश्वास, सदस्य; श्री ए चतुर्वेदी, सदस्य और श्री एस कृष्ण कुमार, सदस्य।

वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक बैठक 17.02.2023 को आयोजित की गई थी।

11.0 निदेशकों की उत्तरदायित्व विवरणी :

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (5) के तहत आवश्यकता के अनुसार, यह पुष्टि की जाती है कि:

(क) वार्षिक खातों की तैयारी में, सामग्री प्रस्थान से संबंधित उचित स्पष्टीकरण के साथ-साथ लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया था;

(ख) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया था और उन्हें लगातार लागू किया था और निर्णय और अनुमान लगाए थे जो उचित और विवेकपूर्ण हैं ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कम्पनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कम्पनी के लाभ का सही और निष्पक्ष दृश्य दिया जा सके;

(ग) निदेशकों ने कम्पनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए उचित और पर्याप्त देखभाल की थी;

(घ) निदेशकों ने वार्षिक लेखाओं को एक सतत चिंता के आधार पर तैयार किया था;

(उ) निदेशकों ने कम्पनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए थे और इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे; और

(ऊ) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं और प्रभावी ढंग से काम कर रही थीं।

12.0 आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और उनकी पर्याप्तता:

कम्पनी ने निष्पादनाधीन कम्पनी के सभी स्थलों के संबंध में प्रचालन के प्रमुख क्षेत्रों के संबंध में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणालियां स्थापित की हैं।

13.0 सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) कार्यान्वयन

कम्पनी पिछले दशक से लेखा और वित्त मॉड्यूल, पेरोल एण्ड एचआर मॉड्यूल, खरीद और भंडार मॉड्यूल (विनिर्माण इकाई में) के लिए **ओरेकल ई-बिजनेस सुइट्स ईआरपी सिस्टम** चला रही है, जिसमें खुद के डेटा सेंटर, उच्च स्तरिय एण्ड सर्वर, एस ए एन, डीआर एण्ड आर एम ए एन स्थापना आदि जैसे बुनियादी ढांचे और सेटअप हैं।

कम्पनी की ई-मेल सेवा अब 30 एमबीपीएस आईआईएल बैकबोन और बैकअप लाइन के साथ राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार के पास है और **कवच कि शुरूआत** करके उच्च स्तरीय सुरक्षा सुनिश्चित की गई है।

कम्पनी 'एसेट मैनेजमेंट सिस्टम' और विभिन्न डेटा कैप्चरिंग सिस्टम, कर्मचारी सूचना प्रणाली के लिए अपना स्वयं ऑनलाइन पोर्टल चला रही है।

कम्पनी पिछले आठ (08) वर्षों से केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल और पश्चिम बंगाल सरकार के पोर्टल के माध्यम से ई-अधिप्राप्ति प्रणाली चला रही है।

स्टूडियो आधारित और सॉफ्टवेयर आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) सिस्टम दोनों चालू हैं।

कम्पनी ने ऑनलाइन फ्लैट आवंटन प्रणाली, विक्रेता बिल ट्रैकिंग सिस्टम, ऑनलाइन संपत्ति रिटर्न प्रणाली और क्रेडेंशियल क्षमता प्रणाली आदि भी पेश की।

व्यवसाय केंद्रित दृष्टिकोण के साथ पूरी कम्पनी की वेबसाइट को तरह से नए रूप और अनुभव के साथ नवीनीकृत किया गया

कुशल, प्रभावी और पारदर्शी तरीके से भौतिक माध्यम से डिजिटल माध्यम तक फाइल की सभी आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी ने ई-ऑफिस सिस्टम की शुरुआत की।

कम्पनी को छत्तीसगढ़ में सेल के भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के आधुनिकीकरण और विस्तार के तहत प्लांट वाइड डेटा नेटवर्क (पीडब्ल्यूएन) और फायर डिटेक्शन एण्ड अलार्म (एफडीए) मॉनिटरिंग सिस्टम (पैकेज -145) के आईटी कार्य के लिए कमीशनिंग सर्टिफिकेट और प्रदर्शन गारंटी प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ (ऑर्डर मूल्य: 23.61 करोड़ रुपये)।

आईटी अवसंरचना परियोजना प्रभाग ने विभिन्न अस्पतालों और संस्थानों के लिए नेटवर्किंग, सर्वर, सीसीटीवी निगरानी और डेटाबेस की आपूर्ति, स्थापना, कॉन्फ़िगरेशन और कमीशनिंग के लिए स्मार्ट आईटी समाधान तैयार किए हैं।

अब पश्चिम बंगाल संयुक्त प्रवेशबोर्ड का कम्प्यूटरीकरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है।

बिना किसी लागत के कॉर्पोरेट कार्यालय के सभी टेलीफोन कनेक्शनों की तांबे की लाइन को फाइबर लाइन में परिवर्तित किया गया है।

कॉर्पोरेट कार्यालय में बिना किसी लागत के इंटरनेट बैकबोन को 25 एमबीपीएस से 60 एमबीपीएस तक बढ़ाएं गए हैं।

अनुरोध पर आईओटीएल/पारादीप कार्य के लिए दस्तावेज़ प्रबंधन प्रणाली शुरू की गई है।

सभी परियोजना स्थलों और कार्यालयों में बायो-मेट्रिक उपस्थिति शुरूआत की गई है।

कोलकाता कॉर्पोरेट कार्यालय में निगरानी प्रणाली शुरू की गई है।

वेबसाइट के निविदा पोर्टल में टीसीई/टीसीआर और एलओआई को दर्शाते हुए पारदर्शी निविदा प्रक्रिया शुरू की गई।

ईआरपी और केंद्रीय भुगतान प्रसंस्करण प्रणालियों के माध्यम से ऑनलाइन बैंकिंग प्रणाली का विकास और कार्यान्वयन।

5 अप्रैल 2022 को अन्य निदेशकों की उपस्थिति में हमारे सीएमडी, श्री राजेश कुमार सिंह द्वारा कम्पनी में ई-ऑफिस प्रणाली का उद्घाटन

14.0 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली:

बी एण्ड आर कम्पनी के भीतर गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों की बेहतरी के लिए निरंतर प्रक्रिया में है। कम्पनी को आईएसओ 9001:2015 में अपडेट किए जाने पर गर्व है:

(अ) अवसंरचना, औद्योगिक और अन्य निर्माण परियोजनाओं के क्षेत्र में परियोजना प्रबंधन परामर्श सहित निर्माण परियोजनाओं के डिजाइन, इंजीनियरिंग, खरीद, निर्माण और प्रबंधन में बहु-विषयक सेवाएं;

(आ) बेली प्रकार के यूनिट ब्रिज, बंक हाउस और स्टील स्ट्रक्चरल का डिजाइन, निर्माण और आपूर्ति

निगरानी लेखा परीक्षा बाह्य लेखापरीक्षकों डीएनवी-जीएल द्वारा सफलतापूर्वक की गई है।

15.0 निदेशक

दिनांक 17.10.2019 के आदेश संख्या 3(8)/2007-पीई.IV के अनुसरण में, निदेशक (वित्त) श्री पी. पी. बोस का कार्यकाल 31.12.2022 को उनकी सेवानिवृत्ति पर समाप्त हो गया।

दिनांक 21 फरवरी 2020 के आदेश संख्या 3(27)/2010 पीई.IV के अनुसरण में श्रीमती लक्ष्मी सुरेश का कार्यकाल 20 फरवरी 2023 को तीन वर्ष पूरे होने पर समाप्त हो गया।

दिनांक 12.04.2023 के आदेश संख्या 3(14)/2022-पीई-IV/सीपीएसई-I के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री रवि कुमार की निदेशक (परियोजना प्रबंधन), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), कोलकाता के वेतनमान में रू. 1,60,000-2,90,000 आईडीए में पांच साल की अवधि के लिए जो उनके पद का कार्यभार कि तारीख या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।

श्री रवि कुमार ने दिनांक 15.04.2023 (एफएन) से कार्यभार ग्रहण किया था।

निदेशक (परियोजना प्रबंधन), (बी एण्ड आर) के रूप में श्री बिश्वजीत बिश्वास का कार्यकाल 14.04.2023 को समाप्त हो गया।

इसके अलावा, दिनांक 19.04.2023 के आदेश संख्या 3(11)/2021-पीई-IV/सीपीएसई-I के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इण्डिया लिमिटेड (ग्रिड-इण्डिया) के मुख्य महाप्रबंधक श्री नव रतन गुप्ता की निदेशक (वित्त), ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (बी एण्ड आर), कोलकाता के पद पर पद कार्यभार प्रदानी अवधि के लिए 1,60,000-2,90,000 (आईडीए) के वेतनदान पर नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, या उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक यानी 31.03.2027 तक, या अगले आदेश तक, जो भी जल्द हो।

श्री नव रतन गुप्ता ने 20.04.2023 से कार्यभार ग्रहण किया।

16.0 प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक:

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 203 के साथ-साथ कम्पनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के अनुसार, निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक थे:

1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) – श्री राजेश कुमार सिंह 08.10.2021 से

2) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) - श्री पार्थ प्रोतिम बोस 31.03.2022 तक

श्री राजेश कुमार दिनांक 01.01.2023 से

3) कम्पनी सचिव (सीएस) - श्रीमती राखी कर 01.04.2014 से।

17.0 भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन:

वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग के मार्गदर्शन में हर साल कम्पनी और उसके प्रशासनिक मंत्रालय यानी भारी उद्योग मंत्रालय के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, जिसमें वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले मापदंडों और उनके लक्ष्यों को निर्धारित किया जाता है। एमओयू मूल्यांकन वर्ष के पूरा होने पर वास्तविक उपलब्धि और लक्ष्यों के आधार पर किया जाता है जिसके आधार पर कम्पनी की समझौता ज्ञापन रेटिंग सौंपी जाती है। पिछले वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान कम्पनी ने "अच्छा" की रेटिंग हासिल की, जो इस वित्त वर्ष 2022-23 के लिए "बहुत अच्छा" होने की उम्मीद है।

18.0 सतर्कता तंत्र:

मुख्य सतर्कता अधिकारी के मार्गदर्शन में कम्पनी में सतर्कता विभाग प्रक्रिया में अनियमितताओं को रोकने की संज्ञानात्मक प्रक्रिया के माध्यम से भ्रष्टाचार को रोकने के लिए काम कर रही है। किसी संगठन के लोगों की गतिविधियों की निगरानी और अवैध लेन-देन से मुक्त एक स्वस्थ कामकाजी माहौल प्रदान करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सीवीसी, डीपीई, डीओपीटी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट नियमों और विनियमों का पालन करने पर अधिक जोर दिया गया है, न कि अपने कर्मचारी के कार्य में दोष खोजने पर। निर्माण उद्योग लगातर की बदलती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, प्रक्रिया में पारदर्शिता और बिना किसी उल्लंघन के नियमों और विनियमों का पालन करना और प्रणाली और प्रक्रियाओं का पालन करना बहुत महत्वपूर्ण है। सतर्कता की अवधारणा चूक होने की प्रतीक्षा को बढ़ावा नहीं देती है, लेकिन यह इस तथ्य पर काम करती है कि उन चूकों से कैसे बचा जा सकता है ताकि किसी भी नुकसान से बचा जा सके, इस प्रकार, कम्पनी निवारक सतर्कता की अवधारणा को बढ़ावा देती है। गतिविधियों की हर अवधि में नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के साथ-साथ अवैध गतिविधियों की प्रभावी स्कैनिंग और रिपोर्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। निवारक सतर्कता सुशासन प्रथाओं को सुनिश्चित करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और यह भ्रष्टाचार को खत्म करने का एक उपकरण है। कम्पनी निर्माण व्यावसायिक गतिविधियों के हर क्षेत्र में निवारक सतर्कता, नैतिक व्यवहार और पारदर्शिता के महत्व के साथ-साथ निरंतर निगरानी के माध्यम से अवैध गतिविधियों की प्रभावी स्कैनिंग के वातावरण को बढ़ावा देती है। कर्मचारी लागू कानूनों और विनियमों और आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए स्वतंत्र हैं। रिपोर्ट करने योग्य मामलों को नोडल अधिकारी के समक्ष प्रकट किया जा सकता है जो लेखा परीक्षा समिति की देखरेख में कार्य करता है। कर्मचारी लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष को भी रिपोर्ट कर सकते हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, किसी भी कर्मचारी को ऑडिट समिति तक पहुंच से वंचित नहीं किया गया।

19.0 आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी):

आपकी कम्पनी ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के अनुसार एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया है। वर्ष 2022-23 के दौरान यौन उत्पीड़न का कोई मामला सामने नहीं आया/निपटाया गया।

20.0 सांविधिक लेखा परीक्षक :

भारत सरकार ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत लेखा वर्ष 2022-2023 के लिए कम्पनी के वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में मैसर्स डी चक्रवर्ती एण्ड सेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोलकाता और मैसर्स नंदी एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कोलकाता को नियुक्त किया।

21.0 लागत लेखापरीक्षक:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 148 और उसके तहत नियमों के अनुसार, एक फर्म मेसर्स डीपीसी एण्ड एसोसिएट्स को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आम बैठक के समापन तक कम्पनी के लागत लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

22.0 सचिवीय लेखापरीक्षक:

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 204 और उसके तहत नियमों के अनुसार, एक फर्म मेसर्स सिद्धार्थ बैद, प्रैक्टिसिंग कम्पनी सेक्रेटरीज को वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आम बैठक के समापन तक कम्पनी के सचिवीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था।

23.0 वार्षिक विवरणी का सार

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 की उप-धारा 3 (ए) और धारा 92 की उप-धारा (3) के अनुसार कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12 के अनुसार 31 मार्च, 2022 तक वार्षिक रिटर्न के निष्कर्ष इस रिपोर्ट के अनुलग्नक VI के रूप में इस रिपोर्ट का हिस्सा हैं।

24.0 अभिस्वीकृति :

बोर्ड इस अवसर पर भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग मंत्रालय, राज्य सरकार, बैंकरों, लेखापरीक्षकों, मूल्यवान ग्राहकों, सहयोगियों, भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक और सबसे ऊपर कर्मचारियों को उनके समर्पण और प्रतिबद्धता के लिए प्राप्त समर्थन, मार्गदर्शन और सहायता के लिए अपनी गहरी प्रशंसा और आभार व्यक्त करता है। निदेशकों को आने वाले वर्षों में उनका समर्थन और सहयोग प्राप्त होने का विश्वास है।

निदेशक मंडल के लिए और उनकी ओर से

(राजेश कुमार सिंह)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

25 सितंबर 2023

अनुलग्नक-I

ऊर्जा के उपयोग पर रिपोर्ट

1. पीएसई का नाम: **ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड**

   (केवल हावड़ा वर्क्स के लिए)

2. पीएसई के उत्पाद/सेवाएं: निम्नलिखित उत्पादों का निर्माण/निर्माण

   आवश्यक अनुमोदन के साथ ग्राहकों के डिजाइन और ड्राइंग पर।

   i) संरचनात्मक (बंक हाउस / ब्रिज गर्डर)।

   ii) बेली ब्रिज

3. पिछले तीन वर्षों के दौरान ऊर्जा और कारोबार के विभिन्न रूपों का उपयोग (व्यय) (बिजली, डीजल, प्राकृतिक गैस - प्रत्येक का विवरण दें)

क्र सं:	ऊर्जा के रूप	वित्त वर्ष 2021-22			वित्त वर्ष 2022-23		
		ऊर्जा व्यय (लाख रुपये)	कारोबार (लाख रुपये)	%	ऊर्जा व्यय (लाख रुपये)	कारोबार (लाख रुपये)	%
1.	बिजली	109.22	3573.85	3.06	108.68	2332.54	4.66%
2.	एचएसडी	5.06		0.14	2.59		0.11%
3.	एल.पी.जी. और बीएमसीजी	3.10		0.08	3.92		0.17%
	कुल	117.38		3.28	115.19		4.94%

4. ऊर्जा लेखा परीक्षा का विवरण, यदि किया जाता है:

   a) कब (वर्ष) और किस एजेंसी द्वारा: वित्त वर्ष: 2021-22,

   मेसर्स ऊर्जा बचत और समाधान।

   37, मंझिलाडीह, डाक – बिराजपुर, धनबाद

   झारखंड-828113

   (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ऊर्जा लेखा परीक्षा प्रक्रियाधीन है)

   ख) ऊर्जा लेखा परीक्षा के लिए भुगतान की गई राशि: रु. 20,000/-

   ग) क्या ऊर्जा लेखा परीक्षा में संपूर्ण कवर किया गया था: लेखा परीक्षा में संपूर्ण हावड़ा कार्यशाला शामिल है।

   पीएसई यानी सभी इकाइयां या केवल कुछ हिस्से को।

   यदि भाग है, तो विवरण दें

   घ) कुल संख्या दी गई सिफारिशों की कुल संख्या: 5

5. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सिफारिशों के लिए वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान पहले से ही कदम/उपाय किए जा चुके हैं।

   (i) नो-लोड लॉस को कम करने के लिए 3 में से 1,750 केवीए ट्रांसफार्मर को बंद कर दिया गया है।

   ii) प्रकाश व्यवस्था के लिए हार्मोनिक शमन सुविधा के साथ अनन्य ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए हैं।

   iii) पुराने एसी को बीईई स्टार रेटेड एसी से बदलने के उपाय किए जा रहे हैं।

   iv) ऊर्जा प्रभावी एलईडी लाइटें चरणबद्ध तरीके से लगाई जा रही हैं।

अनुलग्नक-II

निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक

वित्त वर्ष 2022-23 के लिए अनुसंधान और विकास और तकनीकी उपलब्धियां

1. विशिष्ट क्षेत्र जहां अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियां की गईं: -

a) वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) घटकों का डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण।

2. अनुसंधान, विकास और तकनीकी उपलब्धियों के परिणामस्वरूप प्राप्त लाभ:

a) वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) घटकों का डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण।

(i) एक गैर-पुनर्योजी प्रक्रिया अपनाई गई जहां अवशोषक को पुनर्नवीनीकरण नहीं किया जाता है।

(ii) कोयला आधारित बिजली संयंत्र में वेट एफजीडी अनुप्रयोग के लिए द्रव्यमान और ऊर्जा संतुलन का अध्ययन किया गया।

(iii) वेट एफजीडी अवशोषक डीसल्फराइजेशन प्रभावशीलता, डीसल्फराइजेशन क्षमता, कच्चे जल प्रवाह की दर और दबाव में गिरावट के महत्वपूर्ण मापदंडों को निर्दिष्ट करते हुए विस्तृत डिजाइन रिपोर्ट तैयार करना।

(iv) आईडी फैन टैपिंग पॉइंट से बूस्टर फैन तक गैस डक्ट पथ की लंबाई कम करें और अंत में अनावश्यक मोड़ और बूंदों को समाप्त करके अवशोषक में प्रवेश करें।

(v) कच्चे गैस डक्टिंग सिस्टम को अब कई मोड़ों से बचाकर अधिक सुव्यवस्थित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप फ्लू पथ में दबाव में गिरावट गिरावट कम होती हैं। दबाव में गिरावट से अनुमानित बचत अस्थायी रूप से 100-125 पीए है। कम दबाव गिरावट के कारण, बूस्टर पंखो पर मार्जिन बढ़ जाएगा और इससे सहायक बिजली की खपत में भी कमी आएगी। सहायक बिजली में प्रत्याशित बचत दो पंखो के लिए अस्थायी रूप से 120 किलोवाट है।

(vi) वेट एफजीडी अनुप्रयोग में अनुसंधान, विकास और तकनीकी प्रगति ने इस आवश्यक प्रदूषण नियंत्रण प्रौद्योगिकी की दक्षता और पर्यावरणीय स्थिरता में काफी सुधार किया है।

(vii) सिस्टम डिजाइन के अनुकूलन, अवशोषक संवर्धन, प्रक्रिया अनुकूलन, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के साथ एकीकरण ने उच्च डिसल्फराइजेशन दर, कम उत्सर्जन और संसाधनों के बेहतर उपयोग में योगदान दिया है।

3. भविष्य की अनुसंधान एवं विकास योजना:

a) रिफाइनरी परियोजनाओं के लिए एलपीजी विपणन टर्मिनल प्रक्रिया संयंत्र की प्रारंभिक इंजीनियरिंग।

b) उपस्करों का उन्नयन/आधुनिकीकरण।

c) डबल लेन मॉड्यूलर स्टील बेली ब्रिज का डिजाइन और विकास।

d) रिम सील अग्निशमन उपकरण का निर्माण

e) फ्ल्यू गैस डिसल्फराइजेशन (एफजीडी) प्रक्रिया की दक्षता में सुधार

4. वित्त वर्ष 2022-23 में अनुसंधान एवं विकास में व्यय:

पूंजी	:	रु. शून्य
राजस्व	:	रु. 3.97 करोड़
कुल	:	रु. 3.97 करोड़

5. प्रौद्योगिकी अवशोषण और अनुकूलन:-

वेट फ्लू गैस डी-सल्फराइजेशन (एफजीडी) घटकों का डिजाइन, इंजीनियरिंग और विनिर्माण।	प्रौद्योगिकी को अवशोषित कर लिया गया है

एससी, एसटी और ओबीसी का प्रतिनिधित्व

अनुलग्नक-III

समूह	आज की तारीख में कर्मचारियों की संख्या 1-जनवरी-2023			पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों की संख्या										
				-1जनवरी2022- तक-31दिसंबर2022-										
				सीधी भर्ती द्वारा				पदोन्नति द्वारा			अन्य तरीकों द्वारा			
	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	ओबीसी	कुल	एससी	एसटी	कुल	एससी	एसटी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
ग्रुप ए	659	112	9	73	9	1	1	2	76	19	2	-	-	-
ग्रुप बी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप सी	227	14	-	15	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारियों को छोड़कर)	151	14	2	11	-	-	-	-	38	3	-	-	-	-
ग्रुप डी (सफाई कर्मचारी)	7	7	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
कुल	1044	147	11	99	9	1	1	2	125	26	2	-	-	-

अनुलग्नक-IV

विकलांग व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

समूह	आज की तारीख में कर्मचारियों की संख्या 1-जनवरी-2023				पिछले कैलेंडर वर्ष के दौरान की गई नियुक्तियों और पदोन्नति की संख्या (1-जनवरी-2022तक 31-दिसंबर-2022)													
					सीधी भर्ती							पदोन्नति						
					आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या				आरक्षित रिक्तियों की संख्या			की गई नियुक्तियों की संख्या			
	कुल	वी एच	एचएच	ओ एच	वी एच	एचएच	ओ एच	कुल	वी एच	एचएच	ओ एच	वी एच	एचएच	ओ एच	कुल	वी एच	एचएच	ओ एच
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	16	17	18	19
ग्रुप ए	659	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	-	-	-	-
ग्रुप बी	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	NA	NA	NA	-	-	-	-
ग्रुप सी	227	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ग्रुप डी	158	3	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल	1044	6	6	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

नोट:
(i) वीएच का अर्थ है दृष्टिबाधित (अंधापन या कम दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति)
(ii) एचएच का अर्थ श्रवण विकलांग (श्रवण हानि से पीड़ित व्यक्ति) है।
(iii) ओएच का अर्थ है आर्थोपेडिक विकलांग (लोकोमोटर विकलांगता या सेरेब्रल पाल्सी से पीड़ित व्यक्ति)

अनुलग्नक-V
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. कम्पनी की सीएसआर नीति पर संक्षिप्त रूपरेखा।

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) नीति

1. विजन

कंपनी का दृष्टिकोण बड़े पैमाने पर समुदायों के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, आर्थिक, सामाजिक और टिकाऊ तरीके से, जो पारदर्शी और नैतिक हो, निर्माण क्षेत्र में अपने साथियों के बीच लगातार नेतृत्व का प्रदर्शन करना है।

2. मिशन

बी एण्ड आर अपनी व्यावसायिक प्रक्रियाओं में सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को एकीकृत करने का प्रयास करेगा और समाज की सतत विकास आवश्यकताओं के लिए सर्वोत्तम संभव समाधान प्रदान करने की दिशा में काम करेगा।

3. उद्देश्य

सीएसआर नीति के उद्देश्य हैं:

3.1 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए कम्पनी के बोर्ड द्वारा दिए गए दृष्टिकोण और निर्देश।

3.2 कम्पनी अधिनियम, 2013 और कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उनमें संशोधन की धारा 135 के तहत संदर्भित अनुसूची VII में निर्दिष्ट सीएसआर गतिविधियों के चयन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को परिभाषित करना ।

3.3 सीएसआर गतिविधियों के लिए वार्षिक कार्य योजना तैयार करना।

3.4 कम्पनी की सीएसआर नीति, कार्यक्रमों और पहलों के बारे में कर्मचारियों के बीच जागरूकता फैलाना।

3.5 सतत विकास के उद्देश्य को बढ़ावा देना और व्यवहार्यता अध्ययनों सहित इसकी सभी गतिविधियों में सामाजिक और पर्यावरणीय पहलुओं और उनके प्रभावों पर उचित ध्यान देना।

3.6 सीएसआर गतिविधियों को शुरू करने में हितधारकों के साथ जुड़ाव।

4. सीएसआर संगठन संरचना

बी एण्ड आर में कम्पनी की सीएसआर गतिविधियों की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए दो-स्तरीय संगठनात्मक संरचना होगी।

4.1 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति

4.1.1 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति की अध्यक्षता एक स्वतंत्र निदेशक द्वारा की जाती है और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार इसका गठन सीएसआर नीति के कार्यान्वयन की निगरानी करने और इस संबंध में उपयुक्त नीतियों और रणनीतियों को तैयार करने के लिए निदेशक मंडल की सहायता करने के लिए किया गया है।

4.1.2 समिति का पुनर्गठन निदेशक मंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4.1.3 इस समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

- ✓ स्वतंत्र निदेशक: अध्यक्ष
- ✓ अन्य स्वतंत्र निदेशक: सदस्य
- ✓ निदेशक (परियोजना प्रबंधन): सदस्य
- ✓ निदेशक (वित्त): सदस्य
- ✓ सरकार द्वारा नामित निदेशक: सदस्य

4.1.4 बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति अनुमोदन के लिए कम्पनी के निदेशक मंडल को निम्नलिखित तैयार और सिफारिश करेगी:

4.1.4.1 सीएसआर नीति

4.1.4.2 अपनी सीएसआर नीति के अनुसरण में वार्षिक कार्य योजना, जिसमें निम्नलिखित शामिल होंगे;

- ➤ कम्पनी अधिनियम की अनुसूची VII में निर्दिष्ट कम्पनी द्वारा किए जाने वाले सीएसआर गतिविधियों की सूची;
- ➤ ऐसी गतिविधियों के निष्पादन का तरीका;
- ➤ परियोजनाओं या गतिविधियों के लिए निधियों के उपयोग और कार्यान्वयन अनुसूची के तौर-तरीके;
- ➤ गतिविधियों के लिए निगरानी और रिपोर्टिंग तंत्र; और
- ➤ कम्पनी द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं के लिए आवश्यकता और प्रभाव मूल्यांकन, यदि कोई हो, का विवरण

4.2 बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति से नीचे

4.2.1. बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति को बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति द्वारा समर्थित किया जाता है।

4.2.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति की अध्यक्षता बी एण्ड आर के एक वरिष्ठ कार्यकारी द्वारा नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसमें अन्य बी एण्ड आर अधिकारी शामिल होते हैं।

4.2.3. समिति कम्पनी की सीएसआर नीति, कम्पनी अधिनियम की धारा 135, कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 और उसके संशोधनों के अनुसार कम्पनी की सीएसआर पहलों का समन्वय और कार्यान्वयन करेगी।

5. मुख्य फोकस क्षेत्र

कम्पनी अधिनियम, 2013 और कम्पनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 की धारा 135 के तहत संदर्भित अनुसूची VII में निर्दिष्ट गतिविधियों को शुरू किया जाएगा और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा इसके संशोधनों को और विस्तृत किया जाएगा; लोक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर या तो प्रत्यक्ष रूप से अथवा ऐसी गतिविधियों के वित्तपोषण के माध्यम से जारी किए गए दिशा-निर्देश। कम्पनी सीएसआर गतिविधियों में निम्नलिखित को अपने प्रमुख क्षेत्रों के रूप में परिकल्पित करती है:

5.1 उभय-निष्ठ सीएसआर थीम के अनुरूप गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

5.2 ऐसी गतिविधियाँ जो स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे समुदायों को लाभान्वित करती हैं

5.3 इंजीनियरिंग, निर्माण और संबद्ध उद्योग में रोजगार के संदर्भ में लाभकारी प्रदर्शन के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान करना, साथ ही कम सहायता और स्वतंत्रता के साथ बेहतर जीवन जीना।

6. सीएसआर गतिविधियों का चयन

6.1 गतिविधियों का स्थान:

सीएसआर गतिविधियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप हैं। साथ ही उन गतिविधियों को प्राथमिकता दी जा सकती है जो कम्पनी के परियोजना स्थानों में और उसके आसपास स्थित हैं, उनमें से अधिकांश अधिमानतः आकांक्षी जिलों में हो सकते हैं, ताकि लोगों, पर्यावरण और हितधारकों के साथ जुड़ सकें जो इसके वाणिज्यिक संचालन से निकटता से प्रभावित हैं। इसके अलावा, सीएसआर गतिविधियों के निष्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों को जुटाना और गतिविधियों की प्रगति / प्रदर्शन पर नियमित निगरानी में आसानी होती है।

6.2 गतिविधियों का चयन निम्नलिखित के आधार पर किया जाएगा: गतिविधि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 135 और उसके संशोधनों के तहत अनुसूची VII में निर्दिष्ट वस्तुओं में से होनी चाहिए।

7. सीएसआर गतिविधियों निष्पादन एजेंसियों का चयन

7.1. बी एण्ड आर स्वयं सीएसआर गतिविधि कर सकते हैं।

7.2. एक कम्पनी सीएसआर गतिविधियों या कार्यक्रमों को शुरू करने के लिए अन्य कंपनियों के साथ इस तरह से सहयोग कर सकती है कि संबंधित कंपनियों की सीएसआर समितियां इन नियमों के अनुसार ऐसी गतिविधियों या कार्यक्रमों पर अलग से रिपोर्ट करने की स्थिति में हों।

7.3. कम्पनी एक बाहरी कार्यान्वयन एजेंसी को नियुक्त कर सकती है जिसे निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना होगा:

7.3.1 संगठन को अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कम्पनी, या एक पंजीकृत ट्रस्ट, या केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा स्थापित एक पंजीकृत सोसाइटी होना चाहिए

या संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम के तहत स्थापित एक इकाई; नहीं तो

अधिनियम की धारा 8 के तहत स्थापित एक कम्पनी, या एक पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट या एक पंजीकृत सोसाइटी, जो आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12 ए और 80 जी के तहत पंजीकृत है, और इसी तरह की गतिविधियों को करने में कम से कम तीन साल का स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।

7.3.2. बाहरी कार्यान्वयन एजेंसी को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) के माध्यम से फॉर्म सीएसआर -1 दाखिल करके केंद्र सरकार के साथ पंजीकृत होना चाहिए।

7.3.3 एजेंसी को पिछले तीन वर्षों के दौरान समान प्रकृति की गतिविधियों के निष्पादन में अनुभव होना चाहिए।

7.3.4 फर्म के वार्षिक खातों की लेखा परीक्षा की जानी चाहिए।

7.3.5 सरकारी एजेंसियों और अन्य पीएसयू के साथ काम करने का अनुभव रखने वाली एजेंसियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

8. वित्तीय बजट और व्यय नियंत्रण

8.1. निर्धारित सीएसआर व्यय पिछले तीन वित्तीय वर्षों या उसके किसी भी भाग के औसत शुद्ध लाभ का 2% है। औसत शुद्ध लाभ की गणना कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अनुसार की जाएगी।

8.2. सीएसआर बजट को निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

8.3. यदि कम्पनी निर्धारित राशि खर्च करने में विफल रहती है, तो खर्च नहीं करने के कारणों को इसकी वार्षिक रिपोर्ट में निर्दिष्ट किया जाएगा। ऐसी अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, को निम्नलिखित तरीके से निपटाया जाएगा:

8.3.1 'चालू परियोजनाओं' से संबंधित अव्ययित राशि: वित्तीय वर्ष के अंत से 30 दिनों के भीतर 'अप्रयुक्त सीएसआर खातो में'।

8.3.2 'चालू परियोजनाओं के अलावा' से संबंधित अव्ययित राशि: वित्तीय वर्ष के अंत से 6 महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में शामिल किसी भी निधि के लिए।

8.4. सीएसआर गतिविधियों से उत्पन्न होने वाला कोई भी अधिशेष किसी कम्पनी के व्यावसायिक लाभ का हिस्सा नहीं होगा और उसे उसी परियोजना में वापस लगाया जाएगा या अप्रयुक्त सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और सीएसआर नीति और कम्पनी की वार्षिक कार्य योजना के अनुसरण में खर्च किया जाएगा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर। ऐसी अधिशेष राशि को अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

8.5. जहां कम्पनी आवश्यकता से अधिक राशि खर्च करती है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि को तीन वित्तीय वर्षों के तत्काल बाद तक खर्च करने की आवश्यकता के खिलाफ निर्धारित किया जा सकता है।

8.6. किसी कम्पनी के सीएसआर एजेंडा को लागू करने के लिए आधारभूत सर्वेक्षण/आवश्यकता मूल्यांकन अध्ययन, प्रशिक्षण, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों, सम्मेलनों आदि जैसे क्षमता निर्माण कार्यक्रमों और आंतरिक या बाहरी सभी हितधारकों को शामिल करने के लिए कॉर्पोरेट संचार रणनीतियों पर किए गए व्यय को आवंटित बजट और इस उद्देश्य के लिए निर्धारित सीमाओं से सीएसआर व्यय के रूप में माना जाएगा और इसे प्रशासनिक उपरी व्यय में भी शामिल किया जाएगा। हालांकि, वित्तीय वर्ष के लिए प्रशासनिक ओवरहेड्स कुल सीएसआर व्यय के पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होंगे।

9. सीएसआर गतिविधियों का कार्यान्वयन और निगरानी

9.1. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति प्राप्त सभी सीएसआर परियोजना प्रस्तावों की जांच करेगी और इच्छित लक्ष्य के लाभ को ध्यान में रखते हुए वास्तविक और वित्तीय व्यवहार्यता को मान्य करेगी।

9.2. चयनित परियोजना और निधि आवंटन को निदेशक मंडल के अनुमोदन के लिए उनकी आगे की सिफारिश के लिए बोर्ड स्तरीय सीएसआर समिति के समक्ष रखा जाएगा।

9.3. एक बार सीएसआर गतिविधियों को मंजूरी मिलने के बाद बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

9.3.1. परियोजना का तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन, विशेष रूप से लागत अनुमान।

9.3.2. परियोजना के मील के पत्थर की परिभाषा और उनकी स्वीकार्यता, विशेष रूप से सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन और मंजूरी पर स्पष्टता।

9.3.3. प्रत्येक चरण के लिए समय चार्ट / परियोजना अनुसूची और वित्त पोषण आवश्यकताएं।

9.3.4. भुगतान की शर्तें.

9.3.5 कार्यान्वयन एजेंसी के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में एजेंसी और बी एण्ड आर और किसी अन्य पक्ष की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विवरण होना चाहिए।

9.3.6. परियोजना प्रलेखन

9.4. सीएसआर गतिविधियों की निगरानी:

9.4.1. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति बी एण्ड आर आधिकारिक / कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा प्रस्तुत आवधिक साइट दौरे / प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से सीएसआर गतिविधि प्रदर्शन / प्रगति की निगरानी करेगी।

9.4.2. बोर्ड स्तर से नीचे की सीएसआर समिति बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति को त्रैमासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी जो कम्पनी की सीएसआर गतिविधियों की प्रगति/निष्पादन से निदेशक मंडल को आवश्यकतानुसार अवगत कराएगी।

10. सीएसआर गतिविधियों की रिपोर्टिंग

10.1. सीएसआर पहल को कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में कम्पनी के शेयरधारकों और बड़े पैमाने पर समाज के लिए एक अनिवार्य प्रकटीकरण के रूप में प्रकाशित किया जाएगा। सीएसआर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रारूप कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार होगा।

10.2. सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं को कम्पनी की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के अनुसार नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा:

11. प्रभाव मूल्यांकन

यदि कम्पनी अधिनियम, 2013 कम्पनी अधिनियम की धारा 135 के अनुसार आवश्यक हो, तो कम्पनी की सीएसआर पहलों की सफलता और प्रभावशीलता का स्तर निर्धारित करने के लिए, परियोजना पूरी होने और आवश्यक न्यूनतम परियोजना पूरी होने की अवधि (प्रभाव महसूस करने की अवधि) की समाप्ति के बाद प्रभाव मूल्यांकन किया जा सकता है। लक्षित लाभार्थियों को प्राप्त सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों के संदर्भ में सीएसआर परियोजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए विशाल गतिविधियों के लिए एक सर्वेक्षण आयोजित किया जा सकता है।

12. स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा मूल्यांकन और रिपोर्टिंग:

बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति से नीचे बी एण्ड आर के अपने कर्मियों द्वारा परियोजना की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि परियोजना योजना के अनुसार आगे बढ़ रही है। गतिविधियों के मूल्यांकन और रिपोर्टिंग के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी को नियुक्त किया जाएगा।

(राजेश कुमार सिंह)

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

तिथि : 21 अप्रैल 2022

2. 31.03.2023 की स्थिति के अनुसार सीएसआर समिति की संरचना:

क्र. सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशक पद की प्रकृति	वर्ष के दौरान आयोजित सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या	वर्ष के दौरान सीएसआर समिति की बैठकों की संख्या
1.	श्रीमती लक्ष्मी सुरेश (21.02.2023 तक)	स्वतंत्र निदेशक - अध्यक्ष	3	3
2.	श्री पी पी बोस (31.12.2022 तक)	निदेशक (वित्त) - सदस्य	2	2
3.	श्री बी. बिस्वास	निदेशक (परियोजना प्रबंधन) - सदस्य	3	3
4.	श्री ए.के. घोष	सरकार द्वारा नामित निदेशक - सदस्य	3	3
5.	श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक - सदस्य	3	3
6.	श्री एस. कृष्ण कुमार	स्वतंत्र निदेशक - सदस्य	3	2

3. वेब-लिंक जहां सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाओं का खुलासा कम्पनी की वेबसाइट पर किया गया है।

   कम्पनी की सीएसआर समिति की संरचना, सीएसआर नीति और बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीएसआर परियोजनाएं कम्पनी की वेबसाइट https://www.bridgeroof.co.in/CSR पर उपलब्ध हैं।

4. कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप-नियम (3) के अनुसरण में किए गए सीएसआर परियोजनाओं के प्रभाव मूल्यांकन का विवरण, यदि लागू हो (रिपोर्ट संलग्न करें)।

   सीएसआर परियोजनाओं का प्रभाव मूल्यांकन लागू नहीं है।

5. कम्पनी (कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में निर्धारित की गई राशि और वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित राशि के लिए आवश्यक राशि, यदि कोई हो, का विवरण

   कम्पनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए निर्धारित राशि के लिए आवश्यक राशि:

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	पिछले वित्तीय वर्षों से सेट-ऑफ के लिए उपलब्ध राशि (रुपये में)	वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली आवश्यक राशि, यदि कोई हो (रुपये में)
1	2019-20	शून्य	शून्य
2	2020-21	शून्य	शून्य
3	2021-22	15,77,860.00	शून्य
	कुल	15,77,860.00	शून्य

6. धारा 135 (5) के अनुसार पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए कम्पनी का औसत शुद्ध लाभ।

वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख रुपये में)
2019-20	4958.60
2020-21	1234.63
2021-22	2918.73
औसत शुद्ध लाभ	**3037.32 लाख रुपये**

7. (क) धारा 135 (5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत।

औसत शुद्ध लाभ का 2%	**60.75 लाख रुपये**

(ख) पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष।

पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष शून्य है।

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित राशि, यदि कोई हो

वित्तीय वर्ष के लिए निर्धारित की जाने वाली अपेक्षित राशि शून्य है।

(घ) वित्तीय वर्ष के लिए कुल सीएसआर दायित्व (7क+7ख-7ग)।

वित्तीय वर्ष (7क+7ख-7ग) के लिए कुल CSR दायित्व 60.75 लाख रुपये है।

8. (क) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई या खर्च न की गई सीएसआर राशि:

वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि। (रुपये में)	खर्च न की गई राशि (रुपये में)				
	धारा 135 (6) के अनुसार खर्च न की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित कुल राशि।		धारा 135(5) के दूसरे प्रावधान के अनुसार अनुसूची VII के तहत निर्दिष्ट किसी भी निधि में हस्तांतरित की गई राशि।		
	राशि	स्थानांतरण की तिथि।	निधि का नाम	राशि	स्थानांतरण की तिथि।
99,22,268.00	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(ख) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
क्र. सं.	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित राशि (रुपये में)	चालू वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना के लिए खर्च न की गई राशि सीएसआर खाते में हस्तांतरित की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हाँ / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
	शून्य									
	कुल									

(ग) वित्तीय वर्ष के लिए चालू परियोजनाओं के अलावा अन्य पर खर्च की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा:

1	2	3	4	5		6	7	8	
क्र. सं.	परियोजना का नाम।	अधिनियम की अनुसूची VII में कार्यकलापों की सूची से मद।	स्थानीय क्षेत्र (हाँ / नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए खर्च की गई राशि (रुपये में)	कार्यान्वयन का तरीका - प्रत्यक्ष (हां / नहीं)	कार्यान्वयन का तरीका - कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से	
				राज्य	जिला			नाम	सीएसआर पंजीकरण संख्या
1	चंदौली और सोनभद्र के आकांक्षी जिलों में दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान के लिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में विकसित मालवीय डेंटल इम्प्लांट की सेवाओं के विस्तार के लिए वित्तीय सहायता	अनुसूची VII की मद (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	उत्तर प्रदेश	चंदौली और सोनभद्र	47,40,000.00	नहीं	दंत चिकित्सा विज्ञान संकाय, चिकित्सा विज्ञान संस्थान, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय	CSR00021745
2	वड़ोदरा के लासुंद्रा में गरीब बच्चों के लिए बनाए गए पाठशाला छात्रावास के वंचित बच्चों के खर्च के लिए स्रोतोस्विनी ट्रस्ट के लिए वित्तीय सहायता।	अनुसूची VII की मद (i) - निवारक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देना	हाँ	गुजरात	वडोदरा	4,87,768.00	नहीं	स्तोतोस्विनी ट्रस्ट, वडोदरा	CSR00001513
3	व्यावसायिक प्रशिक्षण - स्व-नियोजित दर्जी (एसईटी), सिलाई मशीन ऑपरेटर (एसएमओ) और हाथ कढ़ाई (एचई) में महिलाओं के लिए परिधान कौशल प्रशिक्षण	अनुसूची VII की मद (ii) - विशेष रूप से महिलाओं के बीच रोजगार बढ़ाने वाले व्यवसाय कौशल और आजीविका संवर्धन परियोजनाएं।	हाँ	उत्तर प्रदेश	लखनऊ	46,94,500.00	नहीं	परिधान मेड-अप्स और होम फर्निशिंग सेक्टर कौशल परिषद, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार के तहत।	CSR00000393
	कुल					**99,22,268.00**			

(घ) प्रशासनिक उपरी व्यय में खर्च की गई राशि

प्रशासनिक उपरी व्यय में खर्च की गई राशि शून्य है।

(ङ) प्रभाव मूल्यांकन पर व्यय की गई राशि, यदि लागू हो

प्रभाव मूल्यांकन पर खर्च की गई राशि शून्य है क्योंकि यह लागू नहीं है।

(i) वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि (8ख +8ग+8घ+8ङ)

वित्तीय वर्ष (8ख +8ग+8घ+8ङ) के लिए खर्च की गई कुल राशि 99,22,268.00 रुपये है।

(छ) सेट ऑफ के लिए अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो

क्र.सं.	विशेष	राशि (रुपये में)
(i)	धारा 135 (5) के अनुसार कम्पनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	60,74,640.00
(ii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई कुल राशि	99,22,268.00
(iii)	वित्तीय वर्ष के लिए खर्च की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	38,47,628.00
(iv)	पिछले वित्तीय वर्षों की सीएसआर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या गतिविधियों से उत्पन्न अधिशेष, यदि कोई हो	शून्य
(v)	आगामी वित्तीय वर्षों में निर्धारित करने के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	38,47,628.00

9. (क) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए खर्च न की गई सीएसआर राशि का विवरण:

क्र. सं.	पिछला वित्तीय वर्ष	धारा 135 (6) के तहत खर्च न की गई सीएसआर खाते में हस्तांतरित राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में खर्च की गई राशि (रुपये में)	धारा 135(6) के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत विनिदष्ट किसी निधि में अंतरित राशि, यदि कोई हो			शेष राशि जिसे आगामी वित्तीय वर्षों में खर्च किया जाना हो (रुपये में)
				निधि का नाम	राशि (रुपये में)	स्थानांतरण की तिथि	
1.	2019-20	शून्य	75,93,500.00	पीएम केयर्स फंड	10,00,000.00	31.03.2020	शून्य
2.	2020-21	शून्य	86,84,338.00	पीएम केयर्स फंड	10,00,000.00	31.03.2021	शून्य
3.	2021-22	शून्य	90,90,400.00	-	-	-	शून्य
	कुल	शून्य	2,53,68,238.00		20,00,000.00		शून्य

(ख) पिछले वित्तीय वर्ष की चालू परियोजनाओं के लिए वित्तीय वर्ष में व्यय की गई सीएसआर राशि का ब्यौरा

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
क्र. सं.	परियोजना आईडी।	परियोजना का नाम	वित्तीय वर्ष जिसमें परियोजना शुरू की गई थी	परियोजना की अवधि	परियोजना के लिए आवंटित कुल राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष में परियोजना पर खर्च की गई राशि (रुपये में)	रिपोर्टिंग वित्तीय वर्ष के अंत में खर्च की गई संचयी राशि (रुपये में)	परियोजना की स्थिति - पूर्ण/ चालू
1	शून्य							
	कुल	शून्य						

10. पूंजीगत परिसंपत्ति के सृजन या अधिग्रहण के मामले में, वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से इस प्रकार बनाई गई या अधिग्रहित संपत्ति से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें।

(परिसंपत्ति-वार विवरण)

वित्तीय वर्ष में खर्च किए गए सीएसआर के माध्यम से पूंजीगत संपत्ति का कोई सृजन या अधिग्रहण नहीं किया गया है।

(क) पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन या अधिग्रहण की तारीख। लागू नहीं

(ख) पूंजीगत परिसम्पत्ति के सृजन अथवा अधिग्रहण के लिए व्यय की गई सीएसआर की राशि। शून्य

(ग) उस इकाई या लोक प्राधिकरण या लाभार्थी का विवरण, जिसके नाम पर ऐसी पूंजीगत परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनका पता आदि।

लागू नहीं

(घ) सृजित या अधिगृहीत की गई पूंजीगत परिसंपत्ति (संपत्तियों) का ब्यौरा (पूंजीगत परिसंपत्ति के पूर्ण पते और स्थान सहित) प्रदान करना। लागू नहीं

11. यदि कम्पनी धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत खर्च करने में विफल रही है, तो कारण निर्दिष्ट करें।

कम्पनी ने धारा 135(5) के अनुसार औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत से अधिक पूरी तरह से खर्च किया है।

एसडी/-	एसडी/-	एसडी/-
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी या प्रबंध निदेशक या निदेशक)	(सीएसआर समिति के अध्यक्ष)	[अधिनियम की धारा 380 की उप-धारा (1) के खंड (डी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्ति] (जहां भी लागू हो)

अनुलग्नक - VI

प्रपत्र सं. एमजीटी-9
वार्षिक रिटर्न का निष्कर्ष

31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अनुसार
[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) और कम्पनी के नियम 12 (1) के अनुसार]
(प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014]

I. पंजीकरण और अन्य विवरण

	सीआईएन	**U27310WB1920GOI003601**
	पंजीकरण की तिथि	**16.01.1920**
	कम्पनी का नाम	**ब्रिज एण्ड रूफ कं (इण्डिया) लिमिटेड**
	कम्पनी की श्रेणी/उप-श्रेणी	**शेयरों द्वारा लिमिटेड/ सार्वजनिक लिमिटेड**
	पंजीकृत कार्यालय का पता और संपर्क विवरण	**कांकरिया सेंटर', 5वीं मंजिल, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता- 700071** **टेली: +91 33 2217-2108/2274** **फैक्स: +91 33 2217-2106**
	क्या सूचीबद्ध कम्पनी है	असूचीबद्ध

II. कम्पनी की प्रमुख व्यावसायिक गतिविधियाँ

कंपनी के कुल कारोबार में 10% या अधिक योगदान देने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियों का उल्लेख किया जाए: -

क्र.सं.	मुख्य उत्पादों / सेवाओं का नाम और विवरण	उत्पाद/सेवा का एनआईसी कोड	कम्पनी के कुल कारोबार का %
1.	उपयोगिता परियोजनाओं का निर्माण	422	35%
2.	अन्य सिविल इंजीनियरिंग परियोजनाओं का निर्माण	429	54%

III. होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनियों का विवरण -

-शून्य-

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विभाजन)

i)	***श्रेणी-वार शेयर धारिता***	अनुलग्नक देखें
ii)	***प्रवर्तकों की शेयरधारिता***	अनुलग्नक देखें
iii)	***प्रवर्तकों की शेयरधारिता में बदलाव***	शून्य
iv)	***शीर्ष दस शेयरधारकों का शेयरधारिता पैटर्न (निदेशकों, प्रमोटरों और जीडीआर और एडीआर के धारकों के अलावा)***	अनुलग्नक देखें
v)	***निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की शेयरधारिता***	शून्य

V. ऋणग्रस्तता

कंपनी की ऋणग्रस्तता जिसमें बकाया/उपार्जित ब्याज भी शामिल है लेकिन भुगतान देय नहीं है:

	जमा राशि यों को छोड़कर सुरक्षित ऋण	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	4889.82	0.00	0.00	4889.82
ii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	4889.82	0.00	0.00	4889.82
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन				
. योग	0.00	0.00	0.00	0.00
. कटौती	3808.89	0.00	0.00	3808.89
शुद्ध परिवर्तन	-3808.89	0.00	0.00	-3808.89
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i) मूल राशि	1080.93	0.00	0.00	1080.93
ii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
iii) अर्जित ब्याज लेकिन देय नहीं	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i+ii+iii)	**1080.93**	**0.00**	**0.00**	**1080.93**

VI. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

i)	प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और / या प्रबंधक का पारिश्रमिक:	अनुलग्नक
ii)	अन्य निदेशकों का पारिश्रमिक	अनुलग्नक
iii)	एमडी/मैनेजर/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक	अनुलग्नक

VII. जुर्माना/दंड/ अपराधों का शमन

शून्य

VIII. निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों का पारिश्रमिक

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/या प्रबंधक को पारिश्रमिक:

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
		आर. के. सिंह (01.04.2022 से 31.03.2023)	पी. पी. बोस (01.04.2020 से 31.12.2022)	
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	43,97,723/-	69,00,124/-	**1,12,97,847/-**
	(ख) निर्वाह भत्ता	--	--	--
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	32,400/-	24,300/-	**56,700/-**

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	एमडी/डब्ल्यूटीडी/प्रबंधक का नाम		कुल राशि
	(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	--	--	--
2	स्टॉक का विकल्प	--	--	--
3	उद्यम इक्विटी	--	--	--
4	आयोग	--	--	--
	- लाभ के % के रूप में			
	- अन्य, निर्दिष्ट करें ...			
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	--	--	--
	कुल (A)	**44,30,123/-**	**69,24,424/-**	**1,13,54,547/-**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा			

ख. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक:

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
		लक्ष्मी सुरेश (01.04.2022 से 31.03.2023 तक)	के.के. सदाशिवन नायर (01.04.2022 से 31.03.2023)	आशीष चतुर्वेदी (01.04.2022 से 31.03.2023)	
	स्वतंत्र निदेशक				
	बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	1,05,000/-	55,000/-	1,05,000/-	2,65,000/-
	आयोग				
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				
	कुल (1)	**1,05,000/-**	**55,000/-**	**1,05,000/-**	**2,65,000/-**
	अन्य गैर-कार्यकारी निदेशक				
	निर्देशकों				
	बोर्ड और समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए शुल्क	-	-	-	-
	आयोग				
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें				
	कुल (2)				
	कुल (ख)=(1+2)	**1,05,000/-**	**55,000/-**	**1,05,000/-**	**2,65,000/-**
	कुल प्रबंधकीय पारिश्रमिक				

ग. एमडी/प्रबंधक/डब्ल्यूटीडी के अलावा अन्य प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक

क्र.सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक				
		आर. के. सिंह (01.04.2022 – 31.03.2023) (सीईओ)	पी. पी. बोस (01.04.2022 -31.12.2022) (सीएफओ)	राजेश कुमार (01.01.2023 – 31.03.2023) (सीएफओ)	राखी कर (01.4.2022 – 31.03.2023) (कम्पनी सचिव)	कुल
1	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में निहित प्रावधानों के अनुसार वेतन	43,97,723/-	69,00,124/-	10,02,714/-	29,35,678/-	1,52,36,239/-
	(ख) निर्वाह भत्ता					
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के तहत अनुलाभों का मूल्य	32,400/-	24,300/-	-	-	56,700/-
	(घ) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के बदले लाभ	-	-	-	-	-
2	स्टॉक विकल्प	-	-	-	-	-
3	उद्यम इक्विटी	-	-	-	-	-
4	आयोग	-	-	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में	-				
	- अन्य, निर्दिष्ट करें ...	-				
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	-	-	-	-	-
	कुल	**4,430,123/-**	**6,924,424/-**	**1,002,714/-**	**2.935,678/-**	**15,292,939/-**

शेयर धारिता पैटर्न

(कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर पूंजी विभाजन)

I. श्रेणी-वार शेयर धारिता

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ. प्रमोटर									
(1) भारतीय									
क) व्यक्तिगत/एचयूएफ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) केंद्र सरकार	0	54627155	54627155	99.35%	0	54627155	54627155	99.35%	0
ग) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) निकाय कॉर्पोरेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) बैंक / एफआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
च) कोई अन्य	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (अ) (1): –	0	54627155	54627155	99.35%	0	54627155	54627155	99.35%	0
(2) विदेशी									
क) अनिवासी भारतीय - व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) अन्य व्यक्ति	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) निकाय कॉर्पोरेट	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) कोई अन्य ...	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (अ) (2): –	0	0	0	0	0	0	0	0	0
प्रमोटर (अ) की कुल शेयरधारिता = (अ) (1) + (अ) (2)	**0**	**54627155**	**54627155**	**99.35%**	**0**	**54627155**	**54627155**	**99.35%**	**0**

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
ब. सार्वजनिक शेयरधारिता									
(1) संस्थान									
क) म्यूचुअल फंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) केंद्र सरकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0
घ) राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ङ) उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0

शेयरधारकों की श्रेणी	वर्ष के शुरुआत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमेट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
च) बीमा कंपनियां	0	0	0	0	0	0	0	0	0
छ) एफआईआई	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ज) विदेशी उद्यम पूंजी निधि	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i) अन्य (निर्दिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (बी) (1): –	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. गैर-संस्थान									
क) निकाय कॉर्पोरेट									
i) भारतीय	0	**357591**	**357591**	**0.65%**	0	**357591**	**357591**	**0.65%**	0
ii) विदेशों में	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ख) व्यक्ति									
i) 1 लाख रुपये तक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	**2409**	**2409**	**0.00%**	0	**2409**	**2409**	**0.00%**	0
ii) 1 लाख रुपये से अधिक की नाममात्र शेयर पूंजी रखने वाले व्यक्तिगत शेयरधारक	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ग) अन्य (निर्दिष्ट)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उप-कुल (ब) (2): –	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (ब)=(ब)(1)+ (ब)(2)	**0**	**360000**	**360000**	**0.65%**	**0**	**360000**	**360000**	**0.65%**	**0**
स. जीडीआर और एडीआर के लिए कस्टोडियन द्वारा रखे गए शेयर	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
कुल (अ + ब + स)	**0**	**54987155**	**54987155**	**100.00%**	**0**	**54987155**	**54987155**	**100.00%**	**0**

II. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्र. सं.	शेयरधारक का नाम	साल की शुरुआत में शेयर धारिता			साल के अंत में शेयर धारिता			वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में गिरवी भारग्रस्त शेयरों का %	
1	भारत के राष्ट्रपति	54627155	99.35%	0	54627155	99.35%	0	0

III. शीर्ष दस शेयरधारकों (जीडीआर और एडीआर के निदेशकों, प्रमोटरों और धारकों के अलावा) की शेयरधारिता पैटर्न:

क्र. सं.	शेयर धारक का नाम	साल की शुरुआत में शेयर धारिता		वर्ष के दौरान शेयर धारिता में वृद्धि/कमी के कारणों को विनिदिष्ट करते हुए तिथि-वार वृद्धि/कमी (जैसे आवंटन/हस्तांतरण/ बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %		शेयरों की संख्या	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1)	भारत के राष्ट्रपति	54627155	99.35%	शून्य	54627155	99.35%
2)	बामर लॉरी एण्ड कम्पनी लिमिटेड	357591	0.65%	शून्य	357591	0.65%
3)	श्रीमती चंद्रलेखा मेहता	600	0.00%	शून्य	600	0.00%
4)	श्रीमती टेहमी केकी धारुवाल	600	0.00%	शून्य	600	0.00%
5)	श्री अजीत सिन्हा	300	0.00%	शून्य	300	0.00%
6)	सदाशिव त्यागराज सदाशिवन	300	0.00%	शून्य	300	0.00%
7)	श्रीमती ललिता त्यागराजन	200	0.00%	शून्य	200	0.00%
8)	जयानंद गोविंदराज	100	0.00%	शून्य	100	0.00%
9)	सदाशिव गोविंदराज	100	0.00%	शून्य	100	0.00%
10)	सदाशिव त्यागराजन	100	0.00%	शून्य	100	0.00%

अनुलग्नक-VII

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान सूक्ष्म और लघु उद्यम (एमएसई) आदेश, 2012 के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत खरीद का विवरण

सचिव, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई), भारत सरकार द्वारा दिनांक 25-04-2012 को जारी डीओ संख्या 21 (1)/2011-एमए के अनुपालन में, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कम्पनी द्वारा किए गए खरीद लक्ष्य और उपलब्धि का विवरण नीचे दिया गया है:

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	विवरण	वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लक्ष्य	वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वास्तविक उपलब्धि
1	कुल वार्षिक खरीद	600.00	940.68
2	एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित)	150.00	236.77
3	केवल अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	24.00	38.76
4	केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य	18.00	28.88
5	कुल खरीद में से एमएसई (एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई सहित) से खरीद का प्रतिशत	25.00%	25.17%
6	कुल खरीद में से केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	4.00%	4.12%
7	कुल खरीद में से केवल महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद का प्रतिशत	3.00%	3.07%
8	एमएसई के लिए विक्रेता विकास कार्यक्रम	हाँ	हाँ
9	क्या सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के लिए वार्षिक खरीद योजना आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है	हाँ	हाँ
10	क्या वार्षिक रिपोर्ट में लक्ष्य बताए है	हाँ	हाँ

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2023
[Pursuant to section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014, read with the Guidance Note on Secretarial Audit of the Institute of Company Secretaries of India]

To,
The Members,
M/s BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD
CIN: U27310WB1920GOI003601
Regd office: 2/1, Russel Street, 5th Floor
Kolkata 700071, West Bengal

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by M/s. **BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD** having **CIN: U27310WB1920GOI003601** having its Registered Office at 2/1, Russel Street, 5th Floor, Kolkata-700071, West Bengal (hereinafter called "the Company"). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts/statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Management's Responsibility for Secretarial Compliances

The Company's management is responsible for preparation and maintenance of secretarial records and for devising systems to ensure compliances with the provisions of applicable Laws and Regulations.

Auditor's Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.

We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate to provide a basis for our opinion.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by **BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD** and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the Audit Period from **1st April 2022 to 31st March 2023** ("the Reporting Period") complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company to the extent applicable for the financial year ended **31st March, 2023** according to the provisions of:

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

(i) The Companies Act, 2013 (the Act) and the Rules made thereunder;
(ii) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the Rules made there under;
(iii) The Depositories Act, 1996/2018 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
(iv) Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings;
(v) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') to the extent applicable: -

a) The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
b) The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;
c) The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009/2018;
d) The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and other applicable Regulations/ guidelines / circulars as may be issued by SEBI from time to time;
e) The Securities and Exchange Board of India (Employee Stock Option Scheme and Employee Stock Purchase Scheme) Guidelines, 1999 and The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014;
f) The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;
g) The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993 regarding the Companies Act and dealing with client;
h) The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009;
i) The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 1998/2018; and

(vi) The Management has identified and confirmed the following laws as specifically applicable to the Company:

a) Labour laws

We have also examined compliances with the applicable clauses of the following:

i. The Secretarial Standards as issued and mandated by The Institute of Company Secretaries of India.

During the period under review the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, etc. mentioned above.

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

We further report that

The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review and thereafter were carried out in compliance with the provisions of the Act.

Adequate notice is given to all Directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

All decisions taken at Board Meetings and Committee Meetings are carried out unanimously as recorded in the minutes of the meetings of the Board of Directors or Committee of the Board, as the case may be.

We further report that during the audit period there were no specific events or actions having a major bearing on Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards etc.

We further report that there are adequate systems and processes in the Company commensurate with the size and operations of the Company to monitor and ensure compliance with applicable laws, Rules, Regulations and Guidelines.

1. The constitution of Audit Committee was not as per the Companies Act, 2013, due to shortfall of requisite number of independent director on the committee.

2. The Annual General Meeting of the Company for the Financial Year 2021-2022 was convened on 21st September, 2022 which stands adjourned due to wants of Quorum and the same has been conducted on 26th September, 2022.

We have issued this certificate on the basis of data & soft copy of various documents provided to us through email as well as wherever our audit has required physical documents were verified as much as possible.

Disclosure

This Report is to be read with our letter of even date which is annexed as ***Annexure - A*** and forms an integral part of this Report.

Sidharth Baid
Company Secretary in Practice
Membership No.: A17677
Certificate of Practice No.: 13436

Place: Kolkata
Date: 04.07.2023
UDIN: A017677E000540826

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

Annexure -A

Annexure to the Secretarial Audit Report of BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD (CIN U27310WB1920GOI003601) for the financial year ended on 31st March, 2023

To,
The Members,
M/s BRIDGE & ROOF CO (INDIA) LTD
CIN: U27310WB1920GOI003601
Regd office: 2/1, Russel Street, 5th Floor
Kolkata 700071, West Bengal

Our Secretarial Audit Report for the financial year ended on 31st March, 2023 of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion on existence of adequate board process and compliance management system, commensurate to the size of the company, based on these secretarial records as shown to us during the said audit and also based on the information furnished to us by the officers and agents of the company during the said audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate, to the best of our understanding, to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the secretarial records. The verification was done on test check basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. We have not verified the correctness, appropriateness and bases of financial records, books of accounts and decisions taken by the board and by various committees of the Company during the period under review. We have checked the board process and compliance management system to understand and to form an opinion as to whether there is an adequate system of seeking approval of respective committees of the board, of the members of the Company and of other authorities as per the provisions of various statutes as referred in the aforesaid secretarial audit report.

4. Wherever required, we have obtained the management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

5. The compliance of the provisions of corporate and other applicable laws, rules, regulations, standards is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of compliance procedures on test check basis.

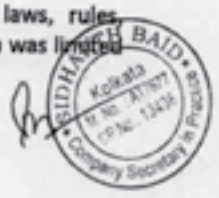

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE: 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

6. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness or accuracy with which the management has conducted the affairs of the Company.

SIDHARTH BAID Kolkata M. No. A17677 CP No. 13436 Company Secretary in Practice

Sidharth Baid
Company Secretary in Practice
Membership No.: A17677
Certificate of Practice No.: 13436

Place: Kolkata
Date: 04.07.2023

UDIN: A017677E000540826

SIDHARTH BAID
Company Secretary in Practice

"SIDDHA WESTON"
9, WESTON STREET
ROOM NO. 310, 3RD FLOOR
KOLKATA - 700013
PHONE : 033 40613040
MOBILE: 9830076161
EMAIL: sidharth.acs@gmail.com

CERTIFICATE ON COMPLIANCE WITH CORPORATE GOVERNANCE (FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2023)

To
The Members
Bridge & Roof Co. (India) Limited
Kankaria Centre, 2/1, Russel Street
5th Floor, Kolkata – 700071

I have examined the relevant records and documents as furnished to me pertaining to the compliance of Corporate Governance by **M/s. Bridge & Roof Co. (India) Limited**, a Union Government Company, for the year ended 31st March, 2023.

The compliance of conditions of Corporate Governance is the responsibility of the management. My examination was limited to the procedure and implementation thereof, adopted by the Company for ensuring the compliance of the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on financial statements of the Company.

In my opinion and to the best of my information and according to the explanation given to me, I certify that the Company has generally complied with the guidelines of Corporate Governance framed out by Company.

I further state that such compliance is neither an assurance as to future viability of the Company nor efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

SIDHARTH BAID * Kolkata (W.B.) * Company Secretary in Practice

Sidharth Baid
Company Secretary in Practice
M. No. : A17677
CP No.: 13436

Place: Kolkata
Date: 25.07.2023
UDIN: A017677E000673013

कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट

कम्पनी का सिद्धांत

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड पारदर्शिता, विश्वास और अखंडता, प्रदर्शन अभिविन्यास, जिम्मेदारी और जवाबदेही, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाबदेही, नैतिक व्यापार प्रथाओं और हितधारक के मूल्य के सतत संवर्धन के लिए एक स्व-अनुशासन कोड के रूप में संगठन के प्रति प्रतिबद्धता के उच्चतम मानकों के विकास और अपनाने के माध्यम से ठोस कॉर्पोरेट शासन मानदंडों के सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर दिशानिर्देशों के अनुपालन पर डीपीई द्वारा कम्पनी को वर्ष 2022-23 के लिए "उत्कृष्ट" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

निदेशक मंडल:

संरचना: कम्पनी के बोर्ड में कार्यकारी और गैर-कार्यकारी निदेशकों का मिश्रण है। वर्तमान बोर्ड में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक सहित 3 कार्यात्मक निदेशक शामिल हैं; 2 अंशकालिक निदेशक - भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नामित और 3 अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों की नियुक्ति पर नीति: भारत के राष्ट्रपति ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड के सभी निदेशकों की नियुक्ति करते हैं।

प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक में मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कम्पनी सचिव शामिल हैं। कम्पनी सचिव एक प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक होने के नाते कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा नियुक्त किया जाता है।

निदेशकों और प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों के पारिश्रमिक पर नीति:

बोर्ड के सदस्य, डीपीई दिशानिर्देशों के अनुसार नियुक्ति के नियमों और शर्तों के अनुसार निर्धारित निदेशकों के पारिश्रमिक को प्राप्त करने के अलावा, कार्यात्मक निदेशकों के मामले में और स्वतंत्र निदेशकों के मामले में बैठक शुल्क के अलावा, कम्पनी के साथ कोई भौतिक आर्थिक संबंध या लेनदेन नहीं करते हैं, जो बोर्ड के निर्णय की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है।

कम्पनी सचिव का पारिश्रमिक कम्पनी की नीति और अनुसूची 'बी' कंपनियों के अन्य कर्मचारियों पर लागू वेतनमान के अनुसार है। कर्मचारियों को उनकी योग्यता और कार्य अनुभव, दक्षताओं के साथ-साथ संगठन में उनकी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के अनुसार ग्रेड सौंपा जाता है। व्यक्तिगत पारिश्रमिक उचित ग्रेड के भीतर निर्धारित किया जाता है और विभिन्न कारकों जैसे नौकरी प्रोफाइल, कौशल समूह, वरिष्ठता, अनुभव और समकक्ष नौकरियों के लिए प्रचलित पारिश्रमिक स्तर पर आधारित होता है।

31.3.2023 को बोर्ड की संरचना निम्नानुसार थी:

क्र.सं.	निदेशक का नाम	वर्ग	31.03.2023 की स्थिति के अनुसार अन्य बोर्ड में निदेशक पद की संख्या
1.	श्री राजेश कुमार सिंह	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	0
2.	श्री बिस्वजीत बिस्वास	निदेशक (परियोजना प्रबंधन) - अतिरिक्त प्रभार	0
3.	श्री राजेश कुमार	निदेशक - सरकार द्वारा नामित	3
4.	श्री आदित्य कुमार घोष	निदेशक - सरकार द्वारा नामित	3
5.	श्री एस कृष्ण कुमार	स्वतंत्र निदेशक	0
6.	श्री आशीष चतुर्वेदी	स्वतंत्र निदेशक	3

बोर्ड प्रक्रियाएं

1.0 कम्पनी की नीति के अनुसार, उन मामलों के अलावा, जिन्हें बोर्ड द्वारा सांविधिक रूप से तय किया जाना आवश्यक है, निवेश और पूंजीगत व्यय, संसाधनों को जुटाने, कर्मचारी मुआवजा आदि से जुड़े अन्य सभी प्रमुख निर्णय और तिमाही प्रदर्शन, परियोजनाओं की प्रगति, औद्योगिक संबंध, बाजार परिदृश्य, बजट और योजनाएं आदि जैसे प्रमुख मुद्दों पर बोर्ड द्वारा नियमित एजेंडा मदों के रूप में बैठकों में चर्चा की जाती है। विस्तृत कार्यसूची नोट आम तौर पर बोर्ड की बैठकों से लगभग एक सप्ताह पहले परिचालित किए जाते हैं।

भारत सरकार ने अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, निदेशकों और बोर्ड के समग्र रूप से निष्पादन मूल्यांकन के लिए एक नीति तैयार की है।

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा 30.05.2022, 08.08.2022, 17.09.2022, 23.12.2022 और 17.02.2023 को 5 (पांच) बैठकें आयोजित की गईं और उपस्थिति निम्नानुसार थी:

निदेशकों के नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या	क्या पिछली एजीएम में शामिल हुए थे	अन्य कंपनियों में निदेशक पद	
				अध्यक्ष के रूप में	सदस्य के रूप में
श्री राजेश कुमार सिंह (अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक)	5	5	हाँ		
श्री पार्थो प्रतिम बोस निदेशक (वित्त)	4	4	हाँ	-	-
श्री बिस्वजीत बिस्वास निदेशक (परियोजना प्रबंधन) - 12.08.2021 से	5	5	नहीं	-	
श्री आदित्य कुमार घोष (सरकार द्वारा नामित - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक)	5	5	हाँ		
श्री राजेश कुमार (सरकार द्वारा नामित - अंशकालिक आधिकारिक निदेशक)	5	2	नहीं		
श्रीमती लक्ष्मी सुरेश (अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक)	4	4	नहीं	-	-
श्री एस कृष्ण कुमार (अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक)	5	3	हाँ		
श्री आशीष चतुर्वेदी (अंशकालिक गैर-आधिकारिक निदेशक)	5	5	हाँ		3

1.1 लेखा परीक्षा समिति:

बोर्ड ने निर्णय लेने, नीतियों की समीक्षा करने और प्रबंधन प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए निम्नलिखित समितियों का गठन किया है।

लेखा परीक्षा समिति:

बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या के साथ, लेखा परीक्षा समिति का गठन कम्पनी अधिनियम, 2013 और कॉर्पोरेट प्रशासन 2010 पर डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों के अनुसार था। 31.03.2023 तक के सदस्यों में श्री बी. बिस्वास, श्री ए.के.घोष, श्री एस. कृष्ण कुमार और श्री आशीष चतुर्वेदी शामिल थे।

समिति के संदर्भ की शर्तें कॉरपोरेट अभिशासन 2010 पर डीपीई (लोक उद्यम विभाग) दिशा-निर्देशों की आवश्यकता के अनुसार हैंऔर इसमें अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं

- कम्पनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया और जानकारी के प्रकटीकरण की देखरेख;
- सांविधिक लेखा परीक्षकों के पारिश्रमिक की सिफारिश करना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता, लेखांकन मानकों, दिशानिर्देशों और विधियों के अनुपालन के प्रबंधन, बाहरी लेखा परीक्षकों और आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ समीक्षा।
- कम्पनी के वित्तीय विवरणों और प्रदर्शन की समीक्षा करना।
- समिति को किसी भी कर्मचारी से सूचना प्राप्त करने, आंतरिक लेखा परीक्षकों की सहायता से किसी भी गतिविधियों/कार्यों की जांच करने और यदि आवश्यक हो तो किसी भी बाहरी सहायता प्राप्त करने की शक्ति सौंपी गई है।
- आंतरिक लेखा परीक्षकों और/या लेखा परीक्षकों के साथ किसी भी महत्वपूर्ण निष्कर्ष और उस पर अनुवर्ती चर्चा करना।
- लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श, लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र के साथ-साथ चिंता के किसी भी क्षेत्र का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा के बारे में।

वर्ष 2022-23 के दौरान, समिति ने लेखा परीक्षा समिति द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किए गए ऑडिट की समीक्षा की और निर्देश दिए और जहां भी आवश्यक हो, आगे की जांच और परीक्षाओं की मांग की। समिति ने बोर्ड को प्रस्तुत करने से पहले वित्तीय विवरणों की भी समीक्षा की और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों को महत्व दिया। लेखापरीक्षा समिति की सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया और कार्यान्वित कर दिया गया।

वर्ष के दौरान, लेखा परीक्षा समिति की 4 बैठकें 30.05.2022, 08.08.2022, 17.09.2022 और 23.12.2022 को आयोजित की गई उपस्थिति इस प्रकार थी:

निदेशक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
श्रीमती लक्ष्मी सुरेश (अध्यक्ष)	4	4
श्री पी.पी.बोस	4	4
श्री बी. बिस्वास	4	4
श्री ए.के.घोष	4	3
श्री एस कृष्ण कुमार	4	1
श्री आशीष चतुर्वेदी	4	4

नामांकन और पारिश्रमिक समिति:

कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 पर डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों के अनुसार, 31.03.2023 को नामांकन और पारिश्रमिक समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे: श्रीमती लक्ष्मी सुरेश-अध्यक्ष, श्री बी.बिस्वास, श्री ए.के.घोष, श्री एस. कृष्ण कुमार और श्री आशीष चतुर्वेदी।

निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित समिति के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ, शामिल हैं:

1) आम तौर पर, पारिश्रमिक नीतियों और प्रथाओं के लिए जिम्मेदार।
2) कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजनाएं/स्टॉक विकल्प और प्रकार।
3) पेंशन/सेवानिवृत्ति/सामाजिक सुरक्षा नीतियां और प्रथाएं - कभी-कभी, सौदेबाजी योग्य कर्मचारियों/यूनियनों से संबंधित नीतियों के लिए व्यापक जनादेश।
4) सीईओ और शीर्ष प्रबंधन के रोजगार अनुबंध और पारिश्रमिक।
5) निदेशकों के पारिश्रमिक और संबंधित मामलों (शुल्क, लाभ-साझाकरण, स्टॉक अनुदान / विकल्प, नियम और शर्तें आदि) के लिए सिफारिशें।

6) आवश्यकतानुसार बाहरी विशेषज्ञों के साथ समन्वय।

7) अन्य कार्य, ज्यादातर मानव संसाधन से संबंधित, जैसा कि सौंपा गया है।

वर्ष के दौरान, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक 17.02.2023 को आयोजित की गई थी।

कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति:

डीपीई (सार्वजनिक उद्यम विभाग) दिशानिर्देशों के अनुसार, कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी और स्थिरता समिति का गठन 5 जुलाई 2013 को किया गया था और कम्पनी अधिनियम 2013 के शुरू होने पर, इसे वैधानिक रूप से कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी समिति के रूप में गठित किया गया है। 31.03.2023 तक, समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल थे: श्री बिस्वजीत बिस्वास, श्री एके घोष, श्री एस कृष्ण कुमार और श्री आशीष चतुर्वेदी।

वर्ष के दौरान, 30.05.2022, 17.09.2022 और 17.02.2023 को 3 कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी बैठकें आयोजित की गईं और उपस्थिति निम्नानुसार थी:

रिपोर्ट के अनुसार जांच करने के लिए - नहीं। बैठकों की संख्या

निदेशक का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों में भाग लेने वालों की संख्या
श्रीमती लक्ष्मी सुरेश (अध्यक्ष)	3	3
श्री पी.पी.बोस	2	2
श्री बी. बिस्वास	3	3
श्री ए.के.घोष	3	2
श्री एस कृष्ण कुमार	3	2
श्री आशीष चतुर्वेदी	3	3

1.2 पारिश्रमिक/बैठक शुल्क:

कार्यात्मक (कार्यकारी) निदेशकों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपकी कम्पनी के संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 15 के अनुसार की जाती है और उनका पारिश्रमिक और अन्य नियम और शर्तें सरकार द्वारा तय की गई नियुक्ति की शर्तों द्वारा शासित होती हैं। जबकि अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की नियुक्ति अनुसूची 'बी' स्केल यानी 180000-320000/- (01.01.2017 से संशोधित) में नियुक्त किया जाता है, अन्य कार्यात्मक निदेशक अनुसूची 'बी' स्केल यानी 160000-290000/- (01.01.2017 से संशोधित) में नियुक्त किए जाते है। नियुक्ति के अन्य सभी नियम और शर्तें जैसे आवास, कार का प्रावधान आदि सभी के लिए समान हैं और उनके संबंधित नियुक्ति आदेशों में निर्दिष्ट हैं और उक्त आदेश में निर्दिष्ट नहीं की गई कोई भी अन्य शर्तें आपकी कम्पनी के कर्मचारियों पर लागू नियमों के अनुसार हैं। वर्ष के दौरान निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक निम्नानुसार है:

नाम	वेतन और लाभ (बकाया को छोड़कर)
श्री आर.के.सिंह - अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (01.04.2022 से 31.03.2023)	44,30,123/-
श्री पी.पी.बोस, निदेशक (वित्त) (01.04.2022 से 31.12.2022)	69,24,424/-
श्री बिस्वजीत बिस्वास, निदेशक (परियोजना प्रबंधन) (01.04.2022 से 31.03.2023)	उनके पास अतिरिक्त प्रभार है। इसलिए, उन्होंने इस अवधि के दौरान कोई वेतन नहीं लिया है।

गैर-कार्यकारी स्वतंत्र निदेशकों को कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाता है। उन्हें बोर्ड की बैठकों और अन्य समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए बोर्ड द्वारा तय और अनुमोदित बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है।

गैर-कार्यकारी सरकारी निदेशकों को बैठकों में भाग लेने के लिए किसी भी बैठक शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है।

1.3 निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए आचार संहिता:

कॉरपोरेट गवर्नेंस दिशा-निर्देश 2010 के अनुसार सभी बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कर्मियों के लिए व्यावसायिक आचरण और नैतिकता के लिए आचार संहिता जुलाई, 2010 के महीने में अपनाई गई थी और कॉर्पोरेट गवर्नेंस 2010 के दिशानिर्देशों के अनुसार कम्पनी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई है।

आचार संहिता के अनुपालन पर प्रमाण पत्र

मैं इस बात की पुष्टि करता हूं कि कम्पनी ने बोर्ड के सभी सदस्यों और प्रबंधन कर्मियों से इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आचार संहिता का अनुपालन किया है।

राजेश कुमार सिंह

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

25 सितंबर, 2023

31मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए सीईओ/सीएफओ प्रमाणन

क) हमने 31 मार्च 2023 तक कम्पनी की तुलन पत्र, उस तारीख को लाभ और हानि के विवरण (वित्तीय विवरण) और नकदी प्रवाह विवरण की समीक्षा की है और यह हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार है: –

(i) इन कथनों में कोई भौतिक रूप से असत्य कथन नहीं है या किसी भी भौतिक तथ्य को छोड़ दिया गया है या ऐसे कथन शामिल हैं जो भ्रामक हो सकते हैं।

(ii) ये दस्तावेज एक साथ कम्पनी के मामलों का एक सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं और मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों और विनियमों के अनुपालन में हैं;

ख) हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया गया है जो धोखाधड़ी वाला, अवैध या कम्पनी की आचार संहिता का उल्लंघन हो।

ग) हम वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने की जिम्मेदारी स्वीकार करते हैं और हमने वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित कम्पनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया है। हमें ऐसे आंतरिक नियंत्रणों के डिजाइन या संचालन में किसी भी रिपोर्ट करने योग्य कमी नहीं मिली है।

घ) हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति को सूचित कर दिया है -

(i) वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुआ है।

(ii) कि वर्ष के दौरान लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं हुए हैं।

ङ) एसे महत्वपूर्ण धोखाधड़ी के कोई उदाहरण नहीं हैं जिनके बारे में हमें जानकारी हो या प्रबंधन या किसी कर्मचारी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका हो।

स्थान: कोलकाता
तारीख: 30.08.2023

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट:

प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट निदेशकों की रिपोर्ट का हिस्सा है।

संचार के साधन:

कम्पनी के परिणाम कम्पनी की कॉर्पोरेट वेबसाइट पर डाले गए हैं: www.bridgeroof.co.inl कम्पनी की आधिकारिक समाचार विज्ञप्ति भी कम्पनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कम्पनी प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और निदेशक मंडल के माध्यम से कम्पनी में होने वाली प्रमुख उपलब्धियों और महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सूचित करती है।

कम्पनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में भी उल्लिखित है जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सदस्यों और अन्य लोगों को परिचालित की जाती है।

COMMENTS OF THE COMPTROLLER AND AUDITOR GENERAL OF INDIA UNDER SECTION 143(6) (b) OF THE COMPANIES ACT, 2013 ON THE FINANCIAL STATEMENTS OF BRIDGE AND ROOF CO. (INDIA) LTD. FOR THE YEAR ENDED 31 MARCH 2023.

The preparation of financial statements of Bridge and Roof Co. (India) Ltd for the year ended 31 March 2023 in accordance with the financial reporting framework prescribed under the Companies Act, 2013 (Act) is the responsibility of the management of the company. The statutory auditors appointed by the Comptroller and Auditor General of India under Section 139 (5) of the Act is responsible for expressing opinion on the financial statements under Section 143 of the Act based on independent audit in accordance with the standards on auditing prescribed under section 143(10) of the Act. This is stated to have been done by them vide their Audit Report dated 25 July 2023.

I, on behalf of the Comptroller and Auditor General of India, have conducted a supplementary audit of the financial statements of Bridge and Roof Co. (India) Ltd. for the year ended 31 March 2023 under Section 143(6) (a) of the Act. This supplementary audit has been carried out independently without access to the working papers of the statutory auditors and is limited primarily to inquiries of the statutory auditors and company personnel and a selective examination of some of the accounting records.

On the basis of my supplementary audit nothing significant has come to my knowledge which would give rise to any comment upon or supplement to statutory auditors' report under section 143 (6) (b) of the Act.

For and on behalf of the
Comptroller & Auditor General of India

Atul Prakash

(Atul Prakash)
Principal Director of Audit (Mines)
Kolkata

Place: Kolkata
Date: 04 SEP 2023

डे चक्रवर्ती एंड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट

नंदी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

ब्रिज एण्ड रूफ़ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों के लिए

इंड़ एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी ((इण्डिया) लिमिटेड ("कंपनी") के इंड़ एएस वित्तीय विवरणों का लेखापरीक्षण किया है, जिसमें ये सभी निहित हैं: 31 मार्च, 2023 के तुलन पत्रक तथा लाभ और हानि का विवरण (अन्य व्यापक आय के विवरण सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और इंड़ एएस वित्तीय विवरणों के नोट्स, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश (इसके बाद इसे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 यथा संशोधित ("अधिनियम") द्वारा आवश्यक जानकारी देते हैं। इस अधिनियम को भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप आवश्यक तरीके से संशोधित किया गया है और सही और निष्पक्ष जानकारी दी गई है। इसमें 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के मामलों की स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित इसका लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और उस तिथी को समाप्त वर्ष के लिए इसका नकदी प्रवाह शामिल है।

राय का आधार

हमने अपना लेखा परीक्षा अधिनियम की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार किया है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के ऑडिट के लिए लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारियों अनुभाग में आगे वर्णित किया गया है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी आचार संहिता के साथ-साथ अधिनियम के प्रावधानों और उसके तहत नियमों के तहत इंड एएस वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षण के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं। हमने इन आवश्यकताओं और आईसीएआई की आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियां पूरी की हैं। हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

मामले का महत्व

हम वित्तीय विवरणों के नोट्स में निम्नलिखित मामलों पर ध्यान आकर्षित करते हैं, जो परिणाम से संबंधित अनिश्चितता का वर्णन करते हैं:

नोट संख्या एसी. जिसमें बताया गया है कि व्यापार प्राप्य, अनुबंध प्राप्य और अग्रिम तथा जमा जिसके लिए पक्षों से पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है, ऐसी पुष्टि के निर्धारण/प्राप्ति पर समाधान और परिणामी समायोजन के अधीन हैं।

उपरोक्त मामले के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के अतिरिक्त अन्य जानकारी

अन्य जानकारी के लिए कंपनी का निदेशक मंडल उत्तरदायी है। अन्य जानकारी में वार्षिक रिपोर्ट की जानकारी शामिल है, परंतु इसमें इंड एएस वित्तीय विवरण और उस पर हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट शामिल नहीं है।

वार्षिक रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की इस रिपोर्ट की तिथी के बाद उपलब्ध होने की आशा है।

इंड एएस वित्तीय विवरण पर हमारी राय में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

इंड एएस वित्तीय विवरण के हमारे लेखा परीक्षण के संबंध में, हमारी ज़िम्मेदारी है कि ऊपर दी गई अन्य जानकारी उपलब्ध होने पर उसे पढ़ें और ऐसा करते समय, इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी हमें प्राप्त जानकारी के अनुसार इंड एएस वित्तीय विवरण के साथ भौतिक रूप से असंगत है। हमारे लेखा परीक्षण के दौरान या अन्यथा वास्तव में गलत तरीके से बताया गया प्रतीत होता है।

जब हम वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं, यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि उसमें कोई महत्वपूर्ण विवरण गलत है, तो हमें शासन के प्रभारी लोगों को मामले के बारे में सूचित करना होगा और संबंधित कानूनों और विनियमों के तहत उचित कार्रवाई करनी होगी।

इंड एएस वित्तीय विवरण के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारियां

कंपनी का निदेशक मंडल अधिनियम की धारा 134(5) में बताए गए मामलों के लिए जिम्मेदार है। यह इन इंड एएस वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में है जो वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन सहित अन्य व्यापक आय का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। जो भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों और भारतीय लेखा मानकों के अनुसार व्यापक आय है, इसमें कंपनी की इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन भी शामिल है, जिसे अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट है जो कंपनियों (भारतीय लेखा मानक) के साथ पढ़ा जाता है। इस जिम्मेदारी में अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है: कंपनी की संपत्तियों की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए; उपयुक्त लेखांकन नीतियों के चयन और अनुप्रयोग के लिए; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे। यह इंड एएस वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक होना चाहिए जो सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देता है और भौतिक गलतबयानी से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

इंड एएस वित्तीय विवरण तैयार करने में, प्रबंधन कंपनी की जारी रखने की क्षमता का आकलन करने, चालू संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार है, जब तक कि प्रबंधन या तो कंपनी को समाप्त करने का इरादा नहीं रखता है या परिचालन बंद करने का, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई यथार्थवादी विकल्प नहीं है।

निदेशक मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है।

इंड एएस वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या समग्र रूप से वित्तीय विवरण भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार आयोजित लेखा परीक्षण हमेशा मौजूद होने पर एक महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता लगाएगा। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें महत्वपूर्ण माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या समग्र रूप से, उनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित आशा की जा सकती है।

एसए के अनुसार लेखा परीक्षण के हिस्से के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे लेखा परीक्षण के दौरान पेशेवर संशयवाद बनाए रखते हैं। हम भी:

- वित्तीय विवरणों के गलत भौतिक विवरण के जोखिमों को पहचानते हैं और उनका आकलन करते हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन और निष्पादित करते हैं, और लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त करते हैं जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई किसी महत्वपूर्ण गलतबयानी का पता न चल पाने का जोखिम, त्रुटि के परिणामस्वरूप हुई किसी सामग्री की तुलना में अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलतबयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।

- परिस्थितियों में उपयुक्त लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं को डिज़ाइन करने के लिए लेखा परीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।

- उपयोग की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करते हैं।

- लेखांकन के चालू चिंता के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालते हैं और प्राप्त लेखा परीक्षण साक्ष्य के आधार पर, यह ज्ञात करते हैं कि क्या घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू चिंता के रूप में जारी रखने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे खुलासे अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की तिथी तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी एक चालू संस्था के रूप में काम करना बंद कर सकती है।

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरण की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करते हैं, और यह पता करते हैं कि क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं का इस तरह से प्रतिनिधित्व करते हैं जिससे निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखा परीक्षण के नियोजित दायरे और समय तथा महत्वपूर्ण लेखा परीक्षण निष्कर्षों के संबंध में, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमी सहित, जिसे हम अपने लेखा परीक्षण के दौरान पहचानते हैं, शासन के प्रभारी लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम उन लोगों को एक बयान भी प्रदान करते हैं जो शासन करते हैं, कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन सभी संबंधों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता पर असर डालने वाले हो सकते हैं, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (11) के संदर्भ में भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, लागू सीमा तक आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक बयान हम "अनुलग्नक I" में देते हैं।

2. जैसा कि अधिनियम की आवश्यकता है, धारा 143 (5) के तहत, हम सी एंड एजी द्वारा निर्देशित मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक II" में देते हैं।

3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने वे सभी जानकारी और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार हमारे लेखा परीक्षण के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।

   ख) हमारी राय में, जहां तक उन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है, कंपनी द्वारा कानून द्वारा अपेक्षित उचित खाते की किताबें रखी गई हैं।

   ग) तुलन पत्रक, लाभ और हानि विवरण (अन्य व्यापक आय सहित), इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और इस रिपोर्ट में शामिल नकदी प्रवाह विवरण खाते की किताबों के अनुरूप हैं।

   घ) हमारी राय में, उपरोक्त इंड एएस वित्तीय विवरण कंपनी (खाता) नियमों (संशोधित) के नियम 7 के साथ पढ़े गए अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट भारतीय लेखा मानकों का अनुपालन करते हैं।

   ङ) चूंकि यह एक सरकारी कंपनी है, इसलिए निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित अधिनियम की धारा 164(2) लागू नहीं होती।

   च) इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, "अनुलग्नक III" में हमारी अलग रिपोर्ट शामिल की गई है।

   छ) कंपनी (लेखा परीक्षण और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 (संशोधित) के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और स्पष्टीकरण के अनुसार:

i. कंपनी ने अपने इंड एएस वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है - इंड एएस वित्तीय विवरणों में नोट 30 एच (आई) और 30 (आई) देखें;

ii. कंपनी के पास व्युत्पन्न अनुबंधों सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण अनुमानित हानि हो;

iii. 3 शेयरधारकों के 1000 शेयरों को छोड़कर कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष में स्थानांतरित करने के लिए कोई राशि आवश्यक नहीं थी।

iv. प्रदान किए गए प्रबंधन प्रतिनिधित्व के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि -

- कंपनी द्वारा विदेशी संस्थाओं ("मध्यस्थ") सहित किसी अन्य व्यक्ति(व्यक्तियों) या संस्थाओं को कोई धनराशि उन्नत या उधार या निवेश नहीं की गई है। यह इस समझ के साथ किया गया है कि मध्यस्थ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को किसी भी तरीके से उधार देगा या निवेश करेगा। या फिर, अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या ऐसी ही कोई चीज़ प्रदान की जाएगी।

- कंपनी को विदेशी संस्थाओं ("फंडिंग पार्टियों") सहित किसी भी व्यक्ति या संस्थाओं से कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। यह इस समझ के साथ किया गया है कि ऐसी कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, फंडिंग पार्टी (अंतिम लाभार्थियों) द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरीके से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी। या फिर, अंतिम लाभार्थियों की ओर से गारंटी, सुरक्षा या ऐसा ही कुछ और प्रदान करेगी।

- निष्पादित लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि उपरोक्त उप-खंडों के तहत प्रबंधन द्वारा दिए गए अभ्यावेदन में कोई महत्वपूर्ण बयान गलत है।

v. (क) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के संबंध में कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान भुगतान किया गया अंतिम लाभांश कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुसार है, यह लाभांश के भुगतान पर लागू होता है।

(ख) जैसा कि वित्तीय विवरणों के नोट टी में बताया गया है, कंपनी के निदेशक मंडल ने वर्ष के लिए अंतिम लाभांश का निर्णय आगामी बोर्ड बैठक तक के लिए टाल दिया है।

vi. अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करके खाते की किताबें बनाए रखने के लिए कंपनी (खाता) नियम, 2014 के नियम 3(1) का प्रावधान, जिसमें ऑडिट ट्रेल (एडिट लॉग) को रिकॉर्ड करने की सुविधा है, 1 अप्रैल, 2023 से कंपनी पर लागू है। तदनुसार, कंपनी (ऑडिट और ऑडिटर) नियम, 2014 के नियम 11(जी) के तहत रिपोर्टिंग 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लागू नहीं है।

डे चक्रवर्ती एंड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 303029E

(सीए टी.के.चट्टोपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या 051809
UDIN: 23051809BGWORB9241

नंदी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 309090E

(सीए एस.नंदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 059828
UDIN:23059828BGVGMU7498

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25 जुलाई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुलग्नक "I"

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस वित्तीय विवरणों पर ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड के सदस्यों को "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत सम तिथी की स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट के पैराग्राफ 1 में संदर्भित, हम इसकी रिपोर्ट करते हैं कि

(i) (क) (अ) कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की मात्रात्मक विवरण और स्थिति सहित पूर्ण विवरण दिखाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।

(आ) कंपनी ने अमूर्त संपत्तियों का पूरा विवरण दिखाने वाले उचित रिकॉर्ड बनाए रखे हैं।

(ख) कंपनी के पास चरणबद्ध तरीके से सभी वस्तुओं का आवरण करने के लिए अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के सत्यापन का एक नियमित कार्यक्रम है, जो हमारी राय में, कंपनी के आकार और इसकी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए उचित है। कार्यक्रम के अनुसरण में, वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का भौतिक सत्यापन किया गया। हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

(ग) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण और हमारे द्वारा जांचे गए रिकॉर्ड के अनुसार और हमें प्रदान किए गए पंजीकृत बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/संवहन विलेख की जांच के आधार पर, हम रिपोर्ट करते हैं कि, स्वामित्व विलेख, जिसमें भूमि की सभी अचल संपत्तियां शामिल हैं और भवन (जिनके शीर्षक विलेखों को कंपनी द्वारा सुरक्षा के रूप में गिरवी रखा गया है) को तुलन पत्रक की तिथी के अनुसार कंपनी के नाम पर रखा गया है। भूमि और भवनों की अचल संपत्तियों के संबंध में जिन्हें पट्टे पर लिया गया है और वित्तीय विवरणों में अचल संपत्ति के रूप में खुलासा किया गया है, पट्टा समझौते / विलेख कंपनी के नाम पर हैं, जहां कंपनी समझौते में पट्टेदार है;

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (संपत्ति के उपयोग के अधिकार सहित) या अमूर्त संपत्ति या दोनों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

(ङ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, बेनामी लेन-देन अधिनियम, 1988 के तहत किसी भी बेनामी संपत्ति को रखने के लिए कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं हुई है या कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

ii. (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा इन्वेंट्री का भौतिक सत्यापन किया गया है। हमारी राय में, ऐसे सत्यापन की आवृत्ति उचित है। बुक रिकॉर्ड की तुलना में इन्वेंट्री के भौतिक सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं देखी गई।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों से कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।

हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा ऐसे बैंकों के साथ दाखिल किए गए त्रैमासिक रिटर्न या विवरण संबंधित तिमाहियों की कंपनी की लेखा पुस्तकों के अनुरूप हैं।

iii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और हमारे द्वारा किए गए लेखा परीक्षण की प्रक्रियाओं के आधार पर, कंपनी ने कंपनियों, फर्मों, लिमिटेड को कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या सुरक्षित या असुरक्षित ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम नहीं दिया है। वर्ष के दौरान कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 189 के तहत बनाए गए रजिस्टर में शामिल देयता भागीदारी या कोई अन्य पक्ष, इसलिए आदेश के खंड 3 (iii) (ए) से (एफ) लागू नहीं होते।

iv. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कोई ऋण नहीं दिया है, कोई निवेश नहीं किया है, कोई गारंटी नहीं दी है, और कोई सुरक्षा नहीं दी है, जिसके लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधान हैं। अत: आदेश की धारा 3(iv) लागू नहीं होती।

v. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने अधिनियम की धारा 73 से 76 या कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (जमा की स्वीकृति) के किसी भी अन्य प्रासंगिक प्रावधान के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। नियम 2014 तद्नुसार आदेश की कंडिका 3(v) लागू नहीं होती।

vi. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारत की केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 148(1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए निर्धारित किया है और ऐसे रिकॉर्ड कंपनी द्वारा बनाए रखे गए हैं। हालाँकि, हमने यह निर्धारित करने की दृष्टि से अभिलेखों की विस्तृत जाँच नहीं की है कि वे सटीक हैं या पूर्ण हैं।

vii. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा सहित निर्विवाद वैधानिक बकाया के संबंध में खाते की किताबों में कटौती / अर्जित राशि , आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य भौतिक वैधानिक बकाया कुछ मामलों में देरी को छोड़कर, कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान नियमित रूप से जमा किए गए हैं।

माल और सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य सामग्री वैधानिक बकाया के संबंध में कोई निर्विवाद राशि देय नहीं है। यह डेटा 31 मार्च, 2023 तक देय होने की तिथी से छह महीने से अधिक की अवधि के लिए है, और जीएसटी पर ब्याज की राशि ₹68.62 लाख को छोड़कर है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, विवादित वैधानिक बकाया जो 31 मार्च, 2023 तक जमा नहीं किया गया है, वे इस प्रकार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि, रुपये में	अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	32.12	2013-14	अपील, अपीलीय उपायुक्त (सीटी) के समक्ष दायर की गई है
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	135.59	2001-02	अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष अपील दायर की गई है।
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	217.71	2016-17, 2017-18 (2017 तक)	मूल्यांकन आदेश को चुनौती देते हुए माननीय एपी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है।
आंध्र प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	217.71		06/16 से 06/17 की अवधि के लिए संशोधित एपी वैट जुर्माना आदेश के खिलाफ माननीय एपी उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की गई है।
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	434.07	2010-11	डीसी से 30/4/2022 तक स्थगन की मंजूरी मिल गई है, हमने स्थगन आदेश को आगे बढ़ाने के लिए पत्र प्रस्तुत कर दिया है। विभाग के पास स्वीकृति लंबित है।
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	2,400.55	2011-12	अहमदाबाद ट्रिब्यूनल से स्थगन आदेश दिया गया और पुनर्मूल्यांकन के लिए डीसी को भेजा गया। पुनर्मूल्यांकन विभाग के पास 31/12/18 तक लंबित है और आगे के विस्तार के लिए दिनांक 21/12/18 को पत्र पहले ही जमा कर दिया गया है।

अधिनियम का नाम	देय राशि की प्रकृति	राशि, रुपये में	अवधि	फोरम जहां विवाद लंबित है
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	1,863.11	2012-13	अहमदाबाद ट्रिब्यूनल से स्थगन मंजूर कर लिया गया है और पुनर्मूल्यांकन के लिए डीसी को भेजा गया है। पुनर्मूल्यांकन विभाग के पास लंबित है।
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	1,090.69	2013-14	अहमदाबाद ट्रिब्यूनल से स्थगन मंजूर कर लिया गया है और पुनर्मूल्यांकन के लिए डीसी को भेजा गया है। पुनर्मूल्यांकन विभाग के पास लंबित है।
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	1,585.53	2014-15	अहमदाबाद ट्रिब्यूनल से स्थगन मंजूर कर लिया गया और पुनर्मूल्यांकन के लिए डीसी को भेजा गया। पुनर्मूल्यांकन विभाग के पास लंबित है।
गुजरात वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	28.86	2017-18 (04/17 से 06/17 तक)	डीसी से 31/07/2023 तक स्थगन आदेश दिया गया।
हरियाणा वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	42.69	2007-08	संयुक्त आयुक्त अपील, वाणिज्यिक कर, अम्बाला
मध्य प्रदेश वैट	प्रवेश कर	156.00	2009-10	अपील अपीलीय प्राधिकारी (न्यायाधिकरण), बीना के समक्ष दायर की गई है
मध्य प्रदेश वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	260.14	2009-10	अपील अपीलीय प्राधिकारी (न्यायाधिकरण), बीना के समक्ष दायर की गई है
मध्य प्रदेश वैट	सीएसटी	0.06	2014-15	अपील अपीलीय प्राधिकारी (न्यायाधिकरण), बीना के समक्ष दायर की गई है
मध्य प्रदेश वैट	प्रवेश कर	5.47	2014-15	अपील अपीलीय प्राधिकारी (न्यायाधिकरण), बीना के समक्ष दायर की गई है
उत्तर प्रदेश बिक्री कर	कार्य अनुबंध पर बिक्री कर	37.86	2000-01 to 2001-02	उप. आयुक्त अपील, व्यापार कर, गाजियाबाद
उत्तर प्रदेश बिक्री कर	कार्य अनुबंध पर बिक्री कर	50.44	2004-05	उप. आयुक्त अपील, व्यापार कर, मथुरा
पश्चिम बंगाल वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	99.41	2013-14	अपील अपीलीय प्राधिकारी, डब्ल्यूबीएसटीडी के समक्ष दायर की गई है।
पश्चिम बंगाल वैट	कार्य अनुबंध पर वैट	712.99	2015-16	06.08.18 को मूल्यांकन आदेश को चुनौती देते हुए अपील दायर की गई
सेवा कर:				
सेवा कर	सेवा कर	36.65	अप्रैल'11 से सितंबर'13 तक	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
सेवा कर	सेवा कर	57.55	2010-15	सीईएसटीएटी, इलाहाबाद
सेवा कर	सेवा कर का जुर्माना	9.96	2011-14	सहायक आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद एवं सेवा कर, फिरोजाबाद
सेवा कर	सेवा कर	1,416.14	2009-11	माननीय उच्च न्यायालय, चंडीगढ़, पंजाब के समक्ष अपील दायर की गई है
सेवा कर	सेवा कर	278.74	2012-17	अपील सीईएसटीएटी, कोलकाता के समक्ष दायर की गई है
ओडिशा जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर	1,68.69	जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक	वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त (अपील) भुवनेश्वर सर्कल ओडिशा के समक्ष अपील दायर की गई है

viii. हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के खाते की किताबों में कोई भी लेन-देन दर्ज नहीं किया गया है, जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के तहत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में सरेंडर या खुलासा किया गया हो।

(ix)(क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी भी ऋणदाता को ऋण या अन्य उधार के पुनर्भुगतान या उस पर ब्याज के भुगतान में चूक नहीं की है।

(ख) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी को वर्ष के दौरान किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।

(ग) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई सावधि ऋण नहीं लिया है और वर्ष की शुरुआत में कोई सावधि ऋण बकाया नहीं है और इसलिए, खंड 3 (ix) (सी) के तहत रिपोर्टिंग का आदेश लागू नहीं है।

(घ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के अनुसार, अल्पकालिक आधार पर जुटाई गई धनराशि का उपयोग कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान दीर्घकालिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया गया है।

(ङ) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के वित्तीय विवरण की समग्र जांच के अनुसार, कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों, सहयोगियों के या वर्ष के दौरान संयुक्त उद्यम के दायित्वों को पूरा करने के लिए किसी इकाई या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।

(च) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी सहायक कंपनियों, संयुक्त उद्यम या सहयोगी कंपनियों में रखी प्रतिभूतियों को गिरवी रखकर कोई ऋण नहीं लिया है।

(x) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक या आगे सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धन नहीं जुटाया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने वर्ष के दौरान शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूर्ण, आंशिक या वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय) का कोई तरजीही आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है। तदनुसार आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(xi.) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, हमारे लेखा परीक्षण के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई धोखाधड़ी देखी या रिपोर्ट नहीं की गई है।

(ख) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (12) के तहत कोई रिपोर्ट केंद्र सरकार के साथ कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्धारित फॉर्म एडीटी-4 में लेखा परीक्षकों द्वारा नहीं भरी गई है।

(ग) हमने लेखा परीक्षण प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और विस्तार का निर्धारण करते समय, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा प्राप्त व्हिसिल ब्लोअर शिकायतों को ध्यान में रखा है।

(xii.) (क) हमारी राय में और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) चूंकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3(xii)(ए) में कहा गया है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xii)(बी) निधि के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं है। कंपनी, देनदारी को पूरा करने के लिए निधि नियम, 2014 में निर्दिष्ट अनुसार जमा को दस प्रतिशत भार रहित अवधि बनाए रख रही है।

(ग) चूँकि कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3(xii)(ए) में बताया गया है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xii)(सी) जमा पर ब्याज के भुगतान में चूक के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होता है या किसी भी अवधि के लिए उसके पुनर्भुगतान पर भी लागू नहीं है।

xiii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ सभी लेन-देन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के लागू लेखांकन मानकों के अनुसार वित्तीय विवरण आदि के अनुपालन में हैं, जहां लागू हो और विवरण का खुलासा किया गया है।

xiv. (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी के पास उसके व्यवसाय के आकार और प्रकृति के आधार पर आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली है।

(ख) हमने लेखा परीक्षण की अवधि के लिए अब तक जारी कंपनी की आंतरिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट पर विचार किया है।

xv. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी ने वर्ष के दौरान निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्ति के साथ कोई गैर-नकद लेन-देन नहीं किया है।

(xvi.) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए के तहत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

(ख) चूंकि कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3(xvi)(ए) में बताया गया है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi)(बी), गैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास वित्त गतिविधियों के संदर्भ में कंपनी पर लागू नहीं होता।

(ग) चूंकि कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3(xvi)(ए) में बताया गया है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi)(सी), मुख्य निवेश के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होता।

(घ) चूंकि कंपनी को भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत पंजीकृत नहीं किया गया है, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 3(xvi)(ए) में बताया गया है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xvi)(डी) कंपनी पर लागू नहीं होता।

xvii. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, कंपनी को वित्तीय वर्ष और ठीक पिछले वित्तीय वर्ष में कोई नकद घाटा नहीं हुआ है।

xviii. वर्ष के दौरान किसी भी सांविधिक लेखा परीक्षकों का इस्तीफा नहीं हुआ है।

xix. हमारी जांच और वित्तीय अनुपात, उम्र बढ़ने और वित्तीय परिसंपत्तियों की वसूली की अपेक्षित तिथियों और वित्तीय देनदारियों के भुगतान, वित्तीय विवरणों के साथ जुड़ी अन्य जानकारी और निदेशक मंडल और प्रबंधन की योजना के बारे में हमारे ज्ञान के संबंध में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के आधार पर, लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तारीख के अनुसार कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद नहीं है कि कंपनी 31 मार्च 2023 तक मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम है, जब भी वे एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होंगी। हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि हमारी लेखा परीक्षा रिपोर्ट की तिथी तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन पत्रक की तिथी से एक वर्ष की अवधि के भीतर आने वाली सभी देनदारियों का भुगतान किया जाएगा।

(xx.) (क) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के रिकॉर्ड की हमारी जांच के आधार पर, चल रही परियोजनाओं के अलावा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के लिए कोई भी अव्ययित राशि नहीं है, जिसके लिए कंपनी अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) के दूसरे परंतुक के अनुपालन में अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में हस्तांतरण की आवश्यकता होती है। तदनुसार, आदेश के खंड 3(xx)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

(ख) चूँकि कंपनी के पास कोई चालू सीएसआर परियोजना नहीं है, तदनुसार, आदेश का पैराग्राफ 3 (xx) (बी) धारा 135(6) कंपनी अधिनियम के अनुपालन में, विशेष खाते में अव्ययित राशि के हस्तांतरण के संबंध में कंपनी पर लागू नहीं होता।

xxi. हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी के पास कोई सहायक, सहयोगी या संयुक्त उद्यम नहीं है। तदनुसार, आदेश के कारण 3(xxi) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

डे चक्रवर्ती एंड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 303029E

(सीए टी.के.चट्टोपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या 051809
UDIN: 23051809BGWORB9241

नंदी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 309090E

(सीए एस.नंदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 059828
UDIN:23059828BGVGMU7498

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25 जुलाई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-II

(आज दिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 2 में संदर्भित)

1. क्या कंपनी के पास आईटी प्रणाली के माध्यम से सभी लेखांकन लेन-देन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हां, तो आईटी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेन-देन के प्रसंस्करण के वित्तीय निहितार्थों के साथ-साथ खातों की अखंडता पर प्रभाव, यदि कोई हो, बताया जा सकता है।

   हां, वर्ष के लिए कंपनी के लेखांकन लेनदेन को खातों और वित्त मॉड्यूल, पेरोल और एचआर मॉड्यूल के ईआरपी (ओरेकल ईबीएस) के माध्यम से आईटी प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाता है। हावड़ा में विनिर्माण इकाई के लिए खरीद और इन्वेंटरी मॉड्यूल शुरू किया गया। कंपनी पूरे भारत में फैले निर्माण व्यवसाय में है जहां इन्वेंटरी रिकॉर्ड मैन्युअल रूप से बनाए रखा जाता है। आईटी प्रणाली में व्यापार प्राप्य, व्यापार देय और अग्रिम भुगतान और प्राप्त आदि के संबंध में पार्टी-वार उप-खाता कैप्चर करने के संबंध में सीमा है। हालांकि, आईटी प्रणाली को अधिक प्रभावी एवं दक्ष बनाने के लिए स्टॉक लेखांकन और अन्य क्षेत्रों को शामिल करने के लिए आईटी प्रणाली का दायरा बढ़ाया जा सकता है।

2. क्या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण किसी ऋणदाता द्वारा मौजूदा ऋण या मामलों का कोई पुनर्गठन किया गया है या ऋण/ऋण/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डाला गया है? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जा सकता है। क्या ऐसे मामलों का ठीक से हिसाब-किताब किया जाता है? (यदि ऋणदाता एक सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋणदाता कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू होता है)।

   समीक्षाधीन अवधि के दौरान कर्ज/ऋण/ब्याज आदि की माफी/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला नहीं आया।

3. क्या केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्य धनराशि (अनुदान/सब्सिडी आदि) का इसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से हिसाब/उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।

   कंपनी को वर्ष के दौरान केंद्र/राज्य सरकार या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई अनुदान/सब्सिडी नहीं मिली है।

डे चक्रवर्ती एंड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 303029E

(सीए टी.के.चट्टोपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या 051809
UDIN: 23051809BGWORB9241

नंदी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 309090E

(सीए एस.नंदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 059828
UDIN:23059828BGVGMU7498

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25 जुलाई, 2023

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का अनुबंध-III

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के तहत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

(आज दिनांकित हमारी रिपोर्ट के "अन्य कानूनी और नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट" शीर्षक के तहत पैराग्राफ 3 (एफ) में संदर्भित)

हमने 31 मार्च, 2023 तक ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड ("कंपनी") की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का लेखा परीक्षण किया, साथ ही उस तिथी को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के इंड एएस वित्तीय विवरणों (इसके बाद इसे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है) के ऑडिट के साथ संयोजन किया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो संबंधित कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी संपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और अधिनियम के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी हमारे लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर एक राय व्यक्त करना है। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखा परीक्षण पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी ऑडिटिंग पर मानकों के अनुसार अपना लेखा परीक्षण किया। इसे अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू सीमा तक निर्धारित माना गया था, दोनों ही आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा परीक्षण पर लागू होते हैं। साथ ही, ये दोनों इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखा परीक्षण की योजना बनाएं और निष्पादित करें कि क्या इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था और क्या ऐसे नियंत्रण सभी में प्रभावी ढंग से संचालित होते हैं।

हमारे लेखा परीक्षण में इन वित्तीय विवरणों और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखा परीक्षण का साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, भौतिक कमजोरी मौजूद होने के जोखिम का आकलन करना और आंतरिक नियंत्रण के डिजाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल था। यह मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर किया जाना था। चयनित प्रक्रियाएं लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन भी शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमने जो लेखा परीक्षण साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखा परीक्षण की राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जो आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन की गई है। इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में ये नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं:

1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित, जो उचित विवरण में, कंपनी की संपत्तियों के लेन-देन और स्वभाव को सटीक और निष्पक्ष रूप से दर्शाता है;

2) इसका उचित आश्वासन प्रदान करना कि सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए लेन-देन को आवश्यक रूप से दर्ज किया जाता है, और कंपनी की प्राप्तियां और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरण के अनुसार किए जा रहे हैं; और

3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के संबंध में उचित आश्वासन प्रदान करना, जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, नियंत्रणों की मिलीभगत या अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना सहित, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण विवरण गलत हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। इसके अलावा, भविष्य की अवधि के लिए इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन का अनुमान इस जोखिम के अधीन है कि इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की स्तर खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च, 2023 तक कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में, इन वित्तीय विवरणों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग पर एक पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हैं। यह इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में बताए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित था।

डे चक्रवर्ती एंड सेन
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 303029E

(सीए टी.के.चट्टोपाध्याय)
साझेदार
सदस्यता संख्या 051809
UDIN: 23051809BGWORB9241

नंदी एंड एसोसिएट्स
चार्टर्ड अकाउंटेंट
FRN: 309090E

(सीए एस.नंदी)
साझेदार
सदस्यता संख्या 059828
UDIN:23059828BGVGMU7498

हस्ताक्षर का स्थान: कोलकाता
दिनांक: 25 जुलाई, 2023

31 मार्च 2023 को यथा तुलन-पत्र

(आंकड़े लाख रू. में)

		विवरण	टिप्पणी	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
I.		**आस्तियाँ**			
(1)		**गैर-चालू संपत्तियाँ**			
	(क)	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण	2	3,934.92	4,295.26
	(ख)	संपत्ति के उपयोग का अधिकार	30(X)	108.28	274.46
	(ग)	वित्तीय आस्तियां			
		(i) ऋण	2A	-	0.89
		(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ गैर-चालू	3	9,868.27	6,157.61
	(घ)	गैर-वर्तमान कर परिसंपत्तियाँ	4	1,552.73	1,121.35
	(ङ)	आस्थगित कर आस्तियां (शुद्ध)	5	3,063.60	2,545.73
	(च)	अन्य गैर-चालू गैर-वित्तीय संपत्तियाँ	6	0.71	0.68
		कुल गैर-चालू संपत्तियाँ		**18,528.51**	**14,395.98**
(2)		**चालू आस्तियाँ**			
	(क)	वस्तुसूची	7	10,752.21	9,513.43
	(ख)	वित्तीय आस्तियाँ			
		(i) व्यापार प्राप्तियां	8	1,145.43	1,984.09
		(ii) नकद और नकद समतुल्य	9	5,716.29	7,824.16
		(iii) नकद और नकद समकक्षों के अलावा अन्य बैंक शेष	10	7,252.86	3,052.58
		(iv) ऋण	10A	-	0.19
	(ग)	अन्य वित्तीय आस्तियां	11	1,27,127.22	60,781.98
	(घ)	अनुबंध आस्तियां	12	1,28,555.11	1,76,757.59
	(ङ)	चालू कर आकलन (शुद्ध)	13	8,062.74	10,626.43
	(च)	अन्य चालू आस्तियां	13A	96,161.71	65,132.99
		कुल मौजूदा संपत्तियां		**3,84,773.57**	**3,35,673.44**
		निपटान के लिए धारित वर्गीकृत आस्तियाँ	**14**	**0.11**	**1.51**
		कुल आस्तियाँ		**4,03,302.19**	**3,50,070.93**
II.		**इक्विटी एवं देयताएँ**			
		इक्विटी			
	(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	15	5,498.72	5,498.72
	(ख)	अन्य इक्विटी	16	37,407.54	34,085.17
		कुल इक्विटी		**42,906.26**	**39,583.89**
		देयताएँ			
(1)		**गैर मौजूदा देयताएँ**			
	(क)	वित्तीय देयताएँ			
		(i) अन्य वित्तीय देनदारियाँ	17	23,760.77	14,696.14
		(ii) पट्टा देयताएं		166.69	287.58
	(ख)	प्रावधान	18	4,968.21	4,859.37
		कुल गैर-वर्तमान देयताएँ		**28,895.67**	**19,843.09**

विवरण			टिप्पणी	31 मार्च, 2023 तक	31 मार्च, 2022 तक
(2)		**चालू देयताएँ**			
	(क)	वित्तीय देयताएँ			
		(i) उधार	19	1,080.93	4,889.82
	(ख)	व्यापार देनदारियाँ			
		(i) सूक्ष्म और लघु उद्यम	20	11,358.98	15,588.62
		(ii) अन्य	20	1,97,296.83	1,57,933.35
	(ग)	पट्टे की देयताएँ		27.83	64.36
	(घ)	अन्य वित्तीय दायित्व			
		(i) प्रावधान	21	5,600.19	3,219.46
	(ङ)	अन्य चालू देयताएँ	22	1,16,135.50	1,08,948.34
		कुल चालू देयताएँ		**3,31,500.26**	**2,90,643.95**
		कुल देयताएँ		**3,60,395.93**	**3,10,487.04**
		कुल इक्विटी और देयताएँ		**4,03,302.19**	**3,50,070.93**
महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां			1		

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणी का एक अभिन्न अंग हैं।

डे चक्रवर्ती एवं सेन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303029ई

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

सीए टी. के. चट्टोपाध्याय	**राजेश कुमार सिंह**	**नव रतन गुप्ता**	**रवि कुमार**
साझेदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त) व सीएफओ	निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
सदस्यता सं. 051809	डीआईएन – 09362244	डीआईएन- 10083026	डीआईएन-10105298

नुण्डी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303030ई

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

सीए एस. नन्दी
साझेदार
सदस्यता सं. 059828

राखी कर
कम्पनी सचिव

स्थान : कोलकाता
तारीख : 25.07.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि विवरणी

(आंकड़े लाख रू. में)

	विशिष्टियाँ	टिप्पणियाँ	31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
I.	**आय**			
II.	**परिचालन से राजस्व**	23	3,31,538.08	3,19,517.26
III.	**अन्य आय**	24	1,297.10	1,947.83
IV.	**कुल आय (II + III)**		**3,32,835.18**	**3,21,465.09**
V.	**व्यय**			
	उपभुक्त माल की लागत	25	92,829.15	69,193.28
	उप-संविदात्मक एवं अन्य निर्माण व्यय	25A	1,91,298.51	1,99,939.19
	कर्मी हितलाभ व्यय	26	24,675.53	32,222.64
	मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	2&30 (X)	1,229.61	1,724.08
	वित्त व्यय	27	6,133.08	4,720.90
	अन्य व्यय	28	11,003.85	10,635.93
	कुल व्यय (v)		**3,27,169.73**	**3,18,436.02**
VI.	**असाधारण मदे एवं कर पूर्व लाभ (IV-V)**		**5,665.45**	**3,029.07**
VII.	**असाधारण मदे**		**-**	**-**
VIII.	**कर पूर्व लाभ (VI - VII)**		**5,665.45**	**3,029.07**
IX.	**कर व्यय**	29		
	(1) चालू कर		2,093.36	1,420.32
	(2) आस्थगित कर		(517.87)	(518.79)
X.	**वर्ष के लिए लाभ (VIII - IX)**		**4,089.96**	**2,127.54**
XI.	**अन्य व्यापक आय**			
	(1) मदे जो लाभ-हानि विवरणी में पुन:वर्गीकृत नहीं होंगे			
	(क) पश्च कर्मी हितलाभ दायित्वों/परिभाषित हितलाभ योजना पर पुनर्मूल्यांकन		(174.50)	4.00
	(ख) मदों से संबंधित आयकर जो लाभ-हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		43.92	(1.01)
	(2) मदे जो लाभ-हानि विवरणी में पुन:वर्गीकृत किए जाएँगे।			
	(क) विदेशी परिचालन के रूपांतरण में विनियम अंतर			
	(ख) इस वस्तु से संबंधित आयकर			
	वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय (कर का शुद्ध) (XI)		(130.58)	2.99
XII.	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (X + XI)**		**3,959.38**	**2,130.53**
XIII.	**प्रति इक्विटी शेयर आय :**			
	(1) मूल अर्जन प्रति शेयर (रू.)		7.44	3.87
	(2) मिश्रित अर्जन प्रति शेयर (रू.)		7.44	3.87

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणी का एक अभिन्न अंग हैं।

डे चक्रवर्ती एवं सेन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303029ई

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

सीए टी. के. चट्टोपाध्याय	**राजेश कुमार सिंह**	**नव रतन गुप्ता**	**रवि कुमार**
साझेदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त) व सीएफओ	निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
सदस्यता सं. 051809	डीआईएन – 09362244	डीआईएन- 10083026	डीआईएन-10105298

नुण्डी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303030ई

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

सीए एस. नन्दी
साझेदार
सदस्यता सं. 059828

राखी कर
कम्पनी सचिव

स्थान : कोलकाता
तारीख : 25.07.2023

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में परिवर्तन विवरणी

A) इक्विटी शेयर पूँजी

(आंकड़े लाख रू. में)

शेयरों का वर्ग	31 मार्च, 2023 तक		31 मार्च, 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
रिपोर्टिंग अवधि का आरंभिक शेष	5,49,87,155	5,498.72	5,49,87,155	5,498.72
अवधि के दौरान जारी किया गया	-	-	-	-
अवधि के दौरान कमी	-	-	-	-
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में शेष	**5,49,87,155**	**5,498.72**	**5,49,87,155**	**5,498.72**

B) अन्य इक्विटी

विवरण	आरक्षित व अधिशेष		अन्य व्यापक आय	कुल
	सामान्य आरक्षित	प्रतिधारित आय	परिभाषित हितलाभ योजना का पुनर्मापन	
01 अप्रैल, 2022 को यथा शेष	25,224.31	10,275.35	(1,414.49)	34,085.17
वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए लाभ/(हानि)	-	4,089.96	-	4,089.96
इंड एएस समायोजन	-	6.34	-	6.34
वर्ष के लिए अन्य व्यापक आय	-	-	(130.58)	(130.58)
वर्ष के लिए कुल व्यापक आय	**25,224.31**	**14,371.65**	**(1,545.07)**	**38,050.89**
प्रतिधारित उपार्जन (में) / से अंतरण	-	-	-	-
इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश	-	643.35	-	643.35
इक्विटी शेयरों पर प्रदत्त लाभांश पर कर	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 को यथा शेष	**25,224.31**	**13,728.30**	**(1,545.07)**	**37,407.54**

डे चक्रवर्ती एवं सेन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303029ई

सीए टी. के. चट्टोपाध्याय
साझेदार
सदस्यता सं. 051809

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

राजेश कुमार सिंह
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन – 09362244

नव रतन गुप्ता
निदेशक (वित्त) व सीएफओ
डीआईएन- 10083026

रवि कुमार
निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
डीआईएन-10105298

नुण्डी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303030ई

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

सीए एस. नन्दी
साझेदार
सदस्यता सं. 059828

राखी कर
कम्पनी सचिव

स्थान : कोलकाता
तारीख : 25.07.2023

31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह

(आंकड़े लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
परिचालनात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	5,665.45	3,029.07
समायोजन के लिए:		
मूल्यह्रास और परिशोधन व्यय	1,229.61	1,724.08
विदेशी मुद्रा (लाभ)/विदेशी मुद्रा पर हानि	55.00	(0.09)
लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय साधनों पर उचित मूल्य/ परिशोधन लागत	(7.15)	(24.08)
(लाभ)/परिसंपत्ति , संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर हानि	(191.09)	(110.34)
वित्त आय	(609.39)	(1,055.42)
वित्त लागत	6,133.08	4,720.90
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए प्रावधान	1,973.41	604.75
भविष्यत हानि के लिए प्रावधान	281.55	1,039.00
नियोजन पश्च हितलाभा दायित्व/ परिभाषित हितलाभा योजना पर पुनर्मापन अभिलाभ/(हानि)	(174.50)	4.00
कार्यशील पूँजी प्रभारों के पूर्व परिचालनात्मक (हानि)/लाभ	**14,355.97**	**9,931.87**
कार्यशील पूँजी समायोजन :		
व्यापर देय में वृद्धि/ (कमी)	35,133.84	32,154.95
चालू देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	7,187.16	11,271.62
अन्य संविदात्मक देयताओं में वृद्धि/ (कमी)	-	82.24
अल्पावधि प्रावधान में वृद्धि/ (कमी)	125.77	1,770.85
अल्पावधि वित्तीय ऋण में (वृद्धि)/कमी	0.19	0.03
इन्वेंट्री में (वृद्धि)/कमी	(1,238.78)	715.89
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	838.66	(1,125.86)
अल्पावधि अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(66,338.09)	(890.72)
अन्य चालू आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(31,028.72)	9,158.96
अन्य संविदात्मक आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	48,202.48	(55,975.75)
(वृद्धि)/अन्य नकद एवं नकद समकक्षों में कमी	(4,200.28)	(1,272.06)
उद्भूत नकदी	**3,038.20**	**5,822.02**
अन्य दीर्घावधि वित्तीय देयताओं में वृद्धि/(कमी)	9,064.63	1,079.32
दीर्घावधि प्रावधानों में वृद्धि/(कमी)	108.84	217.77
दीर्घावधि वित्तीय ऋण में (वृद्धि)/कमी	0.89	0.23
दीर्घावधि अन्य वित्तीय आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(3,710.66)	(4,205.25)
दीर्घावधि अन्य अप्रचलित आस्तियों में (वृद्धि)/कमी	(0.03)	(0.01)
प्रदत्त प्रत्यक्ष कर (वापसी का शुद्ध)	82.90	410.91
परिचालनात्मक गतिविधियों से/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	**8,584.77**	**3,324.99**

(आंकड़े लाख रू. में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अमूर्त आस्तियों एवं पूँजी अग्रिम सहित संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की खरीद	(572.64)	(196.06)
प्राप्त ब्याज	609.39	1,055.42
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की बिक्री से प्राप्तियाँ	252.20	134.70
निपटारण हेतु यथा धारित वर्गीकृत आस्तियों के लिए बिक्री परिधारण से अग्रिम	1.40	4.02
निवेशित गतिविधियों से/(प्रयुक्त) शुद्ध नकदी	**290.35**	**998.08**
निवेशित गतिविधियों से नकदी प्रवाह		
अल्पावधि उधार (शुद्ध) की प्राप्तियाँ / पुनर्भुगतान	(3,808.89)	(14,290.93)
पट्टा भुगतान	(399.65)	(438.04)
वित्त लागत	(6,133.08)	(4,720.90)
प्रदत्त लाभांश	(643.35)	(230.95)
शुद्ध नकदी (इसमें प्रयुक्त)/वित्तपोषण गतिविधियों से	**(10,984.97)**	**(19,680.82)**
नकदी व नकदी समतुल्य में शुद्ध (कमी)/वृद्धि	(2,109.85)	(15,357.75)
वर्ष के आरंभ में नकदी व नकदी समतुल्य	7,824.16	23,181.82
वर्ष के अंत में नकदी व नकदी समतुल्य	5714.31	7824.07
विदेशी मुद्रा दर परिवर्तन का प्रभाव	(1.98)	(0.09)
कुल नकदी व नकदी समतुल्य (टिप्पणी 9)	5,716.29	7,824.16
शेष सहित नकदी व नकदी समतुल्य		

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का सार 1

संलग्न टिप्पणियाँ वित्तीय विवरणी का अभिन्न अंग हैं।

नकदी प्रवाह के लिए कम्पनी अप्रत्यक्ष पद्धति का अनुसरण कर रही है।

डे चक्रवर्ती एवं सेन
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303029ई

निदेशक मण्डल के लिए और उनकी ओर से

सीए टी. के. चट्टोपाध्याय	**राजेश कुमार सिंह**	**नव रतन गुप्ता**	**रवि कुमार**
साझेदार	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक	निदेशक (वित्त) व सीएफओ	निदेशक (परियोजना प्रबंधन)
सदस्यता सं. 051809	डीआईएन – 09362244	डीआईएन- 10083026	डीआईएन-10105298

नुण्डी एवं एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड एकाउंटेंट्स
एफआरएन 303030ई

राजेश कुमार
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

सीए एस. नन्दी
साझेदार
सदस्यता सं. 059828

राखी कर
कम्पनी सचिव

स्थान : कोलकाता
तारीख : 25.07.2023

वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ

टिप्पणी 1 : अवलोकन एवं महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ

i) कम्पनी अवलोकन

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड ("बी एण्ड आर" या "कम्पनी") भारत में अधिवासित एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है और इसका पंजीकृत कार्यालय 'कांकरिया सेंटर', 4 वीं और 5 वीं मंजिल, 2/1, रसेल स्ट्रीट, कोलकाता- 700071 में है।

1920 में स्थापित, ब्रिज एण्ड रूफ तब से भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में आ गई है। संयोजन के बाद से "बी एण्ड आर" सभी प्रकार की सिविल, संरचनात्मक, यांत्रिक और टर्नकी परियोजनाओं को शुरू करके निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की सेवा कर प्रदान रहा है, जिसमें भारत के साथ-साथ विदेशों में पूरे औद्योगिक और बुनियादी ढांचे के क्षेत्र शामिल हैं। 2020-21 में, कम्पनी ने 100 वर्षों की अपनी शानदार यात्रा पूरी की है।

ii) अनुपालन विवरणी

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के संबंध में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी कम्पनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत अधिसूचित कम्पनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और भारतीय लेखांकन मानकों ("इंड एएस") के अनुसार कम्पनी के वित्तीय विवरण तैयार किए गए हैं। इन वित्तीय विवरणों को निदेशक मंडल द्वारा जारी करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

iii) निर्मिति का आधार

कम्पनी के वित्तीय विवरणी इंड एएस के अनुसार, कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार उपार्जन आधार पर ऐतिहासिक लागत अभिसमय, सिवाय अन्यथा उल्लिखित को छोड़कर, के अनुसार तैयार किए जाते हैं।

iv) वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति

तुलन-पत्र, लाभ और हानि विवरणी और इक्विटी में परिवर्तन विवरणी तैयार किया जाता है और कम्पनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की अनुसूची III में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया जाता है। नकदी प्रवाह का विवरण तैयार किया गया है और इंड एएस 7 "नकदी प्रवाह का विवरण" की आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत किया गया है। तुलन-पत्र की मदों तथा लाभ और हानि विवरणी के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाएं, जैसा कि अधिनियम की अनुसूची-III में निर्धारित किया गया है, अधिसूचित लेखा मानकों के अंतर्गत प्रकट किए जाने के लिए अपेक्षित अन्य नोटों के साथ वित्तीय विवरणियों का भाग बनाने वाले टिप्पणियों के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं।

कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III द्वारा अनुमत वित्तीय विवरणियों में राशि भारतीय रुपये में दो दशमलव स्थानों पर प्रस्तुत की जाती है। प्रति शेयर डेटा भारतीय रुपये में दो दशमलव स्थानों पर प्रस्तुत किया जाता है।

v) मुख्य प्राक्कलन एवं धारणाएँ

इंड एएस के अनुरूप वित्तीय विवरणी तैयार करने के लिए आवश्यक है कि कम्पनी का प्रबंधन प्राक्कलन और धारणाएं बनाए जो अवधि की आय और व्यय की रिपोर्ट की गई मात्रा, आस्तियों और देयताओं के रिपोर्ट किए गए संतुलन और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आकस्मिक देयताओं से संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। प्रबंधन द्वारा किए गए अनुमानों और अंतर्निहित मान्यताओं को संबंधित नीतियों के तहत समझाया गया है। लेखांकन अनुमानों में संशोधनों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के उपयोगी जीवन, अपेक्षित ऋण हानि के लिए भत्ता, सेवानिवृत्ति लाभ योजनाओं के संबंध में भावी दायित्व, संविदाओं को पूरा करने की अपेक्षित लागत, सुधार लागतों के लिए प्रावधान, उचित मूल्य माप आदि शामिल हैं। वास्तविक परिणामों और अनुमानों के बीच अंतर, यदि कोई हो, तो उस अवधि में पहचाना जाता है जिसमें परिणाम ज्ञात होते हैं।

vi) वर्तमान एवं गैर-वर्तमान वर्गीकरण के लिए परिचालनात्मक चक्र

कम्पनी की व्यावसायिक गतिविधियों के लिए प्रचालन चक्र में विशिष्ट परियोजना/संविदा/सेवा की अवधि शामिल होती है, जिसमें दोष देयता अवधि, जहां भी लागू होती है और सामान्यत सहमत क्रेडिट अवधि के भीतर प्राप्तियों (अवधारण राशि सहित) की प्राप्ति तक विस्तारित होती है, जो सामान्य रूप से संबंधित व्यवसाय लाइनों पर लागू होती है और कम्पनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III में निर्धारित अन्य मानदंडों पर लागू होती है।

vii) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

पीपीई को तब मान्यता दी जाती है जब यह संभव हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कम्पनी को प्रवाहित होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पीपीई को कर/शुल्क (वसूली योग्य के अलावा), यदि कोई हो, संचित मूल्यह्रास और संचयी हानि को छोड़कर लागत पर बताया जाता है। लागत में वह व्यय शामिल है जो सीधे ऐसी आस्तियों के अधिग्रहण और स्थापना के लिए जिम्मेदार है, यदि कोई हो। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित बाद के व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभव होता है कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कम्पनी को प्राप्त होंगे और वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। अन्य सभी मरम्मत और रखरखाव की लागत को लाभ और हानि के विवरण के रूप शामिल किया गया है।

स्वामित्व वाली आस्तियों से परिवर्धन/कटौती पर मूल्यह्रास की गणना उपयोग की अवधि के अनुपात में की जाती है।

स्पेयर पार्ट्स और सर्विसिंग उपकरणों जैसी वस्तुओं को पीपीई के रूप में मान्यता दी जाती है यदि वे संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की परिभाषा को पूरा करते हैं और एक वर्ष से अधिक समय के दौरान उपयोग किए जाने की उम्मीद है। पुर्जों और सर्विसिंग उपकरणों की अन्य सभी मदों को इन्वेंट्री के आइटम के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

10,000/- रुपये या उससे कम लागत वाली संपत्ति, संयंत्र और उपकरण अधिग्रहण के वर्ष में पूरी तरह से मूल्यह्रास हो जाते हैं।

फ्रीहोल्ड भूमि ऐतिहासिक लागत पर ले जाया जाता है। जहां आस्ति के एक हिस्से ("आस्ति घटक") की लागत संपत्ति की कुल लागत के लिए महत्वपूर्ण है और उस हिस्से का उपयोगी जीवन शेष संपत्ति के उपयोगी जीवन से अलग है, उस महत्वपूर्ण हिस्से का उपयोगी जीवन अलग से निर्धारित किया जाता है और ऐसे आस्ति घटक को इसके अलग उपयोगी जीवन पर मूल्यह्रास किया होता है।

इन आस्तियों का मूल्यह्रास तब शुरू होता है जब आस्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं जो आम तौर पर कमीशनिंग पर होती हैं। मूल्यह्रास को लिखित मूल्य पद्धति का उपयोग करके मान्यता दी जाती है ताकि कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में निर्दिष्ट उनके उपयोगी जीवन पर आस्तियों (फ्रीहोल्ड भूमि के अलावा) की लागत को उनके अवशिष्ट मूल्यों से घटाकर बट्टे खाते में डाला जा सके, या उन आस्तियों के मामले में जहां उपयोगी जीवन तकनीकी मूल्यांकन द्वारा निर्धारित किया गया था। अपवाद नीचे दिया गया है:

निर्माण उपकरण और उपकरण - उपयोगी जीवन- 5 साल - डब्ल्यूडीवी 45.07%

संपत्ति में सन्निहित भविष्य के आर्थिक लाभों की खपत के अपेक्षित पैटर्न को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में मूल्यह्रास विधि की समीक्षा की जाती है। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में अनुमानित उपयोगी जीवन और अवशिष्ट मूल्यों की भी समीक्षा की जाती है और उपयोगी जीवन/अवशिष्ट मूल्य के अनुमानों में किसी भी परिवर्तन के प्रभाव को भावी आधार पर हिसाब लगाया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की वहन राशि को निपटान के मामले में मान्यता रद्द कर दी जाती है या जब इसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ की उम्मीद नहीं होती है।

viii) हानि

जब भी घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से संकेत मिलता है कि वहन की गई राशि वसूली नहीं की जा सकती है, पीपीई का परीक्षण हानि के लिए किया जाता है। क्षति हानि, यदि कोई हो, उस सीमा तक प्रदान की जाती है, तो आस्तियों या नकदी पैदा करने वाली इकाइयों की वहन राशि उनकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाती है।

वसूली योग्य राशि किसी आस्ति के शुद्ध विक्रय मूल्य और उपयोग में उसके मूल्य से अधिक है। उपयोग में मूल्य अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह का वर्तमान मूल्य है जो किसी संपत्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई के निरंतर उपयोग से और इसके उपयोगी जीवन के अंत में इसके निपटान से उत्पन्न होने की उम्मीद है। क्षति हानि को लाभ और हानि विवरणी में तुरंत अभिधारित किया जाता है और आस्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई की वहन राशि को इसकी वसूली योग्य राशि तक कम कर दिया जाता है।

ix) पट्टा

कम्पनी 1 अप्रैल 2019 से इंड एएस 116 'पट्टा' का पालन कर रही है।

पट्टे पर ली गई आस्तियों को पूंजीकृत किया जाता है और वित्तीय विवरणी में उपयोग के अधिकार के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है। पट्टा किराया रेंटल ब्याज, मूल्यह्रास और मूल मूल्य के बीच आवंटित किए जाते हैं। ब्याज और मूल्यह्रास प्रभार लाभ और हानि विवरणी में लगाए जाते हैं और मूल राशि को पट्टे के दायित्वों में समायोजित किया जाता है।

पट्टों को पहले वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

कंपनी ने पहले से वित्त पट्टों के रूप में वर्गीकृत पट्टों के लिए प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों की प्रारंभिक वहन मात्रा में बदलाव नहीं किया है (यानी, उपयोग का अधिकार इंड एएस 17 के तहत मान्यता प्राप्त संपत्ति पट्टे परिसंपत्तियों के बराबर है)।

पट्टों को पहले परिचालन पट्टों के रूप में माना जाता था।

कंपनी ने अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को छोड़कर, उन पट्टों के लिए उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों और पट्टे की देनदारियों को मान्यता दी है, जिन्हें पहले परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया था। कंपनी शेष लीज भुगतान के वर्तमान मूल्य पर मापी गई लीज देनदारी को मान्यता देती है, प्रारंभिक आवेदन की तिथि पर कंपनी की वृद्धिशील उधार दर का उपयोग करके छूट दी जाती है और तदनुसार लीज देनदारी के बराबर राशि पर उपयोग के अधिकार की संपत्ति को मापा जाता है।

कम्पनी ने निम्नलिखित उपलब्ध व्यावहारिक समीचीन लागू किए:

i) अल्पकालिक पट्टों में उन पट्टों पर छूट दी गई है जिनकी लीज अवधि प्रारंभिक आवेदन की तारीख से 12 महीने के भीतर समाप्त होती है और कुल लीज अवधि 12 महीने से कम है।

ii) उन पट्टों को कम मूल्य की पट्टे से छूट जहां अंतर्निहित आस्ति कम मूल्य की है। (मूल्य में 50,000 रुपये से कम की संपत्ति)

x) बिक्री के लिए धारित गैर-चालू आस्तियाँ

कम्पनी गैर-चालू आस्तियों (या निपटान समूह) को 'बिक्री के लिए धारित' के रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उनकी वहन राशि मुख्य रूप से निरंतर उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से पुनर्प्राप्त की जाएगी और बिक्री अत्यधिक संभावित है यानी बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाई से संकेत मिलता है कि यह संभावना नहीं है कि बिक्री में महत्वपूर्ण बदलाव किए जाएंगे या बेचने का निर्णय वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री (या निपटान समूह) के लिए आयोजित गैर-चालू आस्तियों को उनकी वहन राशि और बेचने की लागत घटाकर उचित मूल्य के निचले स्तर पर मापा जाता है। बिक्री के लिए रखी गई आस्तियों और देयताओं को तुलन-पत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण और एक बार बिक्री के लिए रखे जाने के बाद मूल्यह्रास या परिशोधन नहीं किया जाता है।

xi) इन्वेंटरी का मूल्यांकन

स्टील स्टॉक जिसमें पूर्ण आकार और लीविंग्स/ऑफ-कट शामिल हैं, जो निर्माण की प्रक्रिया में उपयोग करने योग्य हैं, का मूल्यांकन लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है। इस्पात भंडार की लागत मापने के लिए भारित औसत सूत्र का प्रयोग किया जाता है। कच्चे माल के साइट स्टॉक को लागत से कम पर मूल्य दिया जाता है और निवल वसूली योग्य मूल्य और एफआईएफओ लागत सूत्र का उपयोग किया जाता है।

संरचनात्मक कार्य के मामले में, उत्पादन के सभी चरणों को आच्छादन नहीं करने वाले कार्यों को भारित औसत लागत सूत्र का उपयोग करके लागत और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य से कम मूल्य पर आंका जाता है।

वर्क्स/परियोना स्थलों पर स्क्रैप सहित उपभोग्य सामग्रियों और अन्य सामग्रियों का मूल्य एफआईएफओ लागत सूत्र का उपयोग करके लागत से कम और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

हावड़ा वर्क्स और परियोजना स्थलों पर उपकरण और सामान का मूल्य क्रमशः भारित औसत लागत सूत्र और एफआईएफओ विधि का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

समीक्षा के बाद अप्रचलित, अनुपयोगी और अधिशेष भंडारों और पुर्जों के मूल्य में कमी का पता लगाया जाता है और इसका प्रावधान किया जाता है।

xii) राजस्व मान्यता

कम्पनी ग्राहकों के साथ संविदा से राजस्व को मान्यता देती है जब यह ग्राहक को वादा किया गया सामान या सेवा को स्थानांतरित करके प्रदर्शन दायित्व को पूरा करती है। राजस्व को संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित लेनदेन मूल्य की सीमा तक मान्यता प्राप्त है। प्रदर्शन दायित्व समय के साथ संतुष्ट होता है क्योंकि ग्राहक को संपत्ति के नियंत्रण का हस्तांतरण समय के साथ किया जाता है और राजस्व मान्यता प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर की जाती है।

लेनदेन मूल्य आवंटित करने के लिए, कम्पनी ने अनुबंधों के प्रदर्शन दायित्व के संबंध में राजस्व को अपने सापेक्ष बिक्री मूल्य पर मापा है। राजस्व को अनुबंध गतिविधि के पूरा होने के चरण के संदर्भ में पूर्णता विधि के प्रतिशत के तहत मान्यता दी जाती है। पूरा होने के चरण को उस अनुपात की गणना करके मापा जाता है जो आज तक की लागत एक अनुबंध की अनुमानित कुल लागतों को वहन करती है। पूर्णता विधि के प्रतिशत के तहत राजस्व के निर्धारण में आवश्यक रूप से प्रबंधन द्वारा अनुमान लगाना शामिल है।

कम्पनी एक अपेक्षित नुकसान को तुरंत पहचानती है जब यह संभव है कि कुल संविदा लागत कुल संविदा राजस्व से अधिक है।

बिलों से अधिक मान्यता प्राप्त अनुबंध के परिणामस्वरूप राजस्व को वित्तीय स्थिति के विवरण पर संविदा आस्तियों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ग्राहकों से बिल और देय राशि को वित्तीय स्थिति के विवरणी पर वित्तीय आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। अंतिम संविदा निपटान तक ग्राहक द्वारा रखे गए भुगतान के हिस्से को एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उद्देश्य आमतौर पर ग्राहक को संविदा के तहत निर्दिष्ट कम्पनी के शेष प्रदर्शन के लिए सुरक्षा का एक रूप प्रदान करना है, जो उद्योग अभ्यास के अनुरूप है।

निक्षेपागार संविदाओं से उत्पन्न होने वाली संविदा आस्तियों को उन संविदाओं के विरुद्ध प्राप्त जमाराशियों का घटाकर दर्शाया जाता है। शुद्ध शेष राशि को 'अन्य चालू आस्तियों' के भाग के रूप में दर्शाया जाता है यदि संविदा आस्तियां जमाराशियों से अधिक होती हैं और यदि जमाराशियां संविदा आस्तियों से अधिक होती हैं तो उन्हें 'अन्य वर्तमान देयताओं' के भाग के रूप में दर्शाया जाता है।

अग्रिम भुगतान के लिए एक देयता को मान्यता प्राप्त है और इसे एक महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक के रूप में नहीं माना जाता है क्योंकि इसका उपयोग परियोजना निष्पादन के समय कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। इसे वित्तीय स्थिति के विवरणी में संविदा देयता के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

संविदा आस्तियां, जैसा कि चालू वर्ष में खुलासा किया गया है जो "बिलिंग से अधिक मान्यता प्राप्त राजस्व" अनुबंध को संविदा आस्ति के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

"अग्रिम में प्राप्त आय" का प्रतिनिधित्व करने वाले चालू वर्ष में घोषित संविदा देयताओं को पिछले वर्ष में अन्य वर्तमान देयताओं के भाग के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

अन्य आय - अन्य आय का हिसाब तब लगाया जाता है जब ऐसी आय प्राप्त करने का अधिकार उत्पन्न होता है और आय की मात्रा को मज़बूती से मापा जा सकता है।

xiii) विदेशी मुद्रा लेनदेन

कम्पनी के वित्तीय विवरणी भारतीय रुपये में प्रस्तुत किए जाते हैं जो कार्यात्मक मुद्रा है। कार्यात्मक मुद्रा के अलावा कोई भी मुद्रा विदेशी मुद्रा है।

विदेशी मुद्राओं में लेन-देन लेनदेन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर या लेनदेन की तारीख पर वास्तविक दर के अनुमानित दर पर दर्ज किए जाते हैं। विदेशी मुद्राओं में अंकित मौद्रिक आस्तियों और देयताओं को रिपोर्टिंग तिथि पर विनिमय की समापन दरों पर कार्यात्मक मुद्रा में अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक मदों के निपटान या अनुवाद पर उत्पन्न होने वाले विनिमय मतभेदों को लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

xiv) कर्मी हितलाभ

1. अल्पावधि कर्मी हितलाभ :

सेवा प्रदान करने के बारह महीने के भीतर पूरी तरह से होने वाले गैर-मौद्रिक हितलाभ सहित वेतन, मजदूरी जैसे सभी हितलाभों को अल्पकालिक कर्मी हितलाभ के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उस अवधि में हिसाब लगाया जाता है जिसमें कर्मी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

2. नियोजन पश्च हितलाभ योजना :

i) परिभाषित योगदान योजना

एक परिभाषित योगदान योजना एक नियोजन के बाद की हितलाभ योजना है जिसके तहत कम्पनी एक अलग इकाई को निर्दिष्ट योगदान का भुगतान करती है। कम्पनी भविष्य निधि और पेंशन योजना के लिए निर्दिष्ट मासिक योगदान करती है। कम्पनी के योगदान को उस अवधि के दौरान लाभ और हानि विवरणी में व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मी संबंधित सेवा प्रदान करता है।

ii) परिभाषित हितलाभ योजना

उपदान हितलाभ के संबंध में देयता की गणना अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके की जाती है, जिसमें प्रत्येक तुलन-पत्र तिथि पर बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। उपदान देयता राशि का योगदान कर्मचारियों को उपदान के भुगतान के लिए विशेष रूप से गठित अनुमोदित उपदान फंड में किया जाता है। बीमांकिक लाभ और हानि को उस अवधि के लिए अन्य व्यापक आय के विवरणी में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं। तुलन-पत्र में मान्यता प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ दायित्व परिभाषित हितलाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है जैसा कि योजना आस्तियों के उचित मूल्य से कम हो गया है।

3. अन्य कर्मी हितलाभ

क्षतिपूर्ति अवकाश के संबंध में देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के अनुसार लाभ और हानि खाते में मान्यता दी जाती है। उपयोगकर्ताओं को उपयोगी जानकारी प्रदान करने और परिभाषित हितलाभ योजना के संशोधन, कटौती या निपटान पर वित्तीय विवरणों की समझ को बढ़ाने के लिए, कम्पनी शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (आस्ति) को फिर से मापने के लिए बीमांकिक मान्यताओं को अद्यतन करती है, और वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की शेष अवधि (योजना संशोधन, कटौती या निपटान के बाद) के लिए वर्तमान सेवा लागत और शुद्ध ब्याज निर्धारित करने के लिए अद्यतन मान्यताओं और संशोधित शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (संपत्ति) का उपयोग करती है।

4. उधार लागत

अर्हक आस्तियों के अधिग्रहण के कारण उधार लेने की लागत (यानी, ऐसी आस्तियां जो अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लेती हैं) को उस तारीख तक की लागत में जोड़ा जाता है जब ऐसी आस्तियां अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होती हैं। अन्य उधार लागतों को उस अवधि में खर्च किया जाता है जिसमें वे खर्च करते हैं।

15) आय पर कर

अवधि के लिए कर व्यय में चालू और आस्थगित कर शामिल हैं। कर को लाभ और हानि विवरणी में मान्यता दी जाती है, सिवाय इसके कि यह अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में मान्यता प्राप्त वस्तुओं से संबंधित है।

चालू कर

वर्तमान कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों और कर कानूनों के आधार पर कराधान अधिकारियों से वसूली या भुगतान की जाने वाली राशि पर मापा जाता है जो रिपोर्टिंग तिथि पर अधिनियमित या ठोस रूप से अधिनियमित होते हैं।

आस्थगित कर

आस्थगित कर को वित्तीय विवरणों में आस्तियों और देयताओं की वहन राशि और कर योग्य आय की गणना में उपयोग की जाने वाली आस्तियों और देयताओं के कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर आस्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है जो उस अवधि में लागू होने की उम्मीद है जिसमें देयता का निपटान किया जाता है या आस्ति प्राप्त की जाती है, कर दरों और कर कानूनों के आधार पर जो रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या ठोस रूप से अधिनियमित किए गए हैं।

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि के अंत में आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की वहन राशि की समीक्षा की जाती है।

16) दावे

शुल्क वापसी, नकदी प्रोत्साहन, बीमा और अन्य सभी दावों को वसूली/निपटान के आधार पर लेन-देन की प्रकृति के अनुसार किए गए कार्य/दावों की बिक्री/मूल्य के रूप में गिना गया है।

17) प्रावधान, आकस्मिक देयताएँ एवं आकस्मिक आस्तियाँ :

खातों में प्रावधान को मान्यता दी जाती है जब पिछली घटनाओं के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान दायित्व होता है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने के लिए संसाधनों के बहिर्प्रवाह की आवश्यकता होगी और एक विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है। प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर छूट नहीं दी जाती है और रिपोर्टिंग तिथि पर दायित्व को निपटाने के लिए आवश्यक सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इन अनुमानों की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर समीक्षा की जाती है और वर्तमान सर्वोत्तम अनुमानों को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है।

आकस्मिक देयताओं का खुलासा इंड एएस-37 के संदर्भ में किया जाता है जब तक कि संसाधनों के बहिर्वाह की संभावना दूर न हो। आकस्मिक आस्तियों का खुलासा तब किया जाता है जब आर्थिक लाभ का प्रवाह संभव होता है। प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख पर प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों की समीक्षा की जाती है।

18) प्रति शेयर आय (ईपीएस)

मूल ईपीएस राशि की गणना वर्ष के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से इक्विटी धारक के लिए वर्ष के लिए लाभ को विभाजित करके की जाती है।

तनुकृत ईपीएस राशि की गणना (यदि आवश्यक हो) इक्विटी धारकों को होने वाले लाभ को अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से विभाजित करके की जाती है, जो पूरे तनुकृत संभावित इक्विटी शेयर को इक्विटी शेयरों में बदलने पर जारी किए जाएंगे।

प्रकटीकरण भी किया जाता है यदि:

i. ऐसे लिखत (आकस्मिक रूप से जारी करने योग्य शेयरों सहित) जो भविष्य में प्रति शेयर मूल आय को संभावित रूप से कम कर सकते हैं, लेकिन प्रति शेयर कम आय की गणना में शामिल नहीं किए गए थे क्योंकि वे प्रस्तुत अवधि के लिए एंटी-डिल्यूटिव हैं।

ii. भारतीय लेखांकन मानक (आईएनडी एएस) 33 के अनुच्छेद 64 के अनुसार प्रति शेयर आय के अलावा साधारण शेयर लेनदेन या संभावित साधारण शेयर लेनदेन का विवरण, जो रिपोर्टिंग अवधि के बाद होता है और यदि वे लेनदेन रिपोर्टिंग अवधि के अंत से पहले हुए होते तो अवधि के अंत में सामान्य शेयरों या संभावित साधारण शेयरों की संख्या में काफी बदलाव होता।

19) नकदी व नकदी समतुल्य

नकदी और नकदी समतुल्य में बैंक में नकदी और हाथ में नकदी, पारगमन में प्रेषण शामिल हैं जो नकदी की ज्ञात मात्रा में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं।

इइ. वित्तीय साधन

वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को तब मान्यता दी जाती है जब कम्पनी उपकरणों के संविदात्मक प्रावधानों में एक पक्ष बन जाती है। वित्तीय आस्तियों और वित्तीय देयताओं को शुरू में लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लेनदेन लागत या उचित मूल्य शामिल होता है जहां लेनदेन मूल्य उचित मूल्य से अलग होता है।

i. वित्तीय आस्तियाँ पाश्चिक मापन

सभी मान्यता प्राप्त वित्तीय आस्तियों को बाद में वित्तीय आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर परिशोधन लागत या उचित मूल्य पर उनकी संपूर्णता में मापा जाता है।

ii. परिशोधित लागत पर वित्तीय आस्तियाँ

बाद के माप के उद्देश्य के लिए, वित्तीय आस्तियों को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है यदि निम्नलिखित दोनों शर्तों को पूरा किया जाता है:

- वित्तीय आस्ति एक व्यवसाय मॉडल के भीतर आयोजित की जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करने के लिए वित्तीय आस्ति रखना है और
- वित्तीय आस्ति की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाह के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर पर नकदी प्रवाह को बढ़ाती हैं जो केवल मूलधन का भुगतान और बकाया मूल राशि पर ब्याज है।

iii. लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय आस्तियाँ

वित्तीय आस्तियों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है जब तक कि इसे परिशोधन लागत पर या अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर नहीं मापा जाता है।

iv. वित्तीय आस्तियों की क्षति

कम्पनी प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख पर यह आकलन करती है कि क्या वित्तीय आस्ति या वित्तीय आस्तियों का एक समूह क्षतिग्रस्त हुआ है। कम्पनी संविदात्मक प्राप्तियों पर आजीवन अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर राशि पर हानि भत्ते को मापती है। अपेक्षित क्रेडिट हानि का आकलन करते समय, जिस अवधि पर विचार किया जाता है, वह संविदा की शर्तों के अलावा असामान्य रूप से लंबी अतिदेय अवधि [(यानी) अनुबंध के आधार पर दोष देयता अवधि से परे तीन साल आगे है।] डिफ़ॉल्ट दरों की समीक्षा की जाती है और अग्रगामी अनुमानों में परिवर्तन का विश्लेषण किया जाता है। वर्ष के दौरान मान्यता प्राप्त क्षति भत्ता लाभ और हानि विवरणी से प्रभारित किया जाता है।

v. वित्तीय आस्तियों की मान्यता रद्द करना

जब वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह के संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाते हैं, या जब वित्तीय आस्ति और सभी पर्याप्त जोखिम और अधिनिर्णय स्थानांतरित हो जाते हैं, तो वित्तीय परिसंपत्तियों की मान्यता रद्द कर दी जाती हैं।

vi. परिशोधित लागत पर पाश्चिक मापित वित्तीय देयताएँ

प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय देयताओं को प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

vii. वित्तीय देयताओं की मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय दायित्व को तब रद्द कर दिया जाता है जब इसे निर्वापन, उन्मोचन, निरस्त या अवधि-समाप्त हो जाता है। अमान्यता प्राप्त वित्तीय देयता की वहन राशि और भुगतान और देय विचार के बीच के अंतर को लाभ और हानि विवरणी में मान्यता दी गई है।

viii. ऋणात्मक मुआवजा के साथ पूर्वभुगतान सुविधा के साथ वित्तीय साधन का वर्गीकरण

ऋणात्मक मुआवजे के साथ पूर्व भुगतान सुविधा वाले वित्तीय साधनों को इंड एएस 109 के तहत निर्दिष्ट संबंधित शर्तों के अनुसार "परिशोधन लागत पर मापा जाता है", या "लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है" या "अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

टिपण्णी 2 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	भूमि		भवन, सड़क की बाड़ लगाना/ कारखाना/ इमारतों		गैर कारखाना भवन	संयंत्र एवं मशीनरी	विद्युत अधिस्थापना	कंप्यूटर, टाइपराइटर, लेखांकन मशीन	फर्नीचर एवं जुड़नार	पम्प, ट्यूबपेल, एवं सर्वेक्षण उपस्कर	वाहन	कुल
	पट्टाधृत	स्वामित्व	पट्टाधृत	स्वामित्व	स्वामित्व							
संक्रमण तिथि 01 अप्रैल 2021 को यथा मानी गई लागत	15.78	14.14	9.46	67.81	4.32	7726.5	109.69	421.09	705.38	1603.56	1008.37	11686.10
2021-22 के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00	3.56	-15.37	0.00	91.99	8.31	38.78	66.88	1.91	0.00	196.06
2021-22 के दौरान निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.41	0.14	0.32	0.00	2.04	2.45	24.36
अन्य समायोजन (निपटान के लिए धारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	1.51
31 मार्च 2022 को यथा लागत	15.78	14.14	13.02	52.44	4.32	7798.47	117.86	459.55	772.26	1603.43	1005.02	11856.29
इस वर्ष के दौरान परिवर्धन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.04	28.51	44.67	39.72	0.00	-0.30	572.64
इस वर्ष क दौरान निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.01	0.17	0.04	0.00	1.35	6.54	61.11
अन्य समायोजन (निपटान के लिए धारित)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
31 मार्च 2023 को सकल ब्लॉक	15.78	14.14	13.02	52.44	4.32	8205.39	146.20	504.18	811.98	1602.08	998.18	12367.71
मूल्यह्रास / परिशोधन												
1 अप्रैल, 2021 को यथा	1.92	0.28	4.08	26.80	1.52	4054.21	71.95	327.72	394.67	786.81	556.01	6225.97
वर्ष 2021-22 के दौरान प्रभार	0.00	0.00	0.18	0.52	0.05	892.10	9.86	51.19	87.47	175.71	115.54	1332.62
अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.18
निपटान पर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00	0.37	0.25	2.26
31 मार्च 2022 को यथा	1.92	0.28	4.26	27.32	1.57	4947.95	81.81	378.91	482.14	962.89	671.98	7561.03
इस वर्ष के दौरान प्रभार	0.00	0.00	0.18	0.50	0.06	603.24	5.35	20.43	71.77	107.99	49.26	858.78
अन्य समायोजन	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11
निपटान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.37	0.05	0.04	0.00	2.21	0.20	12.87
31 मार्च 2023 को यथा	1.92	0.28	4.44	27.82	1.63	5561.67	87.21	399.38	553.91	1073.09	721.44	8432.79
शुद्ध ब्लॉक												
31 मार्च 2023 को	13.86	13.86	8.58	24.62	2.69	2643.72	58.99	104.80	258.07	528.99	276.74	3934.92
31 मार्च 2022 को	13.86	13.86	8.76	25.12	2.75	2850.52	36.05	80.64	290.12	640.54	333.04	4295.26

टिप्पणी 2 का अतिरिक्त प्रकटीकरण : संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
भूमि ब्यौरा :		
अ) स्वामित्व : शुद्ध ब्लॉक	13.86	13.86
भूमि क्षेत्रफल 55350 वर्गमीटर		
आ) पट्टाधृत : निवल ब्लॉक	13.86	13.86
भूमि क्षेत्रफल 3304 वर्गमीटर		
कुल	**27.72**	**27.72**

टिप्पणी 2 क: ऋण - गैर-चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मी ऋण	-	0.89
कुल	**-**	**0.89**

टिप्पणी 3 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ - गैर-चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिभूत रहित समझी गई माल जमाराशियाँ		
ग्राहक द्वारा प्रतिधारित जमाराशियाँ	9397.92	3896.48
अन्य जमाराशियाँ	470.35	2261.13
कुल	**9868.27**	**6157.61**

टिप्पणी 4 : अप्रचलित कर आस्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अप्रचलित कर आस्तियाँ	1552.73	1121.35
कुल	**1,552.73**	**1,121.35**

टिप्पणी 5 : आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर पर मूल्यह्रास	529.09	610.50
चालू आस्तियों के लिए प्रावधान	97.00	82.99
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	1,166.73	599.16
अवकाश नकदीकरण	1,270.78	1,253.08
कुल	**3,063.60**	**2,545.73**

टिप्पणी 6 : अन्य गैर-वित्तीय आस्तियाँ - गैर-चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
उद्दिष्ट लाभांश खाता	0.71	0.68
कुल	**0.71**	**0.68**

टिप्पणी 7 : इन्वेंटरी

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
इन्वेंटरी (कम लागत और शुद्ध प्राप्त मूल्य)		
कच्चा माल	10308.59	8356.57
उपभोग योग्य व अन्य सामग्री	362.52	949.75
पूर्जे व साज-समान	32.76	87.12
स्क्रैप भंडार	48.34	119.99
कुल	**10,752.21**	**9,513.43**

टिप्पणी 8 : व्यापार प्राप्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिभूत रहित, माल माना जाता है	1,145.43	1,984.09
कुल	**1,145.43**	**1,984.09**

टिप्पणी 9 : नकदी व नकदी समतुल्य

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
हाथ में नकदी	36.07	19.21
बैंक के पास शेष:		
चालू खाते में	5,612.52	7,742.29
पारगमन में प्रेषण	67.70	62.66
कुल	**5,716.29**	**7,824.16**

टिप्पणी 10 : नकदी व नकदी समतुल्य से इतर बैंक शेष

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
मार्जिन राशि जमा	7,161.82	3,031.11
मार्जिन राशि पर ब्याज	91.04	21.47
कुल	**7,252.86**	**3,052.58**

टिप्पणी 10 क : ऋण - चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मचारी ऋण	-	0.19
कुल	**-**	**0.19**

टिप्पणी 11 : अन्य वित्तीय आस्तियाँ - चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिभूत रहित, माल माना जाता है		
सुरक्षित जमाराशियाँ	2,311.54	1,999.03
ग्राहक द्वारा उद्दिष्ट जमाराशियाँ	16,119.57	19,632.48
संविदा प्राप्य	1,08,696.11	39,150.47
कुल	**1,27,127.22**	**60,781.98**

टिप्पणी 12 : संविदात्मक आस्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संविदा आस्तियाँ	1,28,555.11	1,76,757.59
कुल	**1,28,555.11**	**1,76,757.59**

टिप्पणी 13 : चालू कर आस्तियाँ (शुद्ध)

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
चालू कर आस्तियाँ (शुद्ध)	8,062.74	10,626.43
कुल	**8,062.74**	**10,626.43**

टिप्पणी 13 क : अन्य चालू आस्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सरकारी प्राधिकरी के पास शेष	22,243.85	10,658.77
पूर्वदत्त व्यय	2,536.81	2,382.31
संविदा के लिए अग्रिम	17,806.96	18,110.67

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अन्य	53,574.09	33,981.24
कुल	**96,161.71**	**65,132.99**

टिप्पणी 14 : यथा निपटान के धारित वर्गीकृत आस्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
निपटान के लिए धारित अचल आस्तियाँ	0.11	1.51
कुल	**0.11**	**1.51**

टिप्पणी 15 : शेयर पूँजी

(आंकड़े लाख ₹ में)

शेयरों का वर्ग	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
प्राधिकृत पूँजी:				
इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य प्रति ₹10/-)	6,00,00,000	6,000.00	6,00,00,000	6,000.00
कुल	**6,00,00,000**	**6,000.00**	**6,00,00,000**	**6,000.00**
निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णतः प्रदत्त पूँजी				
इक्विटी शेयर (अंकित मूल्य प्रति ₹10/-)	5,49,87,155	5,498.72	5,49,87,155	5,498.72
कुल	**5,49,87,155**	**5,498.72**	**5,49,87,155**	**5,498.72**

क) बकाया शेयरों की संख्या का मिलान:

(आंकड़े लाख ₹ में)

शेयरों का वर्ग	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	राशि	शेयरों की संख्या	राशि
अवधि के आरंभ में बकाया	5,49,87,155	5,498.72	5,49,87,155	5498.72
अवधि के दौरान परिवर्धन	-	-	-	-
अवधि के दौरान परिपक्वता	-	-	-	-
अवधि के अंत में यथा बकाया	**5,49,87,155**	**5,498.72**	**5,49,87,155**	**5,498.72**

ख) इक्विटी शेयरों से संबंधित शर्तें / अधिकार:

कम्पनी के पास केवल शेयर पूँजी अर्थात 10 रूपए के अंकित मूल्य का प्रति शेयर इक्विटी शेयर का एक वर्ग है। इक्विटी शेयर का प्रत्येक धारक एक मत प्रति शेय का हकदार है।

ग) 5% शेयर से अधिक धारित प्रत्येक शेयरधारक द्वारा कम्पनी में धारित शेयरों के ब्यौरे

(आंकड़े लाख ₹ में)

शेयरधारकों का ब्यौरा	31 मार्च 2023 तक		31 मार्च 2022 तक	
	शेयरों की संख्या	शेयर धारक %	शेयरों की संख्या	शेयर धारक %
भारत का राष्ट्रपति	5,46,27,155	99.35%	5,46,27,155	99.35%

टिप्पणी 16 : अन्य इक्विटी

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
सामान्य भंडार		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार शेष	25,224.31	25,224.31
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
जैसा वर्ष के अंत में	**25,224.31**	**25,224.31**
अधिशेष / प्रतिधारित आय		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार शेष	10,275.35	8,361.16
वर्ष के दौरान परिवर्धन	4,089.96	2,127.54
वर्ष के दौरान कटौती	-	-
इंड एएस समायोजन	6.34	17.60

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
विनियोजन के लिए उपलब्ध राशि	**14,371.65**	**10,506.30**
सामान्य आरक्षित में अंतरण		
इक्विटी लाभांश	643.35	230.95
इक्विटी लाभांश पर कर	-	-
जैसा वर्ष के अंत में	**13,728.30**	**10,275.35**
अन्य व्यापक आय		
अंतिम तुलन-पत्र के अनुसार शेष	(1,414.49)	(1,417.48)
पश्च-नियोजन हितलाभ दायित्व/ परिभाषित हितलाभ योजना पर बीमांकिक अभिलाभ/(हानि)	(130.58)	2.99
वर्ष के दौरान	-	-
जैसा वर्ष के अंत में	**(1,545.07)**	**(1,414.49)**
कुल	**37,407.54**	**34,085.17**

टिप्पणी 17: अन्य वित्तीय देयताएँ - गैर-चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 को यथा
प्रतिधारित प्रतिभूत जमाराशियाँ	23,749.58	14,684.95
अन्य	11.19	11.19
कुल	**23,760.77**	**14,696.14**

टिप्पणी 18 : प्रावधान - गैर-वर्तमान

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को यथा	31 मार्च 2022 तक
कर्मी हितलाभ के लिए प्रावधान - अवकाश	4,968.21	4,859.37
कुल	**4,968.21**	**4,859.37**

टिप्पणी 19 : उधार

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
प्रतिभूत		
नकदी ऋण व डब्ल्यूसीडीएल खाता (माँग पर पुनर्भुगतान योग्य के साथ):		
भारतीय स्टेट बैंक	(1,699.41)	(1,805.12)
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	11.58	1,111.76
बैंक ऑफ बड़ौदा	21.54	394.86
इंडियन बैंक	1,229.37	1,519.20
आईसीआईसीआई बैंक	(1,575.34)	(1,971.94)
यस बैंक	-	(0.32)
पंजाब नेशनल बैंक	1,998.20	2,902.44
एचडीएफसी बैंक	1,200.00	1,244.92
बैंक ऑफ इण्डिया	(8.77)	433.92
एक्सिस बैंक	903.75	1,060.10
केनरा बैंक	(999.99)	-
कुल	**1,080.93**	**4,889.82**

(कम्पनी कंसोर्टियम बैंकों से उपर्युक्त सुविधाओं का लाभ उठा रही है जहां एसबीआई अग्रणी बैंक है। नकद ऋण, कार्यशील पूंजी मांग ऋण खाते स्टॉक के दृष्टिबंधक, प्रगति पर संविदाओं और बुक ऋणों द्वारा सुरक्षित होते हैं और कम्पनी की संपूर्ण अचल संपत्तियों / संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के संयुक्त बंधक द्वारा संपार्श्विक रूप से सुरक्षित किए जाते हैं।)

टिप्पणी 20 : व्यापार देनदारियां

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
स्वीकृति		
मध्यम एवं लघु उद्यम	11,358.98	15,588.62
अन्य	1,97,296.83	1,57,933.35
कुल	**2,08,655.81**	**1,73,521.97**

टिप्पणी 21 : प्रावधान - चालू

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर्मी हितलाभ के लिए प्रावधान		
बोनस	162.52	156.71
अवकाश	373.27	411.80
उपदान	412.50	254.01
अन्य प्रावधान		
प्रत्याशित ऋण हानि समायोजन	3,314.85	1,341.44
संभावित हानि	1,320.55	1,039.00
गैर-चलंत स्टॉक के लिए प्रावधान	1,320.55	1,039.00
कुल	**5,600.19**	**3,219.46**

टिप्पणी 22 : अन्य वर्तमान देयताएँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
संविदा के विरूद्ध प्राप्त अग्रिम	73,661.00	53,014.62
संविदा के विरूद्ध जमाराशियाँ	7,116.37	23,932.45
वैधानिक दायित्व	26,094.85	8,863.30
कर्मी दायित्व	5,511.37	12,576.78
अदावी लाभांश	0.12	0.09
अन्य देय	3,751.79	10,561.10
कुल	**1,16,135.50**	**1,08,948.34**

टिप्पणी 23 : परिचालन से राजस्व

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
अ) सेवाओं की बिक्री		
अंतर्देशीय – प्राप्त/प्रदत्त/ निपटारित बिल	3,74,707.87	2,61,983.25
संविदा आस्तियों में परिवर्तन	(43,897.11)	55,975.75
उप-योग	**3,30,810.76**	**3,17,959.00**
आ) अन्य परिचालनात्मक आय		
स्क्रैप की बिक्री	584.16	1,218.44
डिपोजिटरी कार्य से राजस्व का ब्याज	-	77.30
विविध आय	143.16	262.52
उप-योग	**727.32**	**1,558.26**
कुल	**3,31,538.08**	**3,19,517.26**

टिप्पणी 24 : अन्य आय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
ब्याज आय :		
बैंक जमा पर ब्याज	303.44	199.70
अन्य पर ब्याज	305.95	855.72
वित्तीय साधनों पर ब्याज	7.15	24.08
अन्य गैर-परिचालनात्मक आय :		
पीपीई मद की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल)	191.09	110.34
कर वापसी पर ब्याज	489.47	757.99
कुल	**1,297.10**	**1,947.83**

टिप्पणी 25 : उपभुक्त सामाग्री की लागत

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वर्ष के आरंभ में इन्वेंटरी	9,513.43	10,229.32
जोड़ : खरीद	94,067.93	68,477.39
कम: वर्ष के अंत में इन्वेंटरी	10,752.21	9,513.43
कुल	**92,829.15**	**69,193.28**

टिप्पणी 25 क : उप-संविदात्मक एवं अन्य निर्माण व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
श्रम एवं गैर-संविदा लागत	1,81,581.42	1,81,395.21
विद्युत एवं ईंधन	3,559.24	4,320.23
भाड़ा शुल्क	5,974.37	14,060.53
माल ढुलाई व हैडलिंग शुल्क	183.48	163.22
कुल	**1,91,298.51**	**1,99,939.19**

टिप्पणी 26 : कर्मी हितलाभ व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
वेतन, मजदूरी एवं भत्ता	22,040.64	28,701.59
भविष्य निधि एवं अन्य निधियों में योगदान	1,647.64	2,091.06
उपदान निधि व्यय	237.99	258.01
कर्मचारी कल्याण व्यय	749.26	1,171.98
कुल	**24,675.53**	**32,222.64**

टिप्पणी 27 : वित्त व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
ब्याज व्यय		
बैंक उधार	1,045.20	1,312.79
अन्य	2,774.52	1,450.75
अन्य बैंक प्रभार	2,313.36	1,957.36
कुल	**6,133.08**	**4,720.90**

टिप्पणी 28 : अन्य व्यय

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
मरम्मति एवं अनुरक्षण		
भवन	1.66	82.62
संयंत्र व मशीनरी	355.84	422.69
अन्य	0.04	-
बीमा	310.93	332.71
दर एवं कर	325.06	370.20
विज्ञापन	33.83	30.07
यात्रा व्यय	388.74	192.83

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
किराया	2,089.04	3,189.07
वाहन व्यय	1,810.15	2,109.90
छपाई एवं लेखन सामग्री	175.05	211.37
विविध व्यय	1,900.45	918.20
कानूनी एवं व्यावसायिक शुल्क	113.64	129.86
निदेशक बैठक शुल्क	2.65	1.79
परिवहन	997.75	812.76
डाक एवं टेलिफोन	77.71	86.21
लेखापरीक्षा का पारिश्रमिक	12.13	11.09
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व	99.22	90.90
प्रत्याशित ऋण हानि के लिए भत्ता	1,973.41	604.75
संभावित हानि	281.55	1,039.00
विदेशी मुद्रा में उतार-चढ़ाव	55.00	(0.09)
कुल	**11,003.85**	**10,635.93**

टिप्पणी 29 : आयकर व्यय

31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्षों के लिए आयकर व्यय के प्रमुख घटक हैं:

क. लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त राशि

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
चालू कर		
वर्ष के लिए लाभ पर आयकर	2,070.78	1,279.49
पूर्व वर्ष से संबंधित समायोजन/(ऋण)	22.58	140.83
कुल चालू कर	**2,093.36**	**1,420.32**
आस्थगित कर		
अस्थायी मतभेदों की उत्पत्ति और व्युत्क्रमण से संबंधित आस्थगित कर व्यय (आय)	(517.87)	(518.79)
कुल आस्थगित कर	**(517.87)**	**(518.79)**
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त कुल आयकर व्यय/(हितलाभ)	**1,575.49**	**901.53**

ख. अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त आयकर

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
उन मदों पर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	43.92	(1.01)
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त कुल आयकर	**43.92**	**(1.01)**

ग. लेखांकन लाभ के साथ कर व्यय का मिलान :

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 तक	31 मार्च 2022 तक
कर पूर्व लाभ	5,665.45	3,029.07
25.17 की दर से संगणित आयकर व्यय	1,425.99	762.42
मूल्यह्रास के कारण शुद्ध समायोजन का प्रभाव जो कर योग्य लाभ निर्धारित करने में कटौती योग्य है	54.57	138.32
कर उद्देश्यों के लिए गैर-कर योग्य आय	(49.90)	(33.83)
कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व व्यय	24.97	22.88
बीमांकिक आधार पर नकदीकरण	15.11	86.25
अन्य गैर-कटौती योग्य व्यय	711.69	525.90
कर नियमों के अधीन अन्य स्वीकार्य व्यय	(111.65)	(222.45)
पूर्व वर्ष से संबंधित कर व्यय	22.58	140.83
आस्थगित कर	(517.87)	(518.79)
लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त आयकर व्यय	**1,575.49**	**901.53**

टिप्पणी 30 : लेखाओं की टिप्पणियाँ

1. i) वित्तीय विवरणी की टिप्पणियाँ

कम्पनी ने 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए इंड एएस के अनुसार अपने वित्तीय विवरण तैयार किए हैं।

टिप्पणी: 1 में उल्लिखित लेखांकन नीतियों को 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण तैयार करने में लागू किया गया है।

कम्पनी ने अपने वित्तीय विवरणों में इंड एएस और व्याख्याओं के आधार पर सिद्धांतों की मान्यता और माप का पालन किया जो 31 मार्च, 2023 से प्रभावी हैं।

ii) अन्य व्यापक आय :

पुनर्माप बीमांकिक लाभ और हानि, योजना परिसंपत्तियों पर वापसी (शुद्ध परिभाषित लाभ देयता या परिसंपत्ति पर शुद्ध ब्याज में शामिल राशि को छोड़कर) और परिसंपत्ति सीमा (जहां भी लागू हो) के प्रभाव में किसी भी बदलाव को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है।

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए
2. वित्तीय वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा सीआईएफ आधार पर गणना किए गए आयातों का मूल्य		
i. कच्चा माल	361.65	329.37
ii. घटक और पूर्जे	-	-
	361.65	329.37
3. वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी मुद्रा में व्यय		
i. रॉयल्टी, जानकारी, पेशेवर और परामर्श शुल्क	-	-
ii. ब्याज	-	-
iii. अन्य	-	-
	शून्य	शून्य
4. विदेशी मुद्रा में उपार्जन		
iv. निर्यात (विदेशी परियोजनाएँ)	-	-
	शून्य	शून्य

5. आयातित और स्वदेशी उपभोग का मूल्य

(आंकड़े लाख ₹ में)

	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए	
	मूल्य	%	मूल्य	%
i. उपभुक्त कच्चा माल				
आयातित	361.65	0.39	329.37	0.48
स्वदेशी	88,190.61	95.00	61,448.02	88.81
	88,552.26	**95.39**	**61,777.39**	**89.28**
ii. उपभुक्त घटक एवं पूर्जे				
आयातित	-	-		
स्वदेशी	4276.89	4.61	7415.89	10.72
	92,829.15	**100.00**	**69,193.28**	**100.00**

6. इन्वेंटरी में शून्य लाख रूपए का तृतीय पक्ष स्टॉक सहित वस्तुसूची (पूर्व वर्ष - ₹ 12.38 लाख)

7. लेखापरीक्षकों को भुगतान

(आंकड़े लाख ₹ में)

	2022-23	2021-22
लेखापरीक्षा शुल्क	8.00	8.00
कर लेखापरीक्षा शुल्क	2.00	2.00
लागत लेखापरीक्षा शुल्क	0.35	0.35
प्रमाणीकरण और खर्चों की प्रतिपूर्ति	3.50	2.53
कुल	**13.85**	**12.88**

8. आकस्मिक देयताएँ और प्रतिबद्धताएँ

i. आकस्मिक देयताएँ

- कम्पनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में बैंकों को दी गई 78,641.54 लाख रुपये की वित्तीय प्रति-गारंटी (पिछले वर्ष - ₹ 71,869.70 लाख)।
- कम्पनी की ओर से बैंकों द्वारा दी गई गारंटियों के संबंध में बैंकों को दी गई ₹1,06,802.34 लाख की गैर-वित्तीय प्रति-गारंटी (पिछले वर्ष - ₹86,328.63 लाख)।
- बिक्री कर, सेवा कर और आयकर के संबंध में ₹12526.77 लाख की ऋण राशि के रूप में दावे स्वीकार नहीं किए गए (पिछले वर्ष - ₹11,807.69 लाख)।
- विभिन्न एमएसएमई पार्टियों और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड (वित्त वर्ष 2022-23 के लिए) के बीच कुल 3597.96 लाख रुपये की राशि के विवाद विभिन्न एमएसएमई सुविधा परिषदों (पिछले वर्ष - 1,239.10 लाख रुपये) के समक्ष लंबित हैं। कम्पनी कुछ एमएसएमई पार्टियों के साथ सौहार्दपूर्ण निपटान की प्रक्रिया में है और विभिन्न एमएसएमई पार्टियों या एमएसएमई सुविधा परिषदों से प्राप्त दावों को भी सक्षम अदालत के समक्ष चुनौती दी है, जिनकी कुल राशि ₹ 861.00 लाख है।

ii. अनिष्पादित पूंजीगत व्यय के लिए प्रतिबद्धताएं 471.51 लाख (जीएसटी सहित) (पिछला वर्ष- शून्य) हैं।

9. कानूनी मामले :

i. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कम्पनी को प्रदान किए गए ठेका पैकेज संख्या एनएस-38-पीबी के संबंध में विवादों के मामले में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के विरुद्ध कम्पनी के दावों और पक्षकारों के दावों का निर्णय दो अलग-अलग मध्यस्थ अधिकरणों द्वारा किया गया था और अधिकांश निर्णय कम्पनी के पक्ष में थे। कम्पनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अपनी बकाया राशि यों की वसूली के लिए माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष प्रवर्तन याचिका दायर की थी। हालांकि, एनएचएआई ने डिवीजन बेंच के समक्ष फिर से अपील दायर की थी और दिसंबर, 2017 में पारित अपने आदेश और बाद के आदेशों के माध्यम से, दिल्ली उच्च न्यायालय की माननीय डिवीजन बेंच ने ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड को 120.02 करोड़ रुपये (जो माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार एनएचएआई द्वारा जमा किए गए हैं) को वापस लेने की अनुमति दी थी, जो चल रही न्यायिक कार्यवाही के अंतिम परिणाम के अधीन था। जिसमें से वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान कम्पनी को एनएचएआई से क्रमशः 64.34 करोड़ रुपये, 52.98 करोड़ रुपये और 2.70 करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जिसे आय नहीं माना जाता है क्योंकि मामला अभी भी न्यायाधीन है।

ii. कम्पनी ने आईओसीएल की पानीपत रिफाइनरी में वर्ष 2003 और 2006 में दिए गए दस अलग-अलग ठेकों के निष्पादन से उत्पन्न आईओसीएल के साथ अपने विवादों को फरवरी, 2011 में मध्यस्थता की स्थायी मशीनरी (पीएमए), डीपीई के समक्ष भेज दिया। वर्ष 2012 में, एलडी मध्यस्थ, पीएमए ने बैंक गारंटी जारी करने के आदेश के साथ पुरस्कार पारित किए। वर्तमान में यह पूरा विवाद माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय और एएमआरसीडी के समक्ष न्यायाधीन है। इस मामले में 36.00 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी है।

iii. ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड और सीमा शुल्क विभाग के बीच विवाद का मामला आयुक्त (सीमा शुल्क) अपील के समक्ष रखा गया है, जिसमें 13.00 करोड़ रुपये के ब्याज सहित दावा और यह मामला सीसीए के समक्ष निर्णय के लिए लंबित है।

iv. देवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड और ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (आई) लिमिटेड के बीच विवाद के मामले में कलकत्ता में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण ने देवी एंटरप्राइजेज लिमिटेड द्वारा उठाए गए अधिकांश दावों को खारिज कर दिया था, जिसके खिलाफ उन्होंने माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में अपील करने को प्राथमिकता दी थी और मामला लंबित है। वर्तमान में यह न्यायाधीन है। विवाद की मात्रा लगभग 48.00 करोड़ रुपये है।

10. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से संबंधित प्रकटीकरण

		2022-23	2021-22
i.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को मूल राशि का भुगतान नहीं किया जाना।	11,358.98	15,588.62
ii.	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को उस पर देय ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना है।	833.53	544.44
iii.	धारा 16 के संदर्भ में भुगतान की गई ब्याज की राशि, प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियत दिन के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि।	-	-
iv.	भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए देय और देय ब्याज की कुल राशि (जिसका भुगतान किया गया है लेकिन वर्ष के दौरान नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमई अधिनियम के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
v.	आगे के ब्याज की राशि, जो देय है और बाद के वर्षों में भी देय है, उस तारीख तक जब ऊपर दिए गए ब्याज की बकाया राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को, एक कम व्यय के रूप में विघटन के उद्देश्य से, भुगतान की जाती है।	-	-

11. i) 31.03.2023 को यथा काल प्रभावन अधिसूची व्यापार प्राप्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण		भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - अच्छा माना जाता है	924.06	69.23	19.24	3.35	129.55	1,145.43
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिनमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुए है	-	-	-	-	-	
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट ख़राब	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियां- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - केवल वह जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट ख़राब	-	-	-	-	-	-
कुल		**924.06**	**69.23**	**19.24**	**3.35**	**129.55**	**1,145.43**

ii. 31.03.2023 को काल प्रभावन अधिसूची संविदा प्राप्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण		भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया					
		6 माह से कम	6 माह – 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापार प्राप्तियां - माना जाता है	1,00,822.98	2,030.44	2,131.50	55.93	3655.26	1,08,696.11
(ii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - जिसमें एक बार केवल ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(iii)	निर्विवाद व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट ख़राब	-	-	-	-	-	-
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियां- अच्छा माना जाता है	-	-	-	-	-	-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - जिसमें एक बार केवल ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-	-	-	-	-
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्तियां - क्रेडिट ख़राब	-	-	-	-	-	-
कुल		**1,00,822.98**	**2,030.44**	**2,131.50**	**55.93**	**3,655.26**	**1,08,696.11**

12. 31.03.2023 को यथा काल प्रभावन अधिसूची व्यापार प्राप्तियाँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विशिष्टियाँ		भुगतान की नियत तारीख से निम्नलिखित अवधियों के लिए बकाया				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	7,000.75	130.54	574.3	55.43	7,761.02
(ii)	अन्य	1,89,463.32	3,120.58	2,188.93	2,524.00	1,97,296.83
(iii)	विवादित देय- एमएसएमई	2,358.86	1,239.10	-	-	3,597.96
(iv)	विवादित देय - अन्य	-	-	-	-	-
कुल		**1,98,822.93**	**4,490.22**	**2,763.23**	**2,579.43**	**2,08,655.81**

13. कंपनी के पास फैब्रिकेशन सहित निर्माण नामक एक ही खंड है। इसमें ग्राहकों से प्राप्त आदेशों के खिलाफ निष्पादित सिविल और मैकेनिकल निर्माण और संरचनात्मक निर्माण गतिविधियां शामिल हैं। इसलिए, भारतीय लेखा मानक 108 में परिभाषित खंड रिपोर्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

14. सीएसआर व्यय

i) वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा व्यय की जाने वाली आवश्यक सकल राशि - 60.75 लाख

(आंकड़े लाख ₹ में)

	2022-23	2021-22
ii) वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि :		
i. किसी आस्तियों के निर्माण / अधिग्रहण	-	5.27
ii. उपरोक्त (i) से अन्य उद्देश्य के लिए	99.22	85.63
कुल	**99.22**	**90.90**

15. आय प्रति शेयर :

(आंकड़े लाख ₹ में)

	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
शुद्ध लाभ (पीएटी)(आंकड़े लाख ₹ में)	4,089.96	2,127.54
शेयरों की संख्या	5,49,87,155	5,49,87,155
अंकित मूल्य प्रति शेयर	10	10
मूल और तनुकृत ईपीएस	7.44	3.87

16. पुष्टि के लिए पार्टियों से जवाब के अभाव में, खातों की पुस्तकों के अनुसार प्राप्य और देय शेष राशि ली जाती है।

17. इंड एएस 115 के अनुसार प्रकटीकरण

(i) ग्राहकों के साथ संविदाओं से राजस्व का पृथक्करण:

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड के पास वस्तुओं या सेवाओं की एक शृंखला होती है जो काफी हद तक समान होती हैं और उसी तरह से स्थानांतरित की जाती हैं इसलिए एक एकल प्रदर्शन दायित्व की पहचान की जाती है और ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व का शून्य पृथक्करण रिपोर्ट किया जाता है।

(ii) संविदा शेष

निम्न तालिका संविदाओं से प्राप्तियों, अनुबंध परिसंपत्तियों और संविदा देयताओं के बारे में जानकारी प्रदान करती है:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023
(क) संविदा आस्तियाँ	
निर्माण अनुबंध पर ग्राहकों से बकाया राशि के लिए अनुबंध प्रगति पर है लेकिन बिल अभी तक जारी नहीं किया गया है	1,28,555.11
(ख) संविदा देयताएँ	
ग्राहकों से अग्रिम	80,777.37

(ग) संविदा आस्तियाँ मुख्य रूप से पूरे किए गए काम के लिए कम्पनी के अधिकारों से संबंधित हैं, लेकिन रिपोर्टिंग तिथि पर बिल नहीं दिया गया है। 31 मार्च 2023 को समाप्त अवधि के दौरान संविदा आस्तियों की राशि शून्य के हानि शुल्क से प्रभावित हुई थी। संविदा देयताएँ मुख्य रूप से निर्माण के लिए ग्राहकों से प्राप्त अग्रिम विचार से संबंधित हैं जिसके लिए समय के साथ राजस्व को मान्यता दी जाती है।

(घ) वर्ष के दौरान संविदा आस्तियों एवं संविदा देयताओं की शेष राशि में महत्वपूर्ण परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
i) संविदा आस्तियाँ		
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में	1,76,757.59	1,37,922.34
संविदाओं की दिशा खर्च में की गई लागत और प्रगति बिलिंग का शुद्ध योग	2,82,608.28	3,00,818.50
संविदा प्राप्तियों के रूप में मान्यता प्राप्त	-3,30,810.76	-2,61,983.25
अन्य कारणों से हुआ महत्वपूर्ण बदलाव	NIL	NIL
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में *	**1,28,555.11**	**1,76,757.59**

* कृपया नोट 30 एपी देखें

ii) संविदा देयताएँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में	76,947.01	83,150.61
अवदि के दौरान संविदा देयाताओं में परिवर्तन	3,830.36	-6,203.60
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	**80,777.37**	**76,947.01**

ङ)

i) निम्न तालिका अपेक्षित क्रेडिट हानि के उतार-चढ़ाव को दर्शाती है

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में	1,341.44	736.69
इस अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान	1973.41	604.75
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	**3,314.85**	**1,341.44**

*कृपया टिप्पणी 30 एएफ का संदर्भ लें

आ) निम्नलिखित तालिका संभावित हानि के उतार-चढाव दर्शित करती है

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ में	1,039.00	-
इस अवधि के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान (वापसी का शुद्ध)	281.55	1,039.00
रिपोर्टिंग अवधि के अंत में	**1,320.55**	**1,039.00**

(च) निम्नलिखित तालिका में 31 मार्च 2023 तक असंतुष्ट (या आंशिक रूप से संतुष्ट) प्रदर्शन दायित्वों से संबंधित भविष्य में मान्यता प्राप्त राजस्व शामिल है:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	2023-24 एवं इससे आगे
संविदा राजस्व	17,500.00

(छ) लाभ-हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त राजस्व का मिलान:

निम्नलिखित तालिका 31 मार्च 2023 तक मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि के मिलान का खुलासा करती है।

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च, 2023
मान्यता प्राप्त राजस्व का संविदा कीमत	3,31,538.08
अन्य स्रोत से मान्यता प्राप्त राजस्व (अन्य आय)	1,297.10
लाभ और हानि विवरणी में मान्यता प्राप्त राजस्व	**3,32,835.18**

18. संबंधित पक्ष प्रकटीकरण" पर आईएनडी एएस -24 की आवश्यकताओं के अनुसार प्रकटीकरण

मुख्य प्रबंधन कार्मिक

1. श्री राजेश कुमार सिंह को 08-10-2021 से अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक का प्रभार दिया गया।
2. श्री रवि कुमार को 15.04.2023 (एएन) से निदेशक (परियोजना प्रबंधन) का प्रभार दिया गया था।
3. श्री बी. बिश्वास को 12.08.2021 से 15.04.2023 (एफएन) तक निदेशक (परियोजना प्रबंधन) का प्रभार दिया गया था।
4. श्री नव रतन गुप्ता को दिनांक 20.04.2023 से निदेशक (वित्त) का प्रभार दिया गया।
5. श्री पार्थ प्रतिम बोस को 11-11-2019 से 31.12.2022 तक निदेशक (वित्त) का प्रभार दिया गया था।
6. श्रीमती राखी कर, कम्पनी सचिव दिनांक 01.04.2014 से।

प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के मुआवजे में निम्नलिखित शामिल हैं

(आंकड़े लाख ₹ में)

	2022-23	2021-22
अल्पावधि कर्मी हितलाभ	152.93	104.88
रोजगार उपरांत लाभ	10.08	2.29
अन्य दीर्घावधि हितलाभ	6.89	7.77
सेवा समापन हितलाभ	-	-
शेयर आधारित भुगतान	-	-

19. "कर्मी हितलाभ" पर इंड एएस 19 की आवश्यकताओं के अनुसर में प्रकटीकरण :

लाभ और हानि खातो में मान्यता प्राप्त शुद्ध कर्मी हितलाभ व्यय :

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
चालू सेवा लागत	219.71	307.08	238.73	325.76
हितलाभ दायित्व पर ब्याज लागत	447.48	379.52	419.60	325.28
निवेश आय	(429.20)	शून्य	(400.32)	शून्य
योजित आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	(39.38)	शून्य	3.23	शून्य
वर्ष में मान्यता प्राप्त निवल बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	213.88	793.03	(7.23)	708.54
पश्च सेवा लागत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
शुद्ध हितलाभ व्यय	**412.49**	**1,479.63**	**254.01**	**1,359.58**

परिभाषित हितलाभ दायित्व के ब्यौरे :

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित हितलाभ दायित्व	6,505.84	5,341.48	6,215.07	5,271.17
योजित आस्तियों का उचित मूल्य	6,093.35	-	5,961.05	-
निधियन दायित्वों का वर्तमान मूल्य	412.49	5,341.48	254.02	5,271.17
कम : अमान्यता प्राप्त पूर्व सेवा लागत	-	-	-	-
योजित आस्ति / (देयता)	(412.49)	(5341.48)	(254.02)	(5271.17)

परिभाषित हितलाभ योजना के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
आरंभिक परिभाषित हितलाभ दायित्व	6215.07	5271.17	6357.69	4,928.49
ब्याज लागत	447.48	379.52	419.6	325.28
चालू सेवा व पूर्व सेवा लागत	219.71	307.08	238.73	325.76
लाभ का भुगतान किया गया	(591.56)	(1419.59)	(793.72)	(1016.91)
दायित्व पर बीमांकिक हानि/(अभिलाभ)	213.88	793.03	(7.23)	708.54
अन्य कंपनियों से देयताओं में अंतरण	1.26	10.27	शून्य	शून्य
विनियमन दर अंतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
परिभाषित हितलाभ दायित्व लेखाबंदी	**6505.84**	**5341.48**	**6215.07**	**5271.17**

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
योजित आस्तियों का आरंभित उचित मूल्य	5,961.06	शून्य	6,065.54	शून्य
ब्याज आय	429.20	शून्य	400.32	शून्य
नियोक्ता द्वारा योगदान	254.02	शून्य	292.15	शून्य
प्रदत्त हितलाभ	(591.56)	शून्य	(793.72)	शून्य
योजित आस्तियों पर वापसी, शुद्ध ब्याज व्यय में मान्यता प्राप्त राशि रहित	39.38	शून्य	(3.23)	शून्य
अन्य कंपनियों से देयताओं में अंतरण	1.26	शून्य	शून्य	शून्य
विनियमन दर अंतर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
योजित आस्तियों का अंतिम उचित मूल्य	**6093.35**	शून्य	**5961.06**	**शून्य**

बीमांकिक अवधारणाएँ

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
बट्टा दर (%)	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%
योजित आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल	6.60%	शून्य	6.60%	शून्य

चालू और गत पूर्व अवधि के लिए राशि इस प्रकार है :

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष		31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष	
	उपदान	अवकाश नकदीकरण	उपदान	अवकाश नकदीकरण
परिभाषित हितलाभ दायित्व	6,505.84	5341.48	6,215.07	5,271.17
योजित आस्तियाँ	6,093.35	शून्य	5,961.05	शून्य
अधिशेष / (घाटा)	(412.49)	(5341.48)	(254.02)	(5271.17)
योजित देयताओं पर अनुभव (अभिलाभा)/हानि समायोजन	-	793.03	(7.23)	708.54
योजित आस्तियों पर अनुभव (अभिलाभ)/हानि समायोजन	412.49	शून्य	(73.92)	शून्य

20. लाभांश

लाभांश का प्रस्ताव (जहां भी लागू हो, टीडीएस के अधीन) आगामी बोर्ड बैठक में किया जाएगा।

21. पूँजी प्रबंधन

i. पूंजी का प्रबंधन करते समय, कम्पनी का उद्देश्य एक सतत संस्था के रूप में जारी रखने की अपनी क्षमता की रक्षा करना है, ताकि यह शेयरधारकों के लिए रिटर्न और अन्य हितधारकों के लिए लाभ प्रदान करना जारी रख सके।

ii. कम्पनी की पूंजी संरचना में इक्विटी शेयर पूंजी और प्रतिधारित आय शामिल है।

iii. प्रबंधन पूंजी पर वापसी की निगरानी करता है, जिसे कम्पनी कुल शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा विभाजित परिचालन गतिविधियों के परिणामस्वरूप परिभाषित करती है। इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश की घोषणा बोर्ड की बैठक में की जाती है और एजी एम द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

22. वित्तीय साधन एवं जोखिम कारक

i. वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य:

कम्पनी जोखिमों के स्तर और परिमाण के आधार पर खुलासे का विश्लेषण करके कम्पनी के संचालन से संबंधित प्रमुख वित्तीय जोखिमों का प्रबंधन करती है। इन जोखिमों में बाजार जोखिम (मुद्रा जोखिम और ब्याज दर जोखिम सहित), क्रेडिट जोखिम और जलनिधि जोखिम शामिल हैं।

ii. बाजार जोखिम :

बाजार जोखिम संभावित बाजार मूल्य संचलन और किसी व्यवसाय के भविष्य के प्रदर्शन पर उनके प्रभाव से उत्पन्न जोखिम या अनिश्चितता है। बाजार जोखिम का प्रमुख घटक ब्याज दर जोखिम है।

iii. विदेशी मुद्रा विनिमय दर जोखिम

मुद्रा	देयताएँ यथावत		आस्तियाँ यथावत	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
केडी	7,45,637.17	7,45,637.17	593.516	625.52

निम्नलिखित तालिका विदेशी मुद्रा के लिए प्रासंगिक भारतीय ₹ में 5% की वृद्धि या कमी के लिए कम्पनी की संवेदनशीलता का विवरण देती है। 5% संवेदनशीलता दर है जिसका उपयोग आंतरिक रूप से प्रमुख प्रबंधन व्यक्तिगत रूप से विदेशी मुद्रा जोखिम की रिपोर्ट करते समय किया जाता है और विदेशी मुद्रा दर में यथोचित संभावित परिवर्तन के प्रबंधन के आकलन का प्रतिनिधित्व करता है। संवेदनशीलता विश्लेषण में केवल बकाया विदेशी मुद्रा शामिल है, मौद्रिक वस्तुओं को अनामित करता है और विदेशी मुद्रा दर में 5% परिवर्तन के लिए अवधि के अंत में इन लेनदेन को समायोजित करता है।

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	समाप्त हुए वर्ष के लिए	
	31 मार्च 2023	31 मार्च 2022
वर्ष के लिए लाभ-हानि पर प्रभाव :		
विदेशी मुद्रा दर में 5% वृद्धि के साथ	-402.64	-372.82
विदेशी मुद्रा दर में 5% कमी के साथ	402.64	372.82

iv. ब्याज दर जोखिम प्रबंधन:

कम्पनी को ब्याज दर जोखिम का सामना करना पड़ता है क्योंकि कम्पनी फ्लोटिंग ब्याज दर पर फंड उधार लेती है। यदि ब्याज दर 50 आधार अंक अधिक/कम होती और अन्य सभी परिवर्तनीय स्थिर रहते, तो 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए कम्पनी का लाभ 57.88 लाख रुपये घटता/बढ़ता और 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए 73.39 लाख रुपये हो जाता।

v. ऋण जोखिम :

क्रेडिट जोखिम प्रतिपक्ष द्वारा अपने दायित्व पर चूक के जोखिम को संदर्भित करता है जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय नुकसान होता है। क्रेडिट जोखिम के लिए अधिकतम खुलासे मुख्य रूप से 31 मार्च, 2023 तक 1,29,625.44 लाख रुपये और 31 मार्च, 2022 तक 62,766.07 लाख रुपये की व्यापार प्राप्तियों और अन्य प्राप्तियों से है। प्राप्तियां आम तौर पर असुरक्षित होती हैं और ग्राहकों से अर्जित राजस्व से प्राप्त होती हैं जो मुख्य रूप से सरकारी विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं को बिक्री से बकाया होती हैं, जिनकी चूक का जोखिम अतीत में बहुत कम रहा है। अन्य प्राप्तियों के मामले में, क्रेडिट जोखिम को ग्राहकों की क्रेडिट योग्यता, चुकाने की क्षमता और उनके पिछले ट्रैक रिकॉर्ड की निरंतर निगरानी के आधार पर प्रबंधित किया गया है। वर्ष के दौरान व्यापार प्राप्तियों पर 1,973.41 लाख रुपये की अनुमानित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता प्रदान किया गया।

vi. चलनिधि जोखिम प्रबंधन :

तरलता जोखिम वह जोखिम है जो कम्पनी को अपनी वित्तीय देनदारियों से जुड़े दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जो नकदी वितरित करके तय किए जाते हैं। इसके प्रबंधन में कम्पनी का दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करना है कि जहां तक संभव हो, सामान्य और तनावग्रस्त दोनों स्थितियों के तहत देय होने पर अपनी देनदारियों को पूरा करने के लिए पर्याप्त चलनिधि सुनिश्चित की जाए।

कम्पनी की चलनिधि के प्रमुख स्रोत नकदी और नकदी समतुल्य, बैंकों के साथ शेष राशि, नकदी प्रवाह जो संचालन और कार्यशील पूंजी सुविधाओं से उत्पन्न होता है। कम्पनी का मानना है कि कार्यशील पूंजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। तदनुसार, कोई जलनिधि जोखिम नहीं माना जाता है।

23. उचित मूल्य माप

प्रबंधन मानता है कि वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों की वहन राशि उनके उचित मूल्य का अनुमान लगाती है जब तक कि अन्यथा नहीं कहा गया हो।

24. इंड एएस 116 के अनुसार प्रकटीकरण

1 अप्रैल, 2022 को लीज देनदारियों पर लागू भारित औसत वृद्धिशील उधार दर और वर्ष के दौरान परिवर्धन 9.30% है।

31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए उपयोग के अधिकार संपत्ति के वहन मूल्य में खुलासे निम्नलिखित हैं

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	आस्ति परिसर के उपभोग का अधिकार
01 अप्रैल 2022 को यथा मान्यता प्राप्त	274.46
छूट दर में अंतर का प्रभाव	-
परिवर्धन	191.68
कटौती	
मूल्यह्रास	(357.86)
31 मार्च 2023 तक शेष राशि	**108.28**

मार्च 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान पट्टा देनदारियों का उतार-चढ़ाव निम्नलिखित है

(आंकड़े लाख ₹ में)

विवरण	राशि
01 अप्रैल 2022 को यथा मान्यता प्राप्त	351.94
परिवर्धन	191.68
वर्ष के दौरान उपचित वित्त लागत	50.55
पट्टा देयताओं का भुगतान	(399.65)
31 मार्च, 2023 तक शेष राशि	**194.52**

चालू और अप्रचलित विभाजन

विवरण	राशि
चालू पट्टा देयताएँ	27.83
अप्रचलित पट्टा देयताएँ	166.69
कुल	**194.52**

25. मुख्य विश्लेषणात्मक अनुपात

अनुपात	अंश गणक	विभाजक	चालू अवधि	पूर्व अवधि	अंतर (% में)	अंतर का कारण
(क) चालू अनुपात	वर्तमान संपत्ति	चालू देयताएँ	1.16	1.15	0.87	
(ख) ऋण-इक्विटी अनुपात	कुल ऋण	शेयरधारक की इक्विटी	0.03	0.13	-76.92	केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के कारण, बैंक उधारों से युक्त ऋण में काफी कमी आई है
(ग) ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	ऋण चुकाने के लिए उपलब्ध आय	ऋण सेवा	2.47	2.31	6.93	
(घ) इक्विटी अनुपात पर रिटर्न	बहुत	औसत शेयरधारक की इक्विटी	9.92%	5.51%	80.04	राजस्व वृद्धि और लागत में कमी के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है

अनुपात	अंश गणक	विभाजक	चालू अवधि	पूर्व अवधि	अंतर (% में)	अंतर का कारण
(ङ) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात	बिक्री	औसत इन्वेंट्री	32.65	32.21	1.37	
(च) व्यापार प्राप्तियों का कारोबार अनुपात	बिक्री	औसत प्राप्य लेखा	4.39	8.94	-50.89	पिछली तिमाही में उठाए गए बिलों की उच्च मात्रा के कारण, जिसे अभी तक प्राप्त नहीं किया गया है
(छ) व्यापार देय कारोबार अनुपात	खरीद	औसत व्यापार देय	1.49	1.73	-13.87	
(ज) शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात	शुद्ध बिक्री	कार्यशील पूंजी	6.22%	7.10%	-12.39	
(झ) निवल लाभ अनुपात	शुद्ध लाभ	शुद्ध बिक्री	1.23%	0.67%	83.58	राजस्व वृद्धि के परिणामस्वरूप अनुपात में सुधार हुआ है
(ञ) नियोजित पूंजी पर वापसी	ईबीआईटी	पूंजी नियोजित	25.59%	17.52%	46.06	अनुपात में सुधार राजस्व वृद्धि में वृद्धि और केंद्रीकृत बैंकिंग प्रणाली को अपनाने के कारण नियोजित पूंजी में कमी के कारण हुआ है
(ट) निवेश पर रिटर्न	निवेशित निधियों से उत्पन्न आय	औसत निवेश	लागु नहीं	लागु नहीं		

26. चालू आस्तियों के लिए प्रतिभूत उधार:

कम्पनी की वर्तमान परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर वर्ष के दौरान बैंकों से कुल मिलाकर पांच करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर की गई है। ऐसे बैंकों में कम्पनी द्वारा दाखिल तिमाही रिटर्न/विवरण कम्पनी के बही-खातों के अनुरूप होते हैं।

1. कम्पनी ने वित्त वर्ष 2019-20 से कराधान कानून (संशोधन) अध्यादेश, 2019 द्वारा पेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत विकल्प का उपयोग करने का विकल्प चुना है। तदनुसार, कम्पनी ने चालू वर्ष के लिए प्रावधान किया है और इस खंड में निर्धारित दर के आधार पर अपनी आस्थगित कर देयता को फिर से मापा है।

2. अन्य सांविधिक सूचना :

   i) कम्पनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है (संपत्तियों के अलावा जहां कम्पनी पट्टेदार है और पट्टा समझौते पट्टेदार के पक्ष में विधिवत निष्पादित किए जाते हैं) जिनके शीर्षक विलेख कम्पनी के नाम पर नहीं हैं और कोई अचल संपत्ति नहीं है जो दूसरों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की जाती है।

   ii) कम्पनी के पास ऐसी कोई बेनामी संपत्ति नहीं है, जिसमें बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 (1988 का 45) और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कोई बेनामी संपत्ति रखने के लिए कम्पनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू की गई हो या लंबित हो।

   iii) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के तहत बंद की गई कंपनियों के साथ कम्पनी का कोई लेनदेन नहीं है।

   iv) कम्पनी के पास कोई प्रभार या क्षण का चुकाव नहीं है जिसे वैधानिक से परे कम्पनी रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत किया जाना बाकी है।

   v) कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान क्रिप्टो मुद्रा या आभासी मुद्रा में कारोबार या निवेश नहीं किया है।

   vi) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जानबूझकर चूककर्ताओं के संबंध में जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कम्पनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण या अन्य ऋणदाता द्वारा जानबूझकर चूक करने वाला घोषित नहीं किया गया है।

   vii) कम्पनी ने अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।

   viii) कम्पनी ने 31-03-2023 को समाप्त अवधि के लिए प्रमोटरों, निदेशकों, केएमपी और संबंधित पक्षों (कम्पनी अधिनियम, 2013 के तहत परिभाषित) को अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है।

   ix) 31-03-2023 तक कम्पनी के पास कोई पूंजी-कार्य-प्रगति (सीडब्ल्यूआईपी) नहीं है।

x) कम्पनी (पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता और मूल्यांकन) नियम, 2017 के नियम 2 के तहत परिभाषित पंजीकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा मूल्यांकन के आधार पर वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण उद्देश्यों के लिए उचित मूल्य में मापी गई कम्पनी के पास कोई निवेश संपत्ति नहीं है।

xi) कम्पनी के पास किसी भी शेयर का स्वामित्व नहीं है, या इसमें कोई रुचि नहीं है या किसी अन्य संगठन में स्वामित्व हित नहीं है।

xii) कम्पनी ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार का उपयोग उस विशिष्ट उद्देश्य के लिए किया है जिसके लिए इसे बैलेंस शीट की तारीख पर लिया गया था।

3. कुछ मामलों में व्यापार प्राप्तियां, संविदा प्राप्तियां और अग्रिम और जमाराशियां जिनके लिए पार्टियों से पुष्टि प्राप्त नहीं होती है, ऐसी पुष्टि के निर्धारण/प्राप्ति पर सुलह और परिणामी समायोजन के अधीन होती हैं। प्रबंधन का विचार है कि वित्तीय विवरण में उल्लिखित मूल्य बही-खातों में उल्लिखित के बराबर वसूली योग्य हैं।

4. आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने 17-02-2016 को हुई अपनी बैठक में रणनीतिक विनिवेश के लिए तंत्र को मंजूरी दी थी। सीसीईए ने 27 अक्टूबर, 2016 को हुई अपनी बैठक में सीसीईए नोट संख्या 3/14/2016-दीपम-II-बी दिनांक 14 अक्टूबर, 2016 और निवेश एवं लोक संपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) के 18 अक्टूबर, 2016 के पूरक नोट पर विचार किया और कम्पनी के संबंध में रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। इस संबंध में डीआईपीएम ने कम्पनी के रणनीतिक विनिवेश के लिए लेन-देन सलाहकार और कानूनी सलाहकार नियुक्त किया है। परिसंपत्ति मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति भारी उद्योग विभाग द्वारा की गई थी। आज की तारीख तक, विनिवेश के संबंध में विभाग द्वारा कोई विशिष्ट निर्णय नहीं लिया गया है और लेखा तैयार करते समय चालू चिंता की अवधारणा का पालन किया जाता है।

5. वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान, क्लाइंट ने विक्रेताओं के बकाये का निपटान करने के लिए ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत 5413.86 लाख रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी का उपयोग किया है। ग्राहक ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान 3,054.36 लाख रुपये की विक्रेता बकाया राशि का निपटान किया है और विक्रेता बकाया राशि का निपटान करने के बाद गारंटी की शेष राशि 2,359.50 रुपये रखी गई है। ग्राहक ने पुष्टि की है कि राशि कम्पनी को जारी की जाएगी और तदनुसार ग्राहक द्वारा बनाए गए जमा के तहत दिखाएगा। ग्राहक और कम्पनी के बीच चर्चा के बाद वर्तमान विकास के परिणामस्वरूप, 8 कार्य आदेशों में से ग्राहक मुख्य रूप से 3 कार्य के लिए 1610.14 लाख रूपये की अपनी देयता स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया है, बाकी 5 कार्य के लिए चर्चा चल रही है। हालांकि, अपरिवर्तनवाद के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए, कम्पनी ने 749.36 लाख रुपये प्रदान किए हैं, जो ग्राहक के दावों की पावती से कम बैंक गारंटी आह्वान आय के मूल्यों के बीच अंतर का कुल योग है।

6. निक्षेपागार संविदाओं से उत्पन्न ₹21,44587 लाख (पिछले वर्ष ₹17,14050 लाख) की संविदा आस्तियां उन संविदाओं के विरुद्ध प्राप्त जमाराशियों की शुद्ध राशि दर्शाई गई जाती हैं। शुद्ध शेष राशि को 'अन्य वर्तमान देनदारियों' के भाग के रूप में दर्शाया गया है। गैर-जमाकारी कार्यों से संबंधित अनुबंध परिसंपत्तियां ₹1,28,555.11 लाख (पिछले वर्ष ₹1,76,757.59 लाख) को अनुबंध संपत्ति (टिप्पणी सं. 12) के रूप में दिखाया गया है।

7. चालू वर्ष के आंकड़ों के अनुरूप पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनर्संयोजित/पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

दस वर्षीय सारसंग्रह

(आंकड़े लाख ₹ में)

क्रम	वित्तीय स्थिति	2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15	2013-14
1	कुल आय	332835.18	321465.09	270883.55	325489.47	308240.78	205599.64	175140.94	171017.74	143403.03	138464.96
2	परिचालन से कारोबार	331538.08	319517.26	270227.47	324660.94	307628.66	205341.36	174745.18	170875.61	143158.90	138037.37
3	कुल मार्जिन (ईबीआईटीडीए)	13028.14	9474.05	9037.03	12923.23	10092.54	6324.91	5791.62	3527.90	4852.13	5708.73
4	कर पूर्व लाभ (पीबीटी)	5665.45	3029.07	1265.88	5091.96	5142.37	2607.35	3008.22	503.16	1788.67	1695.99
5	कर पश्चात लाभ (पीएटी)	4089.96	2127.54	780.15	3142.10	3333.18	1657.37	1825.17	265.37	1199.99	1061.23
6	शुद्ध ब्लॉक	3934.92	4295.26	5460.13	6496.28	5988.55	4852.17	4002.92	4187.72	4893.19	5967.89
7	कार्यशील पूँजी	53273.31	45029.49	45723.39	36630.32	35736.58	33807.53	33090.66	31753.83	30065.77	28478.94
8	प्रयुक्त पूँजी	71801.93	59426.97	56445.85	52209.70	44277.27	40896.78	39296.27	37665.49	36629.06	35829.96
9	निवल मालियत	42906.26	39583.89	37666.71	37775.23	36218.13	33837.01	32828.20	31263.33	30997.96	29978.18
10	चलनिधि अनुपात										
चालू अनुपात		1.16	1.15	1.17	1.14	1.16	1.20	1.27	1.23	1.26	1.28
11	लाभप्रदता अनुपात										
बिक्री का सकल मार्जिन		3.91%	2.95%	3.34%	3.97%	3.27%	3.08%	3.31%	2.06%	3.38%	4.12%
बिक्री के लिए पीबीटी		1.70%	0.94%	0.47%	1.56%	1.67%	1.27%	1.72%	0.29%	1.25%	1.22%
बिक्री के लिए पीएटी		1.23%	0.66%	0.29%	0.97%	1.08%	0.81%	1.04%	0.16%	0.84%	0.77%
इक्विटी अनुपात पर प्रतिलाभ			5.51%	2.07%	8.32%	9.20%	4.90%	5.56%	0.85%	3.87%	3.54%
12	बिक्री से व्यय का अनुपात										
बिक्री के लिए परियोजना लागत		88.04%	86.31%	85.50%	83.41%	85.92%	80.51%	78.64%	78.49%	80.54%	80.15%
बिक्री से कर्मी लागत			10.08%	10.86%	9.22%	6.95%	8.30%	9.48%	10.41%	9.19%	8.88%
13	मूल्य परिवर्धन										
कर्मियों की संख्या		1028	1089	1131	1162	1206	1244	1312	1366	1409	1477
मूल्य परिवर्धन प्रति कर्मी			59.33	53.52	64.24	46.40	36.59	31.91	30.85	23.68	22.30
14	राजकोष में योगदान	20546.00	12634.00	10374.00	14744.00	16552.49	12535.83	12277.96	15007.00	11205.64	11217.90
15	आंतरिक संसाधन सृजन	5319.57	3851.62	2787.63	5414.59	4701.33	2512.75	2597.00	1130.22	2520.19	2972.83

बैंकर्स

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. इंडियन बैंक
5. आईसीआईसीआई बैंक
6. यस बैंक
7. पंजाब नेशनल बैंक
8. एचडीएफसी बैंक
9. बैंक ऑफ इण्डिया
10. एक्सिस बैंक
11. केनरा बैंक

लेखा परीक्षक

एमएस डी चक्रवर्ती और सेन : चार्टर्ड अकाउंटेंट
एमएस नुंडी एण्ड एसोसिएट्स : चार्टर्ड अकाउंटेंट

पंजीकृत कार्यालय

"कांकरिया सेंटर", 4थी और 5 वीं मंजिल
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता - 700071
फोन: (033) 2217-2108
फैक्स: (033) 2217-2106 / 4519
ईमेल: bridge@bridgeroof.co.in

प्रधान कार्यालय एवं वर्क्स

427/1, ग्रैंड ट्रंक रोड
हावड़ा 711101, पश्चिम बंगाल
ईमेल: marketing.howrah@bridgeroof.co.in
फोन: (033) 2666-9131
फैक्स: (033)-2666-9137

आंचलिक कार्यालय

दिल्ली:
बी-22, हिमालय हाउस, 23, कस्तूरबा गांधी मार्ग,
कनॉट प्लेस, नई दिल्ली - 110001
फोन: (011) 4108-6086
ईमेल: delhi@bridgeroof.co.in

मुंबई:
401-408, कुकरेजा सेंटर, सेक्टर-11,
सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614
फोन: (022) 4915 5555
ईमेल: mumbai.mech@bridgeroof.co.in

चेन्नई:
626, तीसरी मंजिल, जेवीएल प्लाजा,
अन्ना सलाई तेन्नमपेट, चेन्नई - 600018
फ़ोन: (044) 2431-2480 / 1149
ईमेल: chennai.office@bridgeroof.co.in

गुवाहाटी:
33, चौधरी भवन, उलुबरी,
गुवाहाटी-781007
ईमेल :bandr.guwahati@bridgeroof.co.in

भुवनेश्वर:
दूसरी मंजिल, ओसीएचसी कॉम्प्लेक्स, जनपथ,
यूनिट-III, भुवनेश्वर - 7510011
फ़ोन: 0674-3570009
ईमेल: bbsr.office@bridgeroof.co.in

क्षेत्रीय कार्यालय

रांची :
पहली मंजिल, प्लॉट नंबर 309/सी,
अशोक नगर, रांची- 834002
ईमेल: bandr.ranchi@bridgeroof.co.in

प्रयागराज :
26-एचआईजी, पहली मंजिल, देवप्रयागम कॉलोनी,
झलवा, प्रयागराज- 211012
ईमेल: bandr.prayagraj@bridgeroof.co.in

वडोदरा :
18, ताराकुंज, दूसरी मंजिल, हरिभक्ति सोसायटी,
रेस कोर्स, वडोदरा - 390007
फ़ोन: (0265) 2341627
ईमेल: baroda@bridgeroof.co.in

विशाखापत्तनम:
फ्रेंको ग्रैंड, एमआईजी-71, समता नगर, गाजुवाका
विशाखापत्तनम - 530044
ईमेल:bandr.vizag@bridgeroof.co.in

पुरस्कार और प्रशंसा

ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उद्यम)

चौथी एवं पांचवी मंजिल, कंकड़िया सेंटर
2/1, रसल स्ट्रीट, कोलकाता - 700071

बी एण्ड आर
B AND R

Bridge And Roof Co. (India) Ltd.

(A Government of India Enterprise)

4th And 5th Floor, Kankaria Centre,
2/1, Russel Street, Kolkata-700 071

(91) (033) 22174054/2274/2275/2276
(91) (033) 2217-2106
bridge@bridgeroof.co.in
http://www.bridgeroof.co.in
@bridgenroof
/bandr1920

सीआइएन नं० / CIN No. U27310WB1920GOI003601

एक स्रोत बहु-विषयक इंजीनियरिंग निर्माण परियोजना प्रबंधन सलाहकार